श्री:

श्री मुमुक्षु भवन वेद-वेदाङ्ग
महाविद्यालय, अस्सी
वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी

निर्देशिका

(CALENDER)

भाग २

परिनियमावली

(अद्यतन संशोधित)

२६ दिसम्बर, १९७८ से प्रवृत्त

राजाज्ञा संख्या ५९८७/१५-१०-७८-५(३)-७६ दि० २० दिसम्बर, १९७८

२५ मई. १९९०

मूल्य १८ रु०

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित और सरकारी अधिसूचना संख्या शिक्षा (10) 8146/15-60 (56)-74, दिनांक 11 दिसम्बर, 1974 द्वारा यथा अंगीकृत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियमावली बनाते हैं—

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम परिनियमावली

अध्याय १

प्रारम्भिक

1. 01—(1) यह परिनियमावली सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1978 कही जायेगी। — धारा 50 (1)

(2) यह दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 से प्रवृत्त होगी।

1. 02—(1) विश्वविद्यालय में प्रवृत्त ऐसे सभी विद्यमान परिनियम और ऐसे सभी अध्यादेश जो इस परिनियमावली से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक एतद्द्वारा विखण्डित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावी हीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हों या की जाने से छूट दी गई हो। — धारा 50 (1)

उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा (10) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5987/15-10-78-5 (3) /76, लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 1978 द्वारा अधिसूचित और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में 20 दिसम्बर, 1978 को प्रकाशित।

(2) सरकारी अधिसूचना संख्या 7251/15-I0-75—60 (115)-73. दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 द्वारा एवं समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 4546/15-10-75, दिनांक 25 जुलाई, 1975 के साथ जारी की गयी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ) 1975, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के सम्बन्ध में इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से निरस्त हो जायगी।

धारा 50 (1)

1. 03—इस परिनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973) से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29,1974) द्वारा पुनः अधिनियमित है और समय-समय पर संशोधित है।

(ख) 'खण्ड' का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से जिसमें उक्त पद आया हो ;

(ग) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं; और

(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

धारा 49 तथा 50

1. 04—इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनांक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय 2
विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

2.01 —(1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 68 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझें, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं।

धारा 10(4) तथा 49 (ग)

(2) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगें, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझें, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(4) कुलाधिपति को खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

2.01 (क) "कार्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे[1]।"

कुलपति

2.02—कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे, उसको मँगाने की शक्ति होगी।

धारा 13 (6) और 49 (ग)

1. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 929/15-10-85-15 (75)-83 दि० 20 मार्च 1985 द्वारा बढ़ाया गया तथा 26 दिसम्बर 1978 से प्रवृत्त।

वित्त अधिकारी

धारा 9 (ङ)

2. 03—जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कुलपति नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा 15 (7) और 49 (ग)

2. 04—वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा ;

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है ;

(ग) नकद तथा बैंक बैलेन्स की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा।

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा -

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आनेवाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती है।

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक् परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा ;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मँगा सकेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की संपरीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो ;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् तथा कुलपति द्वारा सौंपे जायें ;

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक कुलसचिव (लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के सम्परीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम 2. 06 के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

2. 05—यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्यसरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

धारा 13 (9) 15 (7) तथा 49 (ग)

कुलसचिव

2. 06—(1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियन्त्रण होगा अर्थात्:—

धारा 13 (9) 16 (4), 21 (i), (vii), 21 (४) और 49 (ग) तथा (ङ)

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव;

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों।

(घ) पुस्तकाध्यक्ष।

(ङ) विश्वविद्यालय के लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पद-च्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी की जांच होने तक की अवधि में या जांच करने के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो, और उन दोषा-रोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो;

परन्तु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहां ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर ऐसी शास्ति आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभि-वेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है) यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :—

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसको मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

2. 07--परिनियम 2. 06 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 8. 0 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम-से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा। — धारा 21 तथा 49

2. 08--अधिनियम के उपलब्धों के अधीन रहते हुए, कुल-सचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-- — धारा 16

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो ;

(ख) धारा 16 (4) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनाएँ जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना ;

(ग) सभा, कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् के अधिकृत पत्र-व्यवहार का संचालन करना ;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्क या समीचीन हो,

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

अनुसंधान संस्थान का निदेशक

2. 09--अनुसंधान संस्थान का निदेशक पूर्ण कालिक वेतन-भोगी अधिकारी होगा, जो कार्य परिषद् द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर जिसमें निम्नलिखित होगे, नियुक्त किया जायगा :- — धारा 49 (ग)

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृत या पालि या प्राकृत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हों और जिन्हें अनुसंधान कार्य का अनुभव हो।

धारा 49 (ग)

2. 10—(1) निदेशक, विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान प्रकाशनों का जिसमें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की पाण्डुलिपियों का सूची-पत्र भीं सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगा।

(2) यह कार्य परिषद् द्वारा गठित सम्पादकीय बोर्ड के मार्ग-निर्देशन में विश्वविद्यालय की अनुसंधान-पत्रिका का सम्पादन करेगा।

(3) यह विश्वविद्यालय के समस्त अनुसंधान कार्य-कलापों (अनुसंधान उपाधियों के लिये व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुसंधान से संबंधित कार्य-कलाप को छोड़कर) के संबंध में कुलपति और विद्यापरिषद् को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा 27 (4) और 49 (ख)

2. 11—यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो, वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक्ष के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

धारा 49 (ग)

2. 12—2 कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा 18 तथा 49 (ग)

2. 13 संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्त्तव्य तथा शक्तियां होंगी :—

(i) वह संकाय-बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं;

(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति के जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(iv) उसे अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष

2. 14—छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य परिषद् द्वारा "कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी[१]।" — धारा 18, 21 (1) (xvii) और 49 (ग)

2. 15—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। — धारा 11 तथा 49

2. 16—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक की कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय। — धारा 49

2. 17—(1) कार्य परिषद् छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता के लिए एक या उससे अधिक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। ऐसे सहायक संकायाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ करेंगे। — धारा 18 तथा 49 (ग)

2. 18—(1) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता तथा मार्ग-दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को— — धारा 18, 49 (ग) और (घ)

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेनें,

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने,

---

1. अधिसूचना सं, 3454/15-10-88 (6) /87 दि० 18 जून 1988 द्वारा प्रतिस्थापित संशोधन के पूर्व रूप "एक समिति की सिफारिश पर की जायगी जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे"

(iii) निवास स्थान ढूंढने,

(iv) भोजन व्यवस्था करने,

(v) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,

(vi) छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(vii) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा-सुविधायें प्राप्त करने,

(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहें इस उद्देश्य से उन्हें विद्या-अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने, में सहायता करना और सलाह देना।

(2) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिससे उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

धारा 49 (ग)

2. 19—छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय चिकित्साधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाँय।

धारा 13 (9)

2. 20 कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 49 (घ)

2. 21—छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मान देय दिया जा सकता है जैसा कुलपति, राज्यसरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे।

विभागाध्यक्ष

धारा 49

2. 22—विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्टतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा।

पुस्तकाध्यक्ष

2. 23—(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्ण कालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष चयन समिति की, जिसमें निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा अर्थात्:— धारा 49 (ग)

(क) कुलपति:

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने पद का कार्य-भार न संभाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

2. 24—पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेशों में व्यवस्थाएँ की जाय। धारा 49 (ग)

2. 25—पुस्तकाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय। धारा 49 (ग)

2. 26—विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवा को ऐसी रीति से जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसंधान-कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। धारा 49 (ग)

2. 27—पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा। धारा 49 (ग)

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

धारा 18 तथा 49 (ग)

प्राक्टर

2. 28—प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जाँय।

धारा 49 (ग)

2. 29—प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायगी।

धारा 49 (ग)

2. 30—कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

धारा 49 (ग)

2. 31—प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परन्तु जब तक की उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकती है :

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व हटा सकते हैं।

धारा 49 (ग) तथा 49 (ङ)

2. 32—प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

अध्याय 3

धारा 90 (1) (ग)

कार्य-परिषद्

3. 01—संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा 20 (1) (ग) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य होंगे उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 7. 01 में प्रमाणित हैं।

3. 02—विश्वविद्यालय का एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक का, जो धारा 20 (1) (घ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे, चयन उनके अपने-अपने संवर्ग में, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

धारा 20 (1) (घ)

3. 03—सम्बद्ध महाविद्यालयों के (आयुर्वेदिक महाविद्यालय से भिन्न) एक प्राचार्य और एक अध्यापक का, जो धारा 20 (1) घ के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे, चयन, यथा-स्थिति, ऐसे प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा।

धारा 20 (1) (घ)

3. 04—धारा 20 (1) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, या विश्वविद्यालय के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

धारा 20 (1) (च)

3. 05—कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाय तो, वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करें, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस स्थान को जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है।

धारा 49 (क) तथा (ख)

3. 06— कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियां जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा 21 (8)

3. 07—कार्य-परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये जायेंगे।

धारा 20 तथा 49 (ख)

धारा 20 तथा 49 (ख)

3. 08—कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हों विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय 4

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 22 (i) (ix)

4. 01—(1) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 22 (1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :—

(क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य,
(ख) विश्वविद्यालय के तीन उपाचार्य;
(ग) विश्वविद्यालय के तीन प्राध्यापक;
(घ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;
(ङ) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक;
(च) सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के दो प्राचार्य तथा एक अध्यापक।

(2) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थित, आचार्य; उपाचार्य प्राध्यापक प्राचार्य अथवा, अन्य अध्यापक के रूप में उनकी ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

स्नातकों का रजिष्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

धारा 16 (4) तथा 49 (थ)

4. 02—कुल सचिव अपने कार्यालय में रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिष्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिष्टर कहा गया है।

धारा 49 (थ)

4. 03—रजिष्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(क) रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।
(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।

(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुये ।

(घ) रजिष्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनांक ।

(ङ) ऐसे अन्य व्योरे, जिनके वारे में कार्य-परिषद् समय-समय पर निदेश दे ।

टिप्पणीः—ऐसे रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गई हो ।

4.04—विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-षरिषद् द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-प्रत्र देने पर और इक्यावन रुपये की फीस देने पर रजिष्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है । आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिष्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है । यदि दो या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हो, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायगा । धारा 49 (थ)

4.05—आवेदन-पत्र. प्राप्त होने पर कुलसचिव यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक् रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिष्टर में दर्ज करेगा । धारा 49 (थ)

4.06—कोई रजिष्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम-निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिष्टर में लिखा हो, रजिष्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा । धारा 49 (थ)

4.07—कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा 22 (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र होगा, यदि उनका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो । धारा 22 (1) (ix) तथा 49 (थ)

धारा 22 (1) (ix) तथा 49 (थ)

4.03—धारा 22 (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, अथवा छात्रावास के प्रबन्धतंत्र से सम्वद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जायगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायगा।

धारा 22 (1) (xi) (xii)

4.09—कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहिले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.05 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

धारा 22 (1) (xi)

4.10—इस अध्याय के अधीन रजिष्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

धारा 22 (2) तथा 49 (ख)

4.11—सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

अध्याय 5

विद्या परिषद्

धारा 25 (2) (vii) 25 (3) तथा 49 (ख)

5.01—विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा 25 (2) के खण्ड (vii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनकी ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा।

धारा 25 (2) (viii) तथा 49 (ख)

5.02—ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 25 (2) के खण्ड (viii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :

(क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य।

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक।

(ग) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के चार अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

(घ) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों के तीन अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

टिप्पणी--(1) एक सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

टिप्पणी--(2) यदि एक महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों तो दो ज्येष्ठतम अध्यापक विद्या परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे अध्यापक जो इस प्रकार रह जायेंगे उनकी बारी चक्रानुक्रम से अगली वार आयेगी।

5.03--शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच व्यक्ति, जो धारा 25 (2) के खण्ड (xi) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, उनका सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (x) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुल सचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायगा जो विश्वविद्यालय, संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा 25 (2) (xi) तथा 49 (ख)

5.04--धारा 25 (2) के खण्ड (vi), (viii) और (xi) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिये पद धारण करेंगे।

धारा 25 (3) तथा 49 (ख)

धारा 25 (1) (ग)

5.05--अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्य-क्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय,

(ii) सभा अथवा कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना,

(iii) विश्वविद्यालय के किसी पाठचक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा, उपाधियों या प्रमाण-पत्रों को मान्यता देने के विषय में कार्य परिषद् को सलाह देना,

(iv) विश्वविद्यालय विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के संबंध में कार्य परिषद् को सलाह देना और

(v) शिक्षा संबंधी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

धारा 25 तथा 49 (ख)

5.06 —विद्या परिषद् का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जायगा।

अध्याय 6

वित्त समिति

धारा 49 (ख)

6.01 —धारा 26 (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा

धारा 26 (3) तथा 40 (क)

6.02 —व्यय की ऐसी नई मदें जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी—

(i) अनावर्ती व्यय आदि उसमें दस हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो; और

(ii) आवर्ती व्यय यदि उसमें तीन हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी-छोटी धनराशियों को वहुत सी मदें मानकर कार्य करे और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करे ।

6. 03—वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6. 02 अथवा परिनियम 6. 04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गयी व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को संसूचित करेगी । धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6. 04—यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 6. 02 में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्यपरिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी । धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6. 05—वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा । धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6. 06—वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो । धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6. 07—लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिये वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार अधिवेशन होगा । धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6. 08—वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखा जायगा । धारा 15 (7) तथा 49 (ग)

अध्याय 7

संकाय

धारा 27 (1)

7. 01—विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे अर्थात्:—

(क) वेद-वेदांग संकाय।

(ख) साहित्य-संस्कृति संकाय।

(ग) दर्शन संकाय।

(घ) श्रमण विद्या संकाय।

(ङ) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय।

(च) आयुर्वेद संकाय।

टिप्पणी—आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी से आयुर्वेद संकाय का गठन होगा।

धारा 27 (2)

7. 02—वेद-वेदांग संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:—

(1) वेद।

(2) धर्मशास्त्र।

(3) ज्योतिष।

(4) व्याकरण।

धारा 27 (2)

7. 03—साहित्य-संस्कृति संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:—

(1) साहित्य।

(2) पुराणेतिहास।

(3) प्राचीन राजशास्त्र-अर्थशास्त्र।

धारा 27 (2)

7. 04—दर्शन संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:—

(1) न्याय वैशेषिक।

(2) सांख्य-योग-तन्त्र-आगम।

(3) पूर्वमीमांसा।

(4) वेदान्त।

(5) तुलनात्मक धर्म-दर्शन।

7.05—श्रमण विद्या संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे:— धारा 27 (2)

(1) बौद्ध दर्शन ।
(2) जैनदर्शन ।
(3) पाली एवं थेरवाद ।
(4) प्राकृत एवं जैनागम ।
(5) "भारतीय विद्या संस्कृति एवं संस्कृत प्रमाणपत्रीय विभाग[1] ।" धारा 27 (2)

7.06—आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :—

(1) आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान ।
(2) सामाजिक विज्ञान ।
(3) शिक्षा शास्त्र ।
(4) विज्ञान ।
(5) ग्रन्थालय विज्ञान ।

7.07 आयुर्वेद संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :— धारा 27 (2)

(1) शरीर ।
(2) द्रव्यगुण ।
(3) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना ।
(4) काय-चिकित्सा ।
(5) शल्य-शालाक्य ।
(6) प्रसूति. स्त्री, बालरोग तथा अगदतन्त्र ।
(7) आयुर्वेद संहिता और आधारभूत सिद्धान्त ।

7.08—आयुर्वेद संकाय से भिन्न प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा : — धारा 27 (2)

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा ।

(ii) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष ।

(iii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों) ।

---

1. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 739/15-10-86-13 (10)-85 दि० 12 नवम्बर 1986 द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त ।

(iv) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हों, ज्येष्ठता क्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।

(v) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) और सम्बद्ध उपाधि महाविद्यालयों का एक ऐसा अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) जो संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापक हो, ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए।

(vi) तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों और जिनको संकाय को सौंपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा 27 (3)

7.09—आयुर्वेद संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा :—

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।

(iii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त आचार्य और उपाचार्य (जो विभागाध्यक्ष न हों)।

(iv) संकाय के प्रत्येक विभाग का एक प्राध्यापक ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए।

(v)तीन से अनधिक ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हो और जिनको संकाय को सौंपे गये विषयों में विशेष योग्यता रखने के कारण विद्या परिषद् नाम-निर्दिष्ट करे।

धारा 27 (3)
और 49 (ख)

7. 10—(1) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय, संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(2) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निदेश से बुलाया जायगा।

7. 11--अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्:-- धारा 27 (3)

(i) शिक्षा के पाठ्य-क्रम के सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

(ii) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

(iii) अपने कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

7. 12--इस अध्याय की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हो, खोलने का प्राधिकार है, जब तक कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और उसके लिए, आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय। धारा 27 (3)

अध्याय 8

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा निकाय

अनुशासनिक समिति

8. 01--(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे:-- धारा 49 (3)

परन्तु यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिये ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

धारा 49

8. 02—(1)अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) परिनियम 2. 07 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाय।

(2) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चित अभिभावी होगा।

"(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखी जायगी जिससे कार्य-परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके[१]।"

विभागीय समितियां

धारा 49

8. 03—परिनियम 2.22 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिये विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक विभागीय समिति होगी।

धारा 49

8. 04—विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य।

१— उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13:(10)-79 दि० 2 दिसम्बर 1980 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व-रूप "समिति का विनिश्चय या रिपोर्ट अन्तिम होगी; और कार्य-परिषद्, यथाशीघ्र; उसे कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगी" था।

(iii) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपाचार्य ।

(iv) यदि किसी विभाग में उपाचार्य तथा प्राध्यापक भी हों तो एक प्राध्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिये :

परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायगा ।

8. 05--विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :— धारा 49

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ii) विभाग में अनुसंधाान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त प्राधिकारी हो, सिफारिश करना;

(iv) विभाग के सामान्य और विद्या विषयक रूचि के मामलों पर विचार करना ।

8. 06—समिति का अधिवेशन एक-तिमाही में कम-से-कम एकबार होगा । इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे । धारा 49

परीक्षा समिति

8. 07—परीक्षा समिति, धारा 29 की उपधारा (3) में में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो । धारा 29 तथा 49 (क)

अध्याय 9

बोर्ड

धारा 49

9.01—विश्वविद्यालय के संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित बोर्ड होंगे, अर्थात् :—

(क) छात्र कल्याण बोर्ड,
(ख) समन्वय बोर्ड,
(ग) अनुसंधान और प्रकाशन संस्थान का बोर्ड,
(घ) पुस्तकालय बोर्ड,
(ङ) प्रथमा और मध्यमा अध्ययन तथा परीक्षा बोर्ड ।

धारा 49 तथा धारा 51

9.02—अरिनियम 9.01 में उल्लिखित बोर्डों की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय :

परन्तु उक्त परिनियम के खण्ड (क) में निर्दिष्ट छात्र कल्याण वोर्ड से संबंधित अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र-प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा ।

धारा 49 तथा धारा 51

9.03—जब तक कि परिनियम 9.02 के अनुसार नये बोर्ड का गठन न हो जाय, तब तक परिनियम 9.01 में उल्लिखित तथा इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांक को वर्तमान बोर्ड कार्य करता रहेगा ।

अध्याय 10

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा 29 तथा 49 (च)

10.01—विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(1) आचार्य;
(2) उपाचार्य; और
(3) प्राध्यापक ।

10.02—विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे :

धारा 31 तथा 49 (घ)

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिये नियुक्त किये जा सकते हैं जिनमें विद्या परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जायँ, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसंधान सहचर अथवा अनुसंधान-सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिये कहा जा सकता है।

10.03—कार्य परिषद् विद्या परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है :—

धारा 31 तथा 49 (घ)

(1) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट संविदा शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(2) अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य—

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसंधान कार्य का मार्ग-दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायँगी; और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे :

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

धारा 21 (i) (xvii) 31 तथा 49 (ण)

10.04—शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर, जिसकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

भाग 2

सम्वद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण

"10. 05—उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में—

(1) प्रधानाचार्य;

(2) सहायक आचार्य;

(3) आचार्य;

(4) शिक्षक।

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—

(1) प्रधानाचार्य;

(2) अध्यापक;

(3) सहायक अध्यापक।

(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में

(1) प्रधानाचार्य;

(2) अध्यापक;

(3) सहायक अध्यापक ज्येष्ठ

(4) सहायक अध्यापक कनिष्ठ

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालय में—

(1) प्रधान अध्यापक;

(2) अध्यापक

(3) सहायक अध्यापक"[1]

10.06—उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को सम्बद्ध सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें ऐसे वर्गों में रखा जा सकता है जिसे कार्य परिषद् उचित समझे। — धारा 31 तथा 49

10.07—सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य अध्यापक सम्बद्ध राज्य सरकार या संघक्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन-मान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे : — धारा 31 तथा 49

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्तूबर 1985 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व इस प्रकार था।

10.05—उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगेः—

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में—
   (1) प्रधानाचार्य
   (2) आचार्य/विभागाध्यक्ष
   (3) सहायक आचार्य/सहायक विभागाध्यक्ष
   (4) शिक्षक

(ख) उपाधि महाविद्यालयों में—
   (1) प्रधानाचार्य
   (2) अध्यापक
   (3) सहायक अध्यापक

(ग) उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में
   (1) प्रधानाचार्य
   (2) सहायक अध्यापक
   (3) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)
   (4) अध्यापक

(घ) पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में—
   (1) प्रधान अध्यापक
   (2) सहायक अध्यापक (ज्येष्ठ)
   (3) सहायक अध्यापक (कनिष्ठ)
   (4) अध्यापक

[× × × ×][1]

10. 08—[× × × ×][2]

10.09—परिनियम 10.05 से 10.07 तक के उपबन्ध राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों पर ऐसे परिष्कारों सहित लागू होंगे जो कार्य परिषद् द्वारा उचित समझे जायं।

अध्याय 11

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति

धारा 49

11. 01 "(1) वेद-वेदांग, साहित्य संस्कृति, दर्शन, श्रमण-विद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान (शिक्षाशास्त्र विभाग के सिवाय) संकायों की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें।

(क) सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी (सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और

(ख) अविछिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख (होंगी)।

(2) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकाय में शिक्षा-शास्त्र विभाग की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि अर्थात् एम० एड० की उपाधि। और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होगा।

° प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13(5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित।

1. वहीं/द्वारा निकाला गया। पूर्व रूप में इस प्रकार था—"परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबधतंत्र अवैतनिक या अंशकालिक अध्यापकों को ऐसे निबन्धनों पर नियुक्त कर सकते हैं जिसे वह उचित समझे"

2. वहीं। किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अंशकालिक या अवैतनिक अध्यापक उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में न हीं तो कोई पद धारण करेगा और न ही विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, निकाय या समिति का सदस्य होगा।'

(3) इस परिनियम के प्रयोजन के लिये—

(क) कोई ऐसा अभ्यर्थी (शिक्षाशास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद के लिये किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(ख) शिक्षाशास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने या तो बी० एड० की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(4) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होने प्राध्यापक के पद के लिये विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो, में अर्हता प्राप्त की हो।"[1]

11.02—"वेद वेदांग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमणविद्या और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान संकायों की स्थिति में,

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी, अर्थातः—

(1) डाक्टर की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और अनुसंधान कार्य या अध्यापन सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रुप से कार्यरत; और

1—उ० प्र० सरकार अधिसूचना सं० 977/15-10-89-15 (9)/88 दिनांक 25 मार्च 1989 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

(ii) अध्यापन या अनुसंधान कार्य का पांच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रुप में या किसी समकक्ष स्थिति में कार्य करने का अनुभवः

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसमें चयन समिति की राय में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया हो, उपखण्ड (2) में दी गयी अपेक्षाएं शिथिल की जा सकती है.

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी, अर्थातः—

या तो—

उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात विद्वता और अनुसंधान कार्य में सक्रिय रुप से कार्यरत और अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या अनुसंधान कार्य और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर अनुसंधान कार्य के मार्ग-दर्शन का अनुभव;

या—

विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिये संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वता।"[२]

धारा 49

11.03—परिनियम 1.02 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु वेतनमान और अर्हताएं) 1975 के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या 7251/15–10–75–60 (155)–73, दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 और 20 अक्तूबर, के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 31 तथा 49 (घ)

11.04—धारा 31 (10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार-पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है।

2—उ० प्र० सरकार अधिसूचना सं० 5675/15 10-80-13 (10)-79 दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

11.05—(1) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायगा।

धारा 31 (9) तथा 49 (घ)

(2) चयन समिति विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने उसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो :

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हो, नाम पर विचार कर सकती है।

(3) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्य परिषद् के अधिवेशन से बाहर चला जायगा, यदि ऐसे अधिवेशन में किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

11.06—(1) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करे तो वे स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है। जहां समिति सदस्यों के नाम अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहां यह समक्षा जायगा कि उसने यह इङ्गित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

धारा 30 तथा 31

(2) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

11.07—चयन समिति की सिफारिशें तथा उनके सम्बन्धित कार्य-परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी।

49 (ख)

धारा 21 (1) (xvii), 31 तथा 49 (घ)

11. 08—यदि धारा 31 (2) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण —

[i) सन्तोषजनक समझा जाय तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा-अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(ii) सन्तोषजनक न समझा जाय तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 30 तथा 49 (घ)

11. 09—चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

धारा 31 तथा 49 (घ)

11. 10—चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी, नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी।

धारा 31 तथा 49 (घ)

11. 11—अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी।

धारा 49 (ख)

11. 12—चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायगा।

और 49 (ख)

11. 12 (क) "अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पांच अग्रिम वेतनवृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच से अधिक अग्रिम वेतन-वृद्धि देना

आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायगा"[१] ।

11. 12-ख (1) परिनियम 11. 02 या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे:—

धारा 49

उपाचार्य का पद

(i) प्राध्यापक जो पी-एच० डी० हो और इस रूप में कम से कम 13 वर्ष की पूर्ण कालिक निरन्तर सेवा की हो ।

(ii) प्राध्यापक जो पी० एच० डी० न हो, किन्तु इस रूप में कम से कम 16 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो ।

आचार्य का पद

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो ।

स्पष्टीकरण—"उपाचार्य" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से होगा जिसने किसी विश्वविद्यालय में उपाचार्य के रूप में कार्य किया हो ।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट सेवा किसी अनुमोदित पद पर—

(i) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी होनी चाहिए ;

(ii) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिये कि कम से कम पांच वर्ष की स्थायी सेवा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से नियमित चयन के पश्चात् इस विश्वविद्यालय में की गयी हो ।

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13 (10)-79 दिनांक 2 सितम्बर 1980 द्वारा प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त ।

(3) विश्वविद्यालय का अध्यापक जो वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो, परिशिष्ट "ङ" में दिये गये निदर्श में स्व-मूल्यांकन विवरण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके संतोषप्रद कार्य के सम्बन्ध में सूचना होगी।

स्पष्टीकरण--"संतोषप्रद कार्य" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापक से प्रत्याशित कार्य के निर्देश में किये गये कार्य से होगा।

(4) अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्व-मूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजी भी हैं) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर जो उसके समक्ष रखे जायं या उसके द्वारा आवश्यक समझे जायं, विचार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिये चयन समिति का अधिवेशन प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होगा।

(5) चयन समिति कार्य परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद् खण्ड (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक पदोन्नति स्वीकृत करेगी।

(6) प्राध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ केवल उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये अनुमन्य होगा और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपाचार्य, आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिये हकदार नहीं होंगे।

(7) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति उक्त पद का भार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(8) वैयक्तिक पदोन्नति के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायगी।

(9) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाया जाय तो वह दो वर्ष के पश्चात् ऐसी पदोन्नति के लिये पुनः आवेदन कर सकता है और उसके

मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ-साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों, चयन समिति द्वारा विचार किया जायगा।

(10) यदि चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पायें तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(11) (i) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक पदोन्नति की जाय, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर पद समाप्त समझा जायगा।

(ii) उपाचार्य या प्राचार्य के पद पर जिस पर उसे वैयक्तिक पदोन्नति दी गयी थी, न रह जाने पर, उपाचार्य के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी और इसी तरह प्राध्यापक का उपाचार्य के पद पर न रह जाने पर प्राध्यापक के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी।"[1]

भाग 2

सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की अर्हतायें और नियुक्ति

11. 13— परिनियम 11. 14 से 11. 32 तक किसी राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से घोषित और प्रबन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू न होंगें। — धारा 31 तथा 49

11. 14—सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं) की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों में निर्धारित की जायं। — धारा 31 तथा 49

"11. 15 -प्रबन्धतन्त्र सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अध्यापकों को सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर, पूर्णकालिक — धारा 31 तथा 49

1—उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2180/15-10-85-13-(6)-80 दिनांक 28 सितम्बर 1985 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ-क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान में चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से नियुक्त करेगा।"[१]

धारा 31 तथा 49

"11. 16 (1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो), जो अध्यक्ष होगा;

(ख) सम्बद्ध सम्भाग का सम्भागीय उप शिक्षानिदेशक;

(ग) किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसे कम से कम 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा; "[२]

(घ) दो विशेषज्ञ जिन्हें कम से कम 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक या उस महाविद्यालय के जिसके लिए चयन किया जा रहा है, समीप स्थित सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्कृत विभाग का प्रधान होगा और दूसरा किसी समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य विद्यावान व्यक्ति होगा

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

संशोधन के पूर्व निम्नप्रकार से था—

'सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य और अध्यापक प्रबंधतन्त्र द्वारा पदों पर पूर्णकालिक आधार पर और सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन-मान में चयन समिति की सिफारिश पर एतद् पश्चात् रीति से नियुक्त किये जायेंगे।'

२—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

जो उप शिक्षानिदेशक के सम्भाग में निवास करता हो जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप शिक्षानिदेशक द्वारा तैयार किए गये पैनल से नाम निर्दिष्ट किया जायगा।

परन्तु आधुनिक विषयों के लिए, इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी जो सम्बन्धित उप निदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते है :

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्वद्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हो जिसके लिए चयन किया जाना है, अध्यापकों और उस महाविद्यालय के जिसके लिए चयन किया जाना है, न्किट निवास करने वाले विद्यावान व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं।" [१]

"(2) किसी सम्वद्ध महाविद्यालय के अध्यापक (प्राचार्य से भिन्न) कि नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्रबन्धतन्त्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य;

(ग) सम्वद्ध जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक;" [२]

(घ) दो विशेषज्ञ जिन्हें कम से कम 10 वर्ष के अध्यापन का अनुभव हो जो उस जिले से जिसमें महाविद्यालय स्थित हो,

---

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2106/15-10-87-13(5)-82 दिनांक 30 मई 1987 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

२—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

भिन्न जिले में समान या उच्चतर वर्ग के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक या प्राचार्य या सम्बद्ध विषय का कोई ऐसा सेवानिवृत्त अध्यापक या विद्वान व्यक्ति होगा जो उप शिक्षा निदेशक के सम्भाग में निवास करता हो, जिन्हें कुलपति द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के उप शिक्षानिदेशक द्वारा तैयार किये गये पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा :

परन्तु आधुनिक विषयों के लिये इस प्रकार तैयार किये गये पैनल में, कुलपति द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध ऐसे निकटतम महाविद्यालय से भी जो सम्बन्धित उपनिदेशक के सम्भाग के आसन्न हो, विशेषज्ञ सम्मिलित किये जा सकते है :

परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कुलपति ऐसे महाविद्यालयों के जो उस महाविद्यालय के निकट स्थित हों जिसके लिये चयन किया जाना है, अध्यापकों और उक्त महाविद्यालय के निकट निवास करने वाले विद्वान व्यक्तियों के अपने द्वारा तैयार किये गये पैनल में से विशेषज्ञ नाम-निर्दिष्ट कर सकते हैं।"[१]

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2106/15-10-87-13 (5) -82 दिनांक 30 मई 1987 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

नोट :—संशोधन के पूर्व परिनियम 11.16. (1) तथा 11.16 (2) इस प्रकार था :—

11.16—(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य; (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य, (जो महाविद्यालय का आचार्य या अध्यापक न हो);

(ग) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य महाविद्यालय का एक प्राचार्य; और

11.17—चयन समिति या प्रबंधतन्त्र का कोई सदस्य, यथास्थिति, चयन समिति या प्रबंधतन्त्र के अधिवेशन से बाहर चला जायगा यदि किसी ऐसे अधिवेशन में सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर ऐसे अधिवेशन में विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो। धारा 31 तथा 49

11.18—चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश तब तक विधिमान्य नहीं समझी जायगी जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो। धारा 31 तथा 49

11.19—परिनियम 11.18 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी। धारा 31 तथा 49

11.20—चयन समिति की सिफारिश और उससे सम्बन्धित प्रबंधतन्त्र की कार्यवाही गोपनीय होगी। धारा 31 तथा 49

11.21—किसी ऐसी रिक्ति में (जो किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई रिक्ति न हो) जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, नियुक्ति के लिये कोई चयन (कम से कम दो धारा 31 तथा 49

(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ जिनमें से एक विश्वविद्यालय अध्यापकों में से होगा।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की (प्राचार्य से भिन्न) नियुक्ति के किये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का कोई सदस्य, (जो महाविद्यालय का प्राचार्य या अध्यापक न हो) जो अध्यक्ष होगा;

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य (जो निम्नतर श्रेणी का महाविद्यालय न हो); और

(घ) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ (जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा)।

ऐसे समाचार-पत्र में)[१] जिसका सम्वद्धराज्य या संघ क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन हो, विज्ञापन दिये बिना नहीं किया जायगा और विज्ञापन में उस समाचार-पत्र के, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया जाय, निकलने के दिनांक से कम-से-कम तीन सप्ताह का समय सामान्यतः अभ्यर्थियों को दिया जायगा।

धारा 31 तथा 49

11. 22—(1) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान क्रम में रख सकती है। जहां समिति नामों को अधिमान क्रम में रखने का विनिश्चय करे, वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इंगित किया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(2) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

धारा 31 तथा 49

11. 23—किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अध्यापक की नियुक्ति की दशा में; यदि प्रबंधतंत्र चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतंत्र ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 51 तथा 49

11. 24—"किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों या अध्यापकों की समस्त नियुक्तियां प्रबन्धतन्त्र द्वारा कुलपति के लिखित अनुमोदन के पश्चात् ही की जायेंगी"[२] कुलपति नियुक्ति

१—उ० प्र० सरकार अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13-(9)-82 दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 द्वारा संशोधित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व शब्द "कम से कम एक ऐसे समाचार पत्र में" था।

२—वहीं। संशोधन के पूर्व "किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों तथा अध्यापकों की प्रवन्धतन्त्र द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ कुलपति के अनुमोदनार्थ होंगी" था।

से संबंधित आवेदन-पत्रों और अन्य पत्रादि मँगा सकता है और यदि उसकी राय में इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह उस मामले पर पुनः विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए उसे प्रबन्धतंत्र को वापस कर देगा। कुलपति और प्रवन्धतंत्र के बीच मतैक्य न होने की स्थिति में वह मामला कार्यपरिषद् को निर्दिष्ट किया जायगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. 25—स्थायी रिक्तियों में नियुक्त प्रत्येक प्राचार्य और अध्यापक एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। — धारा 31 तथा 49

11. 26—जब किसी निम्नतर श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालय की श्रेणी को बढ़ाया जाय और उसे उच्चतर श्रेणी में रखा जाय तो ऐसा महाविद्यालय एक मास के भीतर कुलपति को वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा और कुलपति के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह वर्तमान प्राचार्य और अध्यापकों को उस उच्चतर श्रेणी में जिसमें महाविद्यालय रखा गया है, प्राचार्य और अध्यापक के रूप में अनुमोदन करें : — धारा 31 तथा 49

परन्तु यदि वह प्राचार्य या अध्यापक ऐसी उच्चतर श्रेणी के महाविद्यालय के लिए प्राचार्यों या अध्यापकों के लिए परिनियमों या अध्यादेशों में विहित अर्हताएं या अन्य अपेक्षायें पूरी न करता हो तो कुलपति प्रबन्धतन्त्र से पद का विज्ञापन करने और नया चयन तथा नियुक्ति करने की अपेक्षा करेगा।

11. 27—सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रबन्धतंत्र के प्रधान के आदेश से बुलाया जायेगा। — धारा 31 तथा 49

11. 28—चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। — धारा 31 तथा 49

सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायगी ।

धारा 31 तथा 49

11.29 अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी । सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी ।

धारा 31 तथा 49

11. 30—सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों का यात्रा तथा दैनिक भत्ता सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा ।

धारा 31 तथा 49

11. 31—मौलिक रूप से या परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया सम्वद्ध महाविद्यालय का कोई प्राचार्य या अध्यापक अधिवार्षिता से भिन्न किसी अन्य आधार पर, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा से हटाया नहीं जायगा ।

धारा 31 तथा 49

11. 32—किसी प्राचार्य या अध्यापक—

(क) ऐसी रिक्ति में जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना न हो;

(ख) दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी प्राचार्य या प्रध्यापक को स्वीकृत छुट्टी के कारण होने वाली रिक्ति में, और

(ग) किसी अस्थायी पद के प्रति अस्थायी रिक्ति में;

स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति के लिए कुलपति का अनुमोदन आवश्यक न होगा ।

धारा 31 तथा 49

11. 33—(1) महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से, दस मास से अनधिक अवधि के लिए किसी पदधारी को स्वीकृत छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में चयन समिति को अभिदेश किये बिना, किसी अध्यापक को स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकता है, किन्तु किसी ऐसी रिक्ति या पद

को जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो, बिना ऐसा अभिदेश किये, नहीं भरेगा।

(2) जहां कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद पर, जिसके छः मास से अधिक बने रहने की सम्भावना हो और तत्पश्चात् ऐसा पद स्थायी पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय (चयन समिति को अभिदेश करने के पश्चात्) नियुक्त किया जाय, वहां प्रबन्धतन्त्र चयन समिति को पुनः अभिदेश किये बिना ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर सकता है।

अध्याय 12

भाग 1

सम्बद्ध महाविद्यालयों का वर्गीकरण

12. 01—विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित चार श्रेणी के होंगे:— धारा 37 (2)

(1) स्नातकोत्तर उपाधि महाविद्यालय-ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो आचार्य पाठचक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालय होंगे:—

(क) महाविद्यालय में कम से कम "60"[1] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलिगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की शास्त्री और आचार्य परीक्षा में कम से कम 15 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 35 प्रतिशत उक्त परीक्षा में सफल हों।

(2) उपाधि महाविद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो शास्त्री पाठचक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5335/15-10-85-13(5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रयुक्त। संशोधन के पूर्व अंक '40' था।

और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उपाधि महाविद्यालय होंगे:—

(क) महाविद्यालय में कम से कम "50"[१] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलिगत हों;

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से शास्त्री तक के परीक्षा में कम से कम 30 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 10 छात्र शास्त्री परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें कम से कम 35 प्रतिशत उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(3) उत्तर माध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो उत्तर मध्यमा पाठचक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के उत्तर माध्यमिक विद्यालय होंगे—

(क) महाविद्यालय में कम से कम "40"[२] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलिगत हों।

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से उत्तर मध्यमा तक की परीक्षा में कम से कम 25 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 10 छात्र उत्तर मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 35 प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षाओं में सफल हों।

(4) पूर्व माध्यमिक विद्यालय—ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय जो पूर्व मध्यमा पाठचक्रम की शिक्षा देने के लिए मान्यता प्राप्त हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, विश्वविद्यालय के पूर्व माध्यमिक विद्यालय होंगे:—

महाविद्यालय में कम से कम "35"[३] छात्र नियमित अध्ययन के लिए नामावलिगत हों;

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व अंक '40' था।

२—वहीं/संशोधन के पूर्व अंक '35' था।

३—वहीं/संशोधन के पूर्व अंक '25' था।

(ख) विश्वविद्यालय की प्रथमा से मध्यमा परीक्षाओं में कम से कम 15 छात्र सम्मिलित हों और उनमें से कम से कम 5 छात्र पूर्व मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हों उनमें कम-से-कम 35 प्रतिशत छात्र उक्त परीक्षा में सफल हों।

12.02—वर्तमान सम्बद्ध महाविद्यालय को परिनियम 12.01 के अनुसार विगत दो वर्षों में नामावलिगत छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों की संख्या और उनके परीक्षाफल के आधार पर, यथास्थिति, वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण किया जायगा। — धारा 37 (2)

12.03—यदि सम्वद्ध महाविद्यालय सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तें पूरी न करता हो या जिसने विहित शर्तें पूरी करना छोड़ दिया हो तो ऐसे महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्वद्धता निलंबित की जा सकेगी: — धारा 37 (2) तथा 37 (8)

परन्तु सम्बद्धता पुनर्जीवित की जा सकती है जबकि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता के निलंबन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपने से संबंधित श्रेणी के लिए विहित शर्तों को पूरा कर ले:

परन्तु यह और कि यदि महाविद्यालय सम्बद्धता के निलंबन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निहित शर्तो को पूरा करने में विफल रहता है तो ऐसे महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता वापस ले ली जायगी।

भाग 2

नवीन महाविद्यालयों को सम्वद्ध करना

"12.04—किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह वर्ष के जिससे सम्बद्धता मांगी गयी हो, पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर तक (100रूपये विलम्ब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक) कुलसचिव के पास पहुंच जाय।"[१] — धारा 37 (2) तथा 49 (ड)

१— उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5385/15-10-85-13-(5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 द्वारा संशोधित एव प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व 12.04 इस प्रकार था—

धारा 37 (2)
तथा 49 (ङ)

12. 05. "(1) उत्तर मध्यमा तक किसी महाविद्यालय की स्थिति में 500 रुपये की धनराशि का और अन्य मामलों में 100 रुपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो विश्वविद्यालय को देय हो;

(2) उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) की सिफारिश जो जिला विद्यालय निरीक्षक से जहां महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् की जायगी।

(3) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश और सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट, जहां महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश के वाहर स्थित हो।"[१]

"किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र के, जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता माँगी गयी है, प्रारम्भ होने के कम से कम छ मास पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय;

परन्तु विशेप परिस्थितियों में कुलपति, संस्कृत शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकता है जहाँ तक वह आवश्यक समझे।"

१—वहीं/संशोधन पूर्व इस प्रकार था।

"12. 05 (1) किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 500 रुपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नहीं किया जायगा।

(२) उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक या सम्बद्ध रीजन के संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट और

(ख) उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) उत्तर प्रदेश की सिफारिश।

12. 06—सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्योरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा अर्थात्—

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

(क) परिनियम 12.07 और 12.08 के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है;

(ख) पांच किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (ग्रामीण क्षेत्रों में) और एक किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (नगर क्षेत्रों में) आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त कोई अन्य सम्बद्ध संस्था नहीं है;

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने अपनी ऐसी उपयुक्त और पर्याप्त भवन की व्यवस्था की है या उसकी व्यवस्था करने के लिये उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो जिसमें—

(एक) पर्याप्त पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, सज्जा और प्रयोगशाला सुविधायें हों;

(दो) संस्था के नाम पर पर्याप्त भूमि हो;

(तीन) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधाएं हों

(घ) निम्नलिखित दर के अनुसार आरक्षित निधि और पूर्त निधि है, जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गिरवी रखा जायगा :—

---

(३) उत्तर प्रदेश के बाहर सम्बद्धता के लिये आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर सम्बद्ध सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट; और—

(ख) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश।

संस्था की श्रेणी	पूर्त निधि	आरक्षित निधि
1—स्नातकोत्तर	25,000 रुपया (नकद या सम्पत्ति)	3,000 रुपया नकद
2—स्नातक	20,000 रुपया (नकद या सम्पत्ति)	2,000 रुपया नकद
3—उत्तर मध्यमा	15,000 रुपया (नकद या सम्पत्ति)	1,000 रुपया नकद
4—पूर्व मध्यमा	10,000 रुपया (नकद या सम्पत्ति)	800 रुपया नकद

टिप्पणी: —शर्त (घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के मामले में लागू नहीं होगी।"[१]

१—उ० प्र० सरकार अधिसूचना सं० 5385/15 10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व 12.06 इस प्रकार था :—

12.06—सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्योरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा,

अर्थात्—

(क) परिनियम 12.07 और 12.08 के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है;

(ख) संस्था उस क्षेत्र में सस्कृत शिक्षा की माँग पूरी करती है;

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने—

(i) उपयुक्त और पर्याप्त भवन;

(ii) पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखनसामग्री उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधा।

(iii) पर्याप्त भूमि

(iv) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधा;

(v) कम से कम तीन वर्ष के लिये महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते के भुगतान; की व्यवस्था की है या उसके पास उपर्युक्त की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त संसाधन है।

धारा 37 (2)
तथा 49 (ङ)

12. 07—सरकार या किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप में प्रबन्धित महाविद्यालय से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र में यह व्यवस्था होगी कि—

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा;

(ख) प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं);

(गं) अध्यापक खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं;

(ग) प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेतर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा"[१]

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे;

(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा;

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतंत्र बैध रूप से गठित है या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13 (10)-79 दिनांक 2 दिसम्बर 1980 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज को ऐसी सोसायटी/न्यास/बोर्ड मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने को तैयार है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12. 08—कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो जिसमें प्रयोगशाला कार्य या व्यवसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रतर समाधान करेगा—

(क) प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है; और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपर्युक्त साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12. 09—(1) किसी ऐसे पाठ्यक्रम में जिसमें प्रयोगशाला कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा में यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों में दिये गये विषयों के संबंध में समाधान हो जाय तो आवेदन-पत्र कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायगा जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक पैनल नियुक्त करेंगे; । निरीक्षक पैनेल का व्यय सम्बद्धता चाहने वाली संस्था द्वारा वहन किया जायगा।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा में कुलपति महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए या तो निरीक्षक पैनेल नियुक्त कर सकता है या; यदि पूर्ववर्ती परिनियमों में उल्लिखित विषयों के संबंध में उसका समाधान हो जाय तो परिनियम 12. 05 की अपेक्षानुसार आवेदन पत्र के साथ की रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और आवेदन-पत्र को कार्य परिषद् के समक्ष रखेगा :

परन्तु कार्य परिषद् के समक्ष सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र रखे जाने के पूर्व विश्वविद्यालय को महाविद्यालय का निरीक्षण या पुनः निरीक्षण की छूट होगी।

12. 10—साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से चार मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन-पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति और उपलब्ध संसाधनों के संबंध में उसका समाधान न हो जाय।

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

"12. 11 (1)—सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व, उसका परीक्षण सम्बद्धता समिति द्वारा किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) कार्य परिषद् का एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति — सदस्य

(ग) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद से कम का न होगा। — सदस्य

(घ) निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उत्तर प्रदेश या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो किसी राजकीय डिग्री कालेज के प्राचार्य के पद से कम का न होगा — सदस्य

(ङ) कुल-सचिव — सदस्य-सचिव

(2) सम्बद्धता के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय साधारणतया उस वर्ष के जिसमें कक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 15 मई के पूर्व किया जायगा।"[१]

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13(5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व 12. 11 इस प्रकार था।

"12. 11 सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व उसका परीक्षण कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त सात

धारा 37 (2)
तथा 49 (ड)

12.12—जहां किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता दी जाय, वहां महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक् रूप से निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्तें सम्यक् रूप से पूरी कर ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयां हों तो वह महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने के लिए किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

भाग 3

नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा 31 (2)
तथा 49 (ड)

12.13—किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नई उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र की, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 31 जुलाई के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय :

परन्तु किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला कार्य अपेक्षित हो, या शिक्षा शास्त्र में सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र परिनियम 12,04 के अनुसार दिया जायगा और परिनियम 12.09 के उपबन्ध भी लागू होंगे।

धारा 37 (2)
तथा 49 (ड)

12.14—प्रत्येक महाविद्यालय, जो किसी नई उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र दे, अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिए 50 रुपया तथा

सदस्यों की समिति द्वारा किया जायग', जिसमें निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश पदेन सदस्य और कुलसचिव पदेन सदस्य और सचिव होंगे। किसी आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया साधारण उस वर्ष का, जिसमें कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 15 मई तक पूरी कर ली जायेगी।"

अधिक से अधिक 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) की धनराशि भेजेगा जो वापस नहीं की जायगी। परिनिमय 12.05 (2) और 12.05 (3) के उपबन्ध भी लागू होंगे

12.15--किसी नये विषय में सम्वद्धता के लिए किसी आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायगा जवतक कि कुलसचिव लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र न दे दे कि सम्वद्धता और/या पूर्व सम्बद्धता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12. 16--यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन पत्र सम्बद्धता समिति की सिफारिश से कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायगा। परिनियम 12.09 के उपबन्ध भी लागू होंगे। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12.17--साधारणतया सभी निरीक्षण 15 सितम्वर तक पूरे कर लिए जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा समय से कर सके। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12. 18--नई उपाधियां अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम 12. 12 द्वारा आरोपित निर्बन्धन लागू होंगे। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

भाग 4

सम्वद्धता का वना रहना

12. 19--प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करेगा। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

12. 20--प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कार और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों। — धारा 37 (2) तथा 49 (ङ)

धारा 37 (2) तथा 49 (ड)

12. 21—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक-वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक होंगे जिन्हें ऐसी वेतन-श्रेणी दी जायगी, और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो समय समय पर अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये सम्बन्धित सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड)

"12. 22—यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचार्य के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक सम्यक् रूप से चयन किया गया प्राचार्य पद ग्रहण न कर ले, परन्तु ऐसा अध्यापक ऐसी अवधि में वही वेतन आहरित करेगा जिसे वह अध्यापक के पद पर पाने का हकदार है और उसे प्राचार्य के पद का वेतन नहीं मिलेगा।"[१]

धारा 37 (2) तथा 49 (ड)

12. 23—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियमों या अध्यादेशों में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा :

परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में कुलपति ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधतन्त्र से परिनियम 12.05 और 12.06 में दी गई शर्तों में से ऐसी शर्तों को पूरा करने और उनका अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें कुलपति युक्तियुक्त समझें :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गई अपेक्षाओं की विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ति नहीं करता तो कुलपति परिनियम 12. 31 से 12. 35 के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

१.- उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85 13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम 12. 22 इस प्रकार था:—

"किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक प्राचार्य के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक कि सम्यक् रूप से चयन किया गया प्राचार्य पद न संभाल ले।"

12. 24—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष 15 अगस्त तक प्राचार्य से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती जा रहीं है । — धारा 37 (5) तथा 49 (ड)

12. 25—प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये अपेक्षित रजिस्टरों को रखेगा और समय-समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरण प्रस्तुत करेगा । — धारा 37 (5) तथा 49 (ड)

12. 26—महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के ऐसे समस्त पदों के संबंध में जो रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव "सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, जिला विद्यालय निरीक्षक और सम्बद्ध सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक" को दी जायगी ।"[१] — धारा 37 (5) धारा 49 (ड)

12. 27—किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ 60 से अधिक न होगी और कुलपति के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई नया अनुभाग प्रारम्भ नहीं किया जायगा । — धारा 37 (5) तथा 49 (ड)

"12. 28—जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र के संबंध में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके संबंध में "सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक" (क) के द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके कब्जे और नियन्त्रण में है, अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबंधतंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है : — धारा 49 (ण)

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त ।

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, "सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक" (ख) दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस बात का अवधारण करने के लिए कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके क़ब्जे तथा नियंत्रण में है "सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक" (ग) संस्था की निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर, संस्था की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियंत्रण ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को, जिसका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्व हो, ध्यान में रखेगा।"[१]

12.29—सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा निर्धारित शर्तों और विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशों और निदेशों का बराबर पालन किया जा रहा है।

भाग 5

सम्वद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

धारा 37 (6) तथा 49 (ड)

12.30—(1) जहां कार्य परिषद्, अथवा कुलपति किसी सम्वद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराये, वहां वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके संबंध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबंधतंत्र को निदेश दे सकता है।

(2) जहां किसी सम्वद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र कार्य परिषद् के संतोषानुसार कार्यवाही न करें, वहां परिषद् प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं०.5385/15-10-85-13 (5) -82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा (क, ख, ग,) 'कुलपति' के स्थान पर शब्द 'सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक' शब्द संशोधित तथा प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

समझें और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का पालन करेगा। निदेशों का पालन करने पर कार्य परिषद्, परिनियम 12. 33 के अधीन अथवा अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(3) यदि किसी कारणवश पूर्ववर्ती निरीक्षण के पाँच वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराना सम्भव न हो तो निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, या सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की. रिपोर्ट को विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट माना जायगा।

भाग 6

सम्बद्धता वापस लेना

12. 31—किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जाएगी यदि वह लगातार "तीन वर्षों तक"[1] विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे। (धारा 37 (8) तथा 49 (ड))

12. 32—कार्य परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों का प्रवेश न करने का निदेश दे सकती है, यदि कार्य परिषद् की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गई हो। किन्तु कार्य परिषद् की पूर्वानुज्ञा से उसके संतोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जा सकती है। (धारा 37 (8) तथा 49 (ड))

12. 33—यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस के जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य परिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर (धारा 37 (8))

1—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-85-13 (5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा संशोधित। संशोधन के पूर्व अंक 'पाँच' वर्ष था उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

सकती है कि जब तक कि कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जाय।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड)

12. 34—(1) कार्य परिषद् कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है, यदि वह कार्य परिषद् के निदेशों का अनुपालन न करे या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करे या घोर कुप्रबन्ध के कारण या किसी अन्य कारण से कार्य परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(2) यदि अध्यापक वर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो जिसके लिए वे परिनियमों या अध्यादेशों अथवा सम्बद्ध सरकार के आदेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अर्थान्तर्गत वापस ली जा सकती है।

धारा 37 (2) 37 (8) तथा 49 (ड)

12. 35—कार्य परिषद् पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व महाविद्यालय से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्धता की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

वित्त सम्परीक्षा तथा लेखा

धारा 49

12. 36—(क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(i) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य;

(iii) प्राचार्य (पदेन);

(iv) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

12.37—वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जिसे प्रबन्धतंत्र के समक्ष उसके विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायगा। — धारा 49

12.38 ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहिले से न ही सम्मिलित हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायगा। — धारा 49

12.39—बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए, जिसे वित्त समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायगा। — धारा 49

12.40—सभी छात्र निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति और इसी प्रकार की अन्य समिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी। — धारा 49

12.41—छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो उसके सदस्यों में से न होगा, की जायगी। संपरीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभार होगी। संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखा जायगा। — धारा 49

12.42—छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायगा। — धारा 49

अध्याय 13

अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, निर्धन छात्रवृत्ति, पदक तथा पारितोषिक

धारा 7 (12) तथा 49 (त)

13.01—विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां (जिसमें यात्रिक अधिछात्रवृत्ति भी सम्मिलित है), छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक संस्थित और प्रदान कर सकता है।

धारा 49

13.02—समस्त विन्यास और वसीयत निम्नलिखित रूप में होंगी:—

(क) नकद रूप में कोई धनराशि या ऐसे न्याय प्रतिभूति के रूप में जिसकी वार्षिक आय 500 रुपये से कम हो।

(ख) कोई स्थावर सम्पत्ति जिसका वार्षिक लाभ 500 रुपये से कम न हो।

धारा 49

13.03—सभी न्यास, चाहे वह वसीयत, दान के रूप में या सम्पत्ति अन्तरण के रूप में हो, उन समस्त मामलों में जिनमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण आवश्यक हो, लिखित रूप में और रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जायगा।

धारा 49

13.04—कार्य परिषद् इस निमित्त बनाये गये अध्यादेश के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करने की शर्तें अवधारित करेगी।

अध्याय 14

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा 7 (6) 10 (2) तथा 49 (ज)

14.01—डाक्टर आफ लेटर्स (डी0 लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला संगीत, चित्रकारी अथवा वेद-वेदांग, साहित्य-संस्कृति, दर्शन, श्रमण विद्या और आधुनिक

ज्ञान-विज्ञान संकायों को सौंपे गये किसी अन्य विषय कीं प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायगी।

14. 02—कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 10 (2) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है :

धारा 7 (6) 10 (2) तथा 49 (ज)

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

14. 03—विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिये धारा 67 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायगा। कुलसचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

धारा 49 (1) तथा 67

14. 04—सम्मानार्थ उपाधि,को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

धारा 49 (1) तथा 67

अध्याय 15

दीक्षान्त समारोह

15. 01—(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द)

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

धारा 49 (द) 15. 02—सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करे, आयोजित किया जा सकता है।

परन्तु स्थानीय दीक्षान्त समारोह का, यदि कोई हो, दिनांक सम्बद्ध वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के दिनांक के पूर्व न होगा।

धारा 49 (द) 15. 03—दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षांत समारोह परिनियम 15. 02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द) 15. 04—इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षांत समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा 49 (द) 15. 5—जहाँ विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिनियम 15. 10 से परिनियम 15. 04 के अनुसार दीक्षान्त मसारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय 16

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा 49 (घ) 16.01—परिनियम 10.03 (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को 10 मास से अनधिक के लिए छुट्टी स्वीकृत

किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा 31 (3) के अधीन नियुक्ति या धारा 13 (6) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ख' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

16.02—विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा। धारा 49 (घ)

16.03—परिशिष्ट 'ग' में दी गई आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 16.04 (1) के अर्थान्तिर्गत दुराचरण समझा जायगा। धारा 49 (घ)

16.04—(1) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है: धारा 49 (घ)

(क) कर्त्तव्य की जान-बूझकर उपेक्षा;

(ख) दुराचरण;

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में वेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से प्रथम अपराध के लिये दोषसिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(2) धारा 31 (2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्तूबर मास के पश्चात् दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होंने पर नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के

बदले में, यथास्थिति, तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायगा :

परन्तु जहां विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्व-विद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहां ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे :

धारा 32 (2) तथा 49 (घ)

16.05—धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुल सचिव के यहां जमा की जायगी।

धारा 21 (1) (xvii) तथा 49 (घ)

16.06—(1) परिनियम 16.04 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगाकर, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको :—

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु कार्य परिषद् या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी साक्षी को बुलाने से इनकार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद् किसी समय, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी।

(4) कार्य परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का संकल्प पारित कर सकती है अर्थात् अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियाँ रोकना और अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के यदि कोई हो, वेतन से (किन्तु जीवन निर्वाह भत्ते से नहीं) वंचित करना।

धारा 21 (1) (xvii) तथा 49 (घ)

16. 07—(1) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो परिनियम 8.01 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 16. 04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है, तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जाँच करने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि कोई हो, विचार किया जायगा।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करे वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने से ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में (समय-समय पर यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2 के भाग 2 के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

16. 08—परिनियम 16. 06 के खण्ड (2) या परिनियम 16. 07 के खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा 21 (1) (xvii) तथा 49 (घ)

"16. 09—विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठें भाग या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।"[१]

धारा 34 (1)

(2) खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्त्तव्य के लिये उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने दो मास के औसत वेतन या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक पारिश्रमिक नहीं लेगा।

16. 10—इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

धारा 49 (घ)

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13 (10)-79 दिनांक 2 दिसम्बर 1980 द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम 16. 06 इस प्रकार था:—

"विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को उस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा।

नाम-निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 16.11 द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस 'परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

16.11—कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा।

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हों, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

भाग 2

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49 (घ)

16.12—छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी:—

(क) आकस्मिक छुट्टी;
(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;
(ग) बीमारी की छुट्टी;
(घ) कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;
(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी;

(च) असाधारण छुट्टी;
(छ) प्रसूति छुट्टी ।

16. 13—आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से; जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है। — धारा 49

16. 14—एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य-दिवस तक संचित की जा सकती है। — धारा 49

16. 15—बीमारी की छुट्टी, वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रवन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम के कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायगी और संचित नहीं होगी। — धारा 49 (घ)

16. 16—विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया हो किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिये 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी। — धारा 49 (घ)

16. 17—किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, जैसे—लम्बी वीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिये दी जा सकती है; — धारा 49 (घ)

परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पाँच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है।

परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य-परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है :

"परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "अध्यापक अधिछात्र वृत्ति" के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्र वृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है"[१]

धारा 49 (घ)

16. 18—असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से, जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझें, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 16. 10 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है।"[२]

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13-(10)-79 दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम 16. 17 का तृतीय परन्तुक इस प्रकार था :—

"परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधि-छात्रवृत्ति' के लिये किया गया हो, ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अधि-छात्रवृत्ति की अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।"

२—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2102/15-10-84-15-(3)-84 दिनांक 14 मई 1984 द्वारा संशोधित एवं प्रति स्थापित। संशोधन के पूर्व परिनियम 16.18 इस प्रकार था—

"यह ऐसे कारणों से दी जा सकती है जिन्हें कार्य परिषद उचित समझे, किन्तु परिनियम 16.10 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़ कर यह कभी भी 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्वीकृत नहीं की जायेगी।

16. 18—असाधारण छुट्टी विना वेतन के होगी।

परिनियम 16.18 का संशोधन

"स्पष्टीकरण—(1) कोई अध्यापक जो कोई स्थाई पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उक्त पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिये स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—(2) राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर फाइनेनशियल हैण्डबुक खण्ड 2 भाग 2 से 4 फण्डामेन्टल नियम के 27 के अनुसार अपना वेतन समय मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोक हित में रहा हो।"[१]

16. 19—अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिये प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है :

धारा 49 (घ)

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायगी।

16. 20—छुट्टी अधिकारस्वरूप नहीं माँगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है और पहिले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

धारा 49 (घ)

१—उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13-(16)-79 दिनांक 2 दिसम्बर 1980 द्वारा स्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

धारा 49 (घ) 16. 21—किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण-पत्र माँगने के लिए सक्षम होगा।

धारा 49 (घ) 16. 22—दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

भाग 3

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 16. 23—इस भाग में, पद नये "वेतनमान" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेश संख्या शिक्षा 11-9045/15-14 (7)-73, दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के अनुसार किसी अध्यापक को अनुमन्य वेतनमान से है।

धारा 49 16. 24—(1) नये वेतनमान द्वारा नियन्त्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

(2) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, साठ वर्ष होगी।

(3) इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायगी।

"परन्तु यदि किसी अध्यापक अधिवार्षिता का दिनांक 30 जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा। और अपनी अधिवार्षिता के दिनांक के ठीक अनवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुर्नर्नियोजित समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिल रही हो, उसकी अधिवार्षिता के दिनांक से आगामी 30 जून के पश्चात् एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुर्ननियुक्त किया जायेगा और उनकी पुनः नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि समाप्ति न हुई हो, एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिये पुनः नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है।"[१]

16. 25—विश्वविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो 1 अगस्त, 1975 को परिनियम 16. 24 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त बढ़ायी गयी सेवा-अवधि में कार्य कर रहा था और इस प्रकार बढ़ाई गई सेवा अवधि उक्त दिनांक के पूर्व स्वीकृत की गयी थी, उक्त दिनांक को प्रवृत्त परिनियमावली और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर सेवा निवृत्त हो जायगा, किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 49

16.26—विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक परिनियम 16.24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस अध्यापक के साठवें जन्म के दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

धारा 49

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 4361/15-10-80-15(69)-80 दिनांक 8 अक्टूबर 1980, पुनः सं० 2008/15-10-82-15-(96)/80 दिनांक 30 जून 1982 तथा सं० 3599/15-10-85-10 (6)-85 दिनांक 29 जून 1985 तथा 3657/15-10-85-15 (185)-84 दिनांक 3 सितम्बर 1985 तथा 5644/15-10 87-10 (6)/85 दिनांक 18 दिसम्बर 1987 एवं 4405/15-10-88-15(185)/84 दिनांक 30 जून 1988 द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं परिवर्धितव संशोधनों के पूर्व इस प्रकार था—"परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून, को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक, अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक फिर से नियोजित समझा जायेगा।

भाग 4

अन्य उपबन्ध

धारा 49

16. 27—इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ठ 'ख' में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी।

धारा 49

16. 28—परिनियम 16.04 (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यायल से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

धारा 49

16. 29—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'घ' के प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रति में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो दी जायगी।

धारा 49

16.30—विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

धारा 49

16.31—जहां अधिनियम द्वारा इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई

नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय 17

भाग 1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तें

17.01—इस अध्याय के उपबन्ध किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे : — धारा 49 (ण)

17.02—किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में नियुक्ति को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'घ' में दिये गये यथास्थिति, प्रपत्र (1) या (2) में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे। — धारा 49 (ण)

17.03—(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले करार का एक भाग होगा। — धारा 49 (ण)

(2) परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 17.04 (1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा।

17.04—(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है— — धारा 49 (ण)

(क) कर्तव्य की जान-बूझकर उपेक्षा

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है;

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध-दोष होना;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,

(छ) अक्षमता, ।

(ज) "सरकार"[1] के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना ।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के, सेवा-संविदा समाप्त करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन यथास्थिति, दिया या वापस किया जायगा ।

परन्तु प्रबन्धतन्त्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतन्त्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिये स्वतन्त्र होंगे ।

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5385/15-10-82-13(5)-82 दिनांक 31 अक्टूबर 1985 द्वारा 'कुलपति' के स्थान पर शब्द 'सरकार प्रतिस्थापित एवं उक्त दिनांक से प्रवृत्त ।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

17.05—किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायगी। धारा 49 (ण)

17.06—(1) परिनियम 17.04 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे— धारा 49 (ण)

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियो को बुलाने और परीक्षण करने के लिए, जिन्हें वह चाहे,

पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु प्रबन्धतन्त्र या उसके द्वारा जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतन्त्र, किसी समय, साधारणतया जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक की सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी और अनुमोदन के लिए कुलपति को उसकी रिपोर्ट की

जायगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा जब कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतन्त्र, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, अर्थात्—

(1) विनिर्दिष्टावधि के लिए वेतन कम करना;

(2) तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना; तथा

(3) उसको निलम्बन की अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अन्तर्गत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना।

प्रबन्धतन्त्र द्वारा ऐसा दण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

धारा 49 (ण)

17.07—यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धतन्त्र उसको परिनियम 17.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपात स्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतन्त्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतन्त्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या आरोपों की सूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

धारा 49

17.08—परिनियम 17.06 के खण्ड (2) और परिनियम 17.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी

कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

"17.09—सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेंडर वर्ष में धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के छठे भाग या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।"[१]

धारा 49

17. 10–इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—

धारा 49

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से या इस परि-

---

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं 5675/15-10-80-13 (10) -79 दिनांक 2 दिसम्बर 1980 द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व परिनियम 17.09 इस प्रकार था—

(१) विश्वविद्यालय के प्रयोज्य वेतनमान में वेतन पाने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायगा।

(२) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्तव्य के लिये तीन हजार रुपये या विश्वविद्यालयों के अध्यापकों पर प्रयोज्य वेतनमान में वेतन पाने वाले अध्यापकों की दशा में उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने 2 मास के औसत वेतन, जो भी कम हो, से अधिक कुल पारिश्रमिक नहीं लेगा।

नियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचन या नाम-निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम 17.11 द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग-पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण--इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

धारा 49

17. 11--किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहाँ महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

भाग 2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49

17. 12--विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम से सम्बद्ध परिनियम 16. 12 से 16. 22 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो क्रमशः शब्द "कार्य परिषद्" और "कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतन्त्र" और "प्राचार्य या निर्देशक" रखे गये हों।

भाग 3

अधिवर्षिता की आयु

17. 13—विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु से सम्बन्धित परिनियम 16. 23 से 16. 26 के उपवन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होंगे । — धारा 49

भाग 4

अन्य उपवन्ध

17. 14—इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतन्त्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ट 'घ' में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1) या (2) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी । — धारा 49 (ण)

17. 15—परिनियम 17. 04 (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्वद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा । — धारा 35 तथा 49 (ण)

17. 16—परिनियम 16. 07 के खण्ड (2) से (4), परिनियम 16. 29, 16. 30 और 16. 31 के उपवन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कार के साथ लागू होंगे, अर्थात्— — धारा 49 (ण)

(क) परिनियम 16. 07 के खण्ड (2) से (4) में, क्रमशः "कुलपति" और "कार्य परिषद्" के स्थान पर शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "कुलपति" रख दिये जायेंगे;

(ख) परिनियम 16. 29 में शब्द "कुलपति" और "विभागाध्यक्ष" के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" रख दिया जायगा।

अध्याय 18

भाग 1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 16 (4) तथा 49 (घ)

18. 01--इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 16 (4) तथा 49 (घ)

18.02—कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा 49 (घ)

18.03--संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

धारा 49 (घ)

18.04 –विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा :

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा 49 (घ)

18.05—विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा :—

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(ख) एक ही संवर्ग में, किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उस संवर्ग में, मौलिक रूप में उसकी अनवरत सेवा-अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी :

परन्तु जहां संवर्ग के पदों पर एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय की गयी हों, और, यथास्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी।

(ग) जब (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में "चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो"[१] मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति की श्रेणी के पद पर "चाहे पहली अगस्त 1981 के पूर्व या उसके पश्चात्"[२] नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा-अवधि को उसके सेवा-काल में सम्मिलित किया जायगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक "चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात्"[३] विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त

१—उ०प्र० सरकार को अधिसूचना संख्या 151/15-10-82-11 (12) /81 दिनांक 5 अप्रैल 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

२—वहीं,

३—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 5675/15-10-80-13-(10) -79 दिनांक 2 दिसम्बर 1980 द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा-अवधिकी आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायगा।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में, पद "प्रशासकीय नियुक्ति" का तात्पर्य धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन की गयी नियुक्ति से है।

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा 31 (3) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी।

धारा 49 (घ)

18.06--जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी:—

(i) आचार्यों की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा;

(ii) उपाचार्यों की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा;

(iii) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

धारा 49 (घ)

18. 07—जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है, वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायगी।

18. 08—(1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्—

धारा 49 (घ)

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 31 (8) (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलो में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यता क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता-क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जाँय सूचना सम्वद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

18. 09—(1) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे :

धारा 19 (झ)
तथा 49
धारा (घ)

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवाद ग्रस्त हो) सम्बन्ध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य

परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

भाग 2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 49 (ण)

18. 10—सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा :—

(क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(ख) उच्चतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य निम्नतर श्रेणी के किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा;

(ग) उच्चतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय के किसी विशिष्ट संवर्ग का कोई अध्यापक निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय के ऐसे संवर्ग के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा ;

(घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता उसी श्रेणी के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों में अवधारित की जायगी;

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा-काल के अनुसार अवधारित की जायगी।

(च) प्रत्येक हैसियत में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गई सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य-भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायगी :

(छ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उसी श्रेणी के किसी अन्य महाविद्यालय में मौलिक रूप से की गई सेवा को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायगा परन्तु ऐसे

अन्य महाविद्यालय की सेवा उसी संवर्ग और उसी श्रेणी की हो;

(ज) एक ही श्रेणी के महाविद्यालयों के अध्यापकों में उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवर्ग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा,

(झ) अन्यत्र सेवा के लिए ली गई छुट्टी की अवधि की गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायगी।

18.11—जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापक की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी :—

धारा 49 (ण)

(i) प्राचार्यों की स्थिति में निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(ii) अध्यापकों की स्थिति में, निम्नतर श्रेणी के किसी महाविद्यालय में उसी संवर्ग में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(iii) यदि दो या अधिक प्राचार्य अथवा अध्यापक समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, और उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता पूर्ववर्ती किन्हीं उपबन्धों के अधीन अवधारित न की जा सके तो ऐसी ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

18.12—जहां विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य या अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जाती हो, जहां केवल प्राचार्य या ऐसे अध्यापक के रूप में की गई सेवा की गणना की जायगी और जहां दो या अधिक प्राचार्य या अध्यापक इस प्रयोजन के लिए समान अवधि की मौलिक सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां उनकी सापेक्ष-ज्येष्ठता आयु की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायगी।

धारा 49 (ण)

धारा 49 (ण)

18.13—(1) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किए जायें तब उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम में जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की जायगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गई हो तो उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र द्वारा अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा 49 (ण)

18.14—एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किए जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगे।

धारा 49 (ण)

18.15—सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किए जायेगें जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसूचित किए जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

धारा 49 (ण)

18.16—(1) परिनियम 18.08 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होंगे सिवाय इसके कि क्रमशः शब्द "कार्य परिषद्" और 'कुलाधिपति" के स्थान पर शब्द 'प्रबन्धतंत्र" और "कुलपति" रख दिये जायेंगे।

(2) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की सापेक्ष-ज्येष्ठता सूची इस अध्याय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तैयार की जायगी और रखी जायगी।

(3) एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों में उच्चतर संवर्ग या श्रेणी का अध्यापक निम्नतर संवर्ग या श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(4) इस अध्याय में दिये गये परिनियम से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व महाविद्यालय में नियोजित एक ही महाविद्यालय के अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभ्यास 19

छात्रावास

19. 01—विश्वविद्यालय अपने छात्रों के निवास के लिए छात्रावास या छात्रावासों का अनुरक्षण करेगा। धारा 49

19. 02—कार्य परिषद्, पूर्ववर्ती परिनियम में निर्दिष्ट छात्रावास या छात्रावासों का नियन्त्रण और प्रबन्ध करेगी। छात्रावास का आन्तरिक प्रशासन और अनुशासन एक वार्डेन में निहित होगा, जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जायगा। वार्डेन के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। वार्डेन के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति शेष अवधि के लिए कुलपति द्वारा भरी जायगी। धारा 49

19. 03—विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावास में निवास करने के लिये शर्तें अध्यादेश द्वारा विहित की जायँगीं और प्रत्येक छात्रावास का निरीक्षण छात्रकल्याण के संकायाध्यक्ष, कुलपति या कार्यपरिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा। धारा 49

19.04—छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष ऐसे छात्रों के जिन्हें छात्रावास में स्थान न मिल सके, अन्य निवास-स्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिये कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकता है। धारा 49

19.05—प्रत्येक ऐसे छात्र को जो किसी छात्रावास या मान्यता प्राप्त निवास स्थान में निवास न करता हो, शिक्षकीय धारा 49

सहायता और अनुशासनिक पर्यवेक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो अध्यादेश में विहित किये जायं, किसी छात्रावास से सम्बद्ध रहेगा।

अध्याय 20

अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

धारा 7 तथा 49

20.01—विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् उन अध्यापकों को जो लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान् हों—

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी को पढ़ाने और तैयार करने,

(ख) विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के लिए अभ्यर्थियों को अनुसंधान कार्य के लिए मार्ग दर्शन करने और तैयार करने के लिए मान्यता दे सकती है।

धारा 7 तथा 49

20.02—विद्या परिषद् की सिफारिश पर कार्य परिषद् किसी शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय की अनुसंधान उपाधि के लिये अभ्यर्थियों को, जो परिनियम 20.01 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक के मार्गदर्शन में अपना अनुसंधान कार्य करेंगे, तैयार करने की मान्यता दे सकती है।

धारा 49

20.03—परिनियम 20.01 और 20.02 के अधीन अध्यापकों या किसी विश्वविद्यालय या किसी शिक्षा संस्थान को मान्यता देने की रीति अध्यादेशों द्वारा विहित की जायगी :

अध्याय 21

प्रकीर्ण

धारा 49 तथा 64

21.01—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होंगे।

धारा 7

21.02—धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी

परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है, परन्तु—

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता हो; और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित न हो जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो।

21.03—परिनियम 21.02 का उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित पत्राचार पाठ्यक्रम पर लागू होगा। धारा 7

"21. 04—इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दी गयी किसी बात के होते हुए भी,—

(i) किसी विद्या वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायगा,

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाएँ 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी, और

(iii) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे :

"परन्तु 1986-87 के विद्या सत्र के लिये विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें 15 जून, 1987 तक पूरी की जा सकती हैं और सभी परीक्षाफल 31 जुलाई, 1987 तक घोषित किये जा सकते हैं और सत्र 1987-88 के लिये प्रवेश 15 सितम्बर, 1987 तक पूरे किये जा सकते हैं।"[१]

"21. 05—किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षा फल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी० एड० परीक्षा के, या एल० एल० बी० के किसी एक वर्ष

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 3274/15-10-87-15 (382)-86 दिनांक 8 जुलाई 1987 द्वारा बढ़ाया गया तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

की परीक्षा के या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के, एक प्रश्न पत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।"[१]

अध्याय 22

अधिभार

परिभाषायें

22. 01—जब तक विषय या सदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में,—

(1) "परीक्षक" का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।

(2) सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख), (ग) और (ङ) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम 2. 01—क के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

22. 02—(1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या

१—उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० 4172/15-10-88-15 (382)/86 दिनांक 15 जून 1988 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संशोधित। संशोधन के पूर्व परिनियम 21. 05 जो 8 जुलाई 1987 से बढ़ाया गया था इस प्रकार है– "21. 05—विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायगा और अनुपूरक परीक्षायें संचालित नहीं की जायेगी :

परन्तु परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी० एड० परीक्षा के किसी एक वर्ष के एक प्रश्न-पत्र में या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्न-पत्र में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।"

अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि को हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायगा :

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से माँगा जायगा।

टिप्पणी: –(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जाँच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हों, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायगा और दिखाया जायगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है :—

(क) जहाँ व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो ;

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेण्डर स्वीकार करने से हुई हो ;

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो ;

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो;

(ङ) जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को, ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए युक्तियुक्त साव-धानी न बरतने के कारण हानि हुई हो ।

(3) उस अधिकारी की जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधायें देगा । परीक्षक, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्ति-युक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका ।

स्पष्टीकरण:—अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परि-नियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करने को अवचार करना समझा जायगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यवस्था दुरुपयोग समझा जायगा ।

22.03—विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के

पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिए, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथक्तः देनदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, किसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी न होगा ।

22.04--परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यास्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है । आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे । इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी ।

22.05--(1) अधिकारी जिसपर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनाँक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यदि परीक्षक, द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनियम 22.04 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं। जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू- राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

22.06—जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चें का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे।"[१]

१—उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 929/15-10-85-15-(75)-33 दिनांक 20 मार्च 1985 द्वारा खण्ड 22 बढ़ाया गया तथा 26 दिसम्बर 1978 से प्रवृत्त।

परिशिष्ट 'क'

(परिनियम 4, 10 और 21, 01 देखिये)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन

भाग 1

सामान्य

1—जब तक कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो :

(i) "अभ्यर्थी" का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट किया गया हो ;

(ii) "अनवरत अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो ओर न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो ;

(iii) "निर्वाचक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह हो ;

(iv) "निःशेष पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायगा यदि—

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न हों, समान अंक से चिह्नित हों और उनका स्थान अधिमान-क्रम में अगला हो ; या

(ख) अधिमान-क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह अनवरत हो या न हो—

(1) ऐसे अंक से चिह्नित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हो ; या

(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिह्नित हो।

(v) "प्रथम अधिमान मत" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने मतपत्र में अंक '1' लिखा हो, "द्वितीय

अधिमानमत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक '2' लिखा हो ; ''तृतीय अधिमान मत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक '3' लिखा हो और इसी क्रम में आगे भी लिखा हो ;

(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ''मूल मत'' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत में है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो ;

(vii) ''कोटा'' का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से है जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो ;

(viii) ''आधिक्य'' का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो ;

(ix) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, ''संक्रमित मत'' का तात्पर्य ऐसे मत पत्र द्वारा प्राप्त मत से है, जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांकन या मूल्यांक का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय ;

(x) ''अनिःशेषपत्र'' का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो ।

2—कुल सचिव रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा ।

3—कुलपति—

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियम के उपबन्धों के अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी ।

(ii) सन्देह की दशा में किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा ।

4—सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययता के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मत पत्र से किया जायगा । अन्य निर्वाचन सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किया जायेगा ।

5—मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :—

विश्वविद्यालय का नाम

निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचन—

अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान-क्रम 1, 2, 3, इत्यादि अंकों द्वारा (रिक्त स्थान में) इंगित किये जायेंगे।

————————

————————

————————

6—निर्वाचक अपना मत देने में—

(i) अपने मतपत्र पर अङ्क 1 उस अभ्यर्थी के सामने लिखेगा जिसको कि वह अपना मत दे. और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता का उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2, 3, 4 तथा इसी प्रकार अविच्छिन्न अंकों द्वारा लिख कर व्यक्त कर सकता है।

7—वह मतपत्र अविधिमान्य होगा—

(i) जिस पर अंक 1 न लिखा हो; या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अङ्क 1 लिखा हो, या

(iii) जिस पर एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे अङ्क 1 तथा कोई अंक लिखा हो; या

(iv) जिस पर अंक 1 ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत है; या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिह्न बना हो जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सके; या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिट गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो; या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्रपत्र में न हो।

भाग 2

डाक मत-पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

8—डाक मत पत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास, उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

9—कुल सचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायेगी भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो और एक प्रमाण-पत्र कि ऐसा किया गया है, कुल सचिव तथा निर्वाचन तैयार करनें में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायगा।

10—प्रत्येक निर्वाचन को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम-निर्देशन करने का विकल्प होगा।

11—प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा; और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम-निर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम-निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते है। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12—नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुल सचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा जो नाम-निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

13—कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निर्देशन की

प्राप्ति के लिए अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुप्रमाणन पर सम्बधित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिये।

14—कुल सचिव नाम-निर्देशन पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहें उस अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं।

15—कुलसचिव विधिमान्य नाम-निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम-निर्देशन पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अंभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन-पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात् वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होंगा।

16—यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायगा।

17—यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानो की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा।

18—कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बायीं ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचन की संख्या, निर्वाचन-क्षेत्र का नाम और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा।

19—(i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक से सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करायेगा :—

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष ;

(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी ।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा ।

(iii) निर्वाचक मतपत्र को बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के सम्यक् रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा और तब उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यक् रूप से मुहर बन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा ।

20—मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुँच जाना चाहिये । यदि मत-पत्र नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा ।

21—यदि दो या उससे अधिक मतपत्र एक ही लिफाफे में भेजे जाएँ तो उसकी गणना नहीं की जायगी ।

22—कोई मतदाता, जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आशय का स्व-हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अ नुरोध कर सकता है । कुलसचिव प्राप्त न हुए, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय "द्वितीय प्रति" अंकित करके दूसरी प्रति जारी कर सकता है ।

23—कुलसचिव मत-पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिये निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा !

24—संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायगी जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत-पत्र का निरीक्षण करने की माँग करने का हक न होगा ।

25--कुलसचिव को यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करें।

26--नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मतपत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27--विनिमान्य मतपत्रों को छाँटकर उनकी पार्सल वनायी जायेगी। एक पार्सल में वे समस्त मतपत्र होंगे जिसमें किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28—इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम वनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मतपत्र का मूल्यांक एक सौ समझा जायगा।

29—परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुलसचिव—

(i) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा;

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिये अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

30—कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्यांक का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

31—यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होने हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

32--(i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान-क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हों।

33—(i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जायगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायगा तथा परिणाम के न्यूनता क्रमके अनुसार दूसरों से बरता जायगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्भूत आधिक्य से पहले बरता जायगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य केवल मूलमतों से उद्भूत हो तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो पार्सल के सब मतपत्रों की जांच करेगा और अनि:शेष-पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा। वह नि:शेष-पत्रों का भी एक पृथक् उप-पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल के मत-पत्रों का तथा अनि:शेष मत पत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनि:शेष मत पत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वे सब अनि:शेष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनि:शेष-पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनि:शेष-पत्रों के उप-पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत पत्र संक्रमित किया जायेगा आधिक्य को अनि-शेष-पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाला आधिक्य संक्रमित तथा मूल मतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में संक्रमित उप-पार्सल के समस्त मत पत्रों की पुनः जांच करेगा

तथा अनि:शेष पत्रों की उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप-पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मत-पत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिये जायेंगे।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप-पार्सलों के वे सब मत पत्र जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

34—(i) यदि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनि:शेष-पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हो। कोई नि:शेष-पत्र अन्तिम रूप में अलग रख दिया जायगा।

(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूल मत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायगा, प्रत्येक मतपत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुए हैं।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक् संक्रमण समझा जायगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निदेशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाय।

35—यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, और अग्रेतर कोई मतपत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा।

36—(i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात्, किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी की अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद्पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायगा।

37—(i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घट कर अपूरित रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जायें, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूरित रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्ति अपूरित रह जाय और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाय तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

38—जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाय और दो या उससे अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूलमतों पर ध्यान दिया जायगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों तो यथास्थिति, उसका आधिक्य पहले वितरित किया जायगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायगा। यदि उसके मूल मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

39—पुनर्गणना—यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है।

परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40—संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात्, कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41—कुलसचिव नाम निर्देशन पत्र तथा मतपत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायगा।

भाग 2

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42—विश्वविद्यालय प्राधिकारी या निकाय के किसी अधिवेशन में, आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियाँ आमन्त्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम-निर्देशन आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक् रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस किये जा सकते है। मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिये ठीक समय पर प्राप्त हो गई हो तथा उसमें अन्य नाम जिसके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी है, बढ़ाने के लिये रिक्त स्थान होगा। कुल सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन को, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी।

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 16.01 देखिए)

विश्वविद्यालय के अध्यापक-वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ....19.............. को श्री / श्रीमती / कुमारी.......................प्रथम पक्ष तथा.....................विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया :

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1—विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा, प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती/कुमारी..................को दिनांक..............से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, अपने पद से कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का बचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना, और किसी पाठ्य-चर्या या नैवासिक कार्य-कलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायें, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है जिसके अधीन यह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद्, स्वविवेकानुसार परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2—अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा-निवृत्त होगा :

3—अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान..........होगा। अध्यापक को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में........................रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु जहां समयमान में कोई दक्षता रोक विहित है, वहाँ दक्षता-रोक के ऊपर अगली वेतन-वृद्धि अध्यापक की वेतन-वृद्धि रोकने के लिए सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

4—अध्यापक विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त

अधिनियम या इसके बनाये गये किन्हीं परिनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निदेशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5 अध्यापक एतद्द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6 --किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उसके कब्जे में हों विश्वविद्यालय को दे देगा।

7 —समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षर।

साक्षी—

1...............

2—.........

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ग'

(परिनियम 16. 02, 16.03, 16-27 और 17.14 देखिए)

अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

यतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन,

वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय :

1—प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।

2—कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3—कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

4—कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद-भाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5—कोई भी अध्यापक, यथास्थिति विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चियों को कार्यान्वित करने से इंकार नहीं करेगा।

6—कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्य-कलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

परिशिष्ट 'घ'

(परिनियम 17.02 और 17.14 देखिए)

(1) सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक..............19..............को..........प्रथम पक्ष, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से.............. महाविद्यालय.....................के प्रबन्धतंत्र द्वितीय पक्ष, जिसे आगे महाविद्यालय कहा गया है, के मध्य किया गया।

महाविद्यालय ने अध्यापक को, आगे दी गयी शर्तों और निवन्धों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिए.....................के रूप में नियुक्त किया है। अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि अध्यापक और महाविद्यालय, एतद् द्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं :—

1—नियुक्ति दिनांक....... ....19 . ...से प्रारम्भ होगी और एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।

2—अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा-अवधि पर नियोजित है और उसे........................रुपये का मासिक वेतन दिया जायगा। परिवीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जितनी कि महाविद्यालय उचित समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

3—परिवीक्षा-अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिए... ....रुपये (केवल ....रुपये) प्रति मास की दर से देगा जिसे........ ....रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि से बढ़ाकर...............रुपये प्रतिमास कर दिया जायगा। वेतन-मान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

4—उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायगा और महाविद्यालय प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

5—अध्यापक विश्वविद्यालय या प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उच्च प्राधिकारियो के पास भेज देगा।

6—अध्यापक साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सौंपे जाय।

7—अन्य समस्त मामलों से इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

आज दिनांक......... ...19............को...   .... द्वारा प्रवन्धतंत्र की ओर से हस्ताक्षरित,

निम्नलिखित की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा :

साक्षी...... ...

1...

2...

(2) सम्वद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र—

यह करार आज दिनांक........... 19.............को... ......(जिसे आगे प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से.. .... महाविद्यालय के.........................(जिसे आगे प्रबन्धतंत्र कहा गया हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया।

प्रबन्धतंत्र ने प्रथम पक्ष के पक्षकार को आगे दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्राचार्य और प्रबन्धतंत्र एतद् द्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके लिए सहमत है :—

1—यह सेवा-संविदा दिनांक......... ...19.............से प्रारम्भ होगी और आगे व्यवस्थित रीति से अवधार्य होगी।

2—प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि की परिवीक्षा पर नियोजित है और उसे..............रुपये का मासिक वेतन दिया जायगा। परिवीक्षा-अवधि प्रबन्धतंत्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

3—परिवीक्षा-अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतंत्र प्राचार्य को.............रुपये के वेतनमान में केवल..............रुपये (...... ......रुपये) प्रति मास की दर से देगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

4—उक्त मासिक वेतन, जिस मास में वह अर्जित किया जाय उसके अगले मास के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और प्रबन्धतंत्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनांक तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

5—प्राचार्य ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हो तथा ऐसे कर्तव्यों के सम्यक् रूप से पालन के लिये उत्तरदायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य-तुस्तकों का चयन, महाविद्यालय की अध्यापन सारणी की व्यवस्था महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के समस्त सदस्यों को कार्य वितरण, वार्डन, प्राक्टरों, खेल-कूद अधीक्षकों आदि की नियुक्तियाँ, कर्मचारीवर्ग की छुट्टी स्वीकृत करना, निम्न श्रेणी के कर्मचारिवर्ग यथा चपरासी; दफ्तरी, माली, तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों की निःशुल्कता और अर्द्धनिःशुल्कता स्वीकृत करना, वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावासों का नियंत्रण करना, छात्रों का प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल-कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना। वह छात्रों की समस्त निधियों, यथा खेल-कूद निधि, पत्रिका निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय निधि, परीक्षा निधि, आदि का प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से, तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा किसी अर्ह लेखाकार द्वारा, जो प्रबन्धतंत्र के सदस्यों में से न होगा उक्त लेखों की सम्परीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए, करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर यथार्थ प्रभार होगा।

उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियां होगी जिससे आपत्तिकाल में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को, प्रबन्धतंत्र को सूचित किये जाते और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करेगा। वित्तीय तथा अन्य मामलों में जिसके लिए केवल वही उत्तरदायी नहीं है, प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र के निदेशों का, जैसा उसे सचिव के माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्धतंत्र या सचिव द्वारा कर्मचारियों के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारिवर्ग का कोई भी सदस्य सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य को लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियाँ होगी जिसके अन्तर्गत वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यालय में समस्त नियुक्तियां उसकी सहमति से की जायेगी।

6—प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र तथा प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मत देने की शक्ति होगी :

परन्तु वह उस समिति का सदस्य न होगा जो उसके आचरण की जाँच करने के लिये नियुक्त की जाय।

7—प्राचार्य के जन्म का दिनांक ··········है जिसके प्रमाण में उसने हाई स्कूल का प्रणाण-पत्र/·······परीक्षा का प्रमाण, जिसे हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष माना गया है, प्रस्तुत किये हैं और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

8—अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय-समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

प्रबन्धतन्त्र की ओर से···············द्वारा आज दिनांक··········19·········की हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा—

साक्षी (1)

पता··················

साक्षी (2)

पता··················

(3) शैक्षिक सत्र·········की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र
(परिनियम 16-29 और 17.16 देखिए)

1—अध्यापक का नाम

2—विभाग जिससे वह सम्बद्ध हो

3—क्या प्राध्यापक, उपाचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि हैं ?

4—सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशिष्टतायें यदि कोई हो,

5—अध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य और/या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि का विवरण,

6—सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसन्धान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसंधान कार्य के लिए उपाधि प्रदान की गयी ?

7—सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानो (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या…………

8—अभ्युक्ति

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनांक…………… अध्यापक का हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित। पदनाम।

परिशिष्ट 'ङ'

(परिनियम 11-12-ख देखिये)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

१ २ स्व-मूल्यांकन विवरण का निदर्श

खण्ड—एक

दिनांक

1—नाम

2—पदनाम

3—जन्म दिनांक

4—शैक्षिक अर्हतायें

5—विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक

6—स्थायीकरण का दिनांक

7—अध्यापन कार्य का अनुभव

संस्था का नाम	धृत पद	किस दिनांक से	किस दिनांक तक	कुल अवधि

8—विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम (विस्तृत ब्योरा दीजिए)

(क) अधिस्नातक—

(ख) स्नातकोत्तर—

9—गत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (ठीक-ठीक ब्योरा दीजिए)

(क) अधिस्नातक—

(ख) स्नातकोत्तर

१—यह भी इंगित करें क्या अस्थायी/तदर्थस्थायी है।

२—कृपया समस्त स्तम्भों को भरें। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ "लागू नहीं है" लिखिए।

10—पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिये सामग्री के स्रोत का ब्योरा जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)

11—आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का ब्योरा (अध्यापन, ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)।

12—पिछले शिक्षा सत्र के दौरान ट्यूटोरियल का ब्योरा:—

	अधिस्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
कितनी बार		
निर्दिष्ट कार्य की जांच।		

13—पिछले शिक्षा सत्र में आप आवंटित कक्षायें नीचे दी गयी नियमितता के किस स्तर में ले सकें :—
(जो प्रयोज्य हो उस पर घेरा बना दीजिए)
(क) 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक
(ख) 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक
(ग) 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक
(घ) 70 प्रतिशत से नीचे।

खण्ड—दो

1—निम्नलिखित उपाधियों का ब्योरा दीजिये:—

	विश्वविद्यालय	उपाधि दिये जाने का वर्ष	शोधप्रबन्ध का विषय
एम० फिल०			
पी-एच० डी०			
डी० लिट्०			
डी० एस-सी०			

2—शोध प्रबन्ध (थीसिस), यदि प्रकाशित हुआ हो, का ब्योरा (इसकी एक प्रति संलग्न की जाय)।

3—प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनोग्राफ), समीक्षा (रिव्यूज), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का ब्योरा।

4—सम्मेलन, संगोष्ठी, कर्मशाला (वर्कशाप) जिनमें भाग लिया। प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/या धृत पदीय स्थिति का ब्योरा दीजिए।

5—ग्रीष्मकालीन संस्थान, अभिनवन (रिफ्रेशर) या अभिस्थापन पाठ्यक्रम (औरियन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया (ब्योरा दीजिये)।

6—शोध मार्गदर्शन (रिसर्च गाइडेन्स)/वृत्तिक परामर्श (प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी), यदि कोई हो, का ब्योरा।

7—वृत्तिक/शैक्षिक निकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता या फेलोशिप (ब्योरा दीजिये)।

8—ऐसे शैक्षिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड—तीन

अपनी संस्था के समष्टिगत जीवन (कारपोरेट लाइफ) में अंशदान का ब्योरा।

1—(क) पाठ्यचर्या विकास

(ख) सांस्कृतिक/पाठ्येतर कार्य-कलाप

(ग) खेलकूद/सामुदायिक और प्रसार सेवायें।

(घ) प्रशासनिक कार्य

(ङ) कोई अन्य

2—कोई अन्य सूचना जो उपर्युक्त प्रश्नावली के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर..............................

विभाग..............................

....

नोट—परिशिष्ट 'ङ' उ० प्र० सरकार की अधिसूचना सं० 2180/15-10-85-9-(6)-80 दिनांक 28 सितम्बर 1985 द्वारा बढ़ायी गयी तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 5987/XV—10-78-5 (3)-76, dated December 20, 1978 :

No. 5987/XV-10-78-5 (3)-76

Dated Lucknow December 20 1978

In exercise of the power conferred by sub-section 50 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973), as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U. P. Act no. 9 of 1974), and as adapted by Government notification no. Shiksha (10)-8146/XV—60 (56) 74, dated December 11, 1974), the Governor is pleased to make the following First Statutes for the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi :

FIRST STATUTES OF THE SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, VARANASI

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.01 (1) These Statutes may be called the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, First Statutes, 1978 : — Section 50(1).

(2) They shall come into force on December 26, 1978

1.02. (1) All existing Statutes and all such Ordinances in force in the University, as are inconsistent with these Statutes, are to the extent of such inconsistency, hereby rescinded and shall forthwith cease to have effect except as respect things done or omitted to be done before the commencement of these Statutes. — Section 50(I).

(2) The Uttar Pradesh State Universities First Statutes (Age of Superannuation, Scales of Pay and Qualifications of Teachers), 1975, issued with Government notification no 4546/XV–10-75, dated July 25, 1975, as amended by Government notification no. 7251/XV-10–75 60 (115)-73, dated October 20, 1975, as also amended from time to time shall, in relation to the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, stand repealed with effect from date of commencement of these Statutes.

Section 50(1).

1. 03. In these Statutes, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no 10 of 1973), as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U. P. Act no. 29 of 1974);

(b) 'clause' means a clause of the Statute in which that expression occurs;

(c) 'section' means a section of the Act;

(d) 'University' means the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, and

(e) words and expressions used but not defined in these Statutes shall have the meaning assigned to them in the Act.

Sections 49 and 50.

1. 04 In these Statutes, all references to the age of a teacher, shall be construed to be references to the age according to the date of birth of the teacher concerned as mentioned in his High School Certificate or that of any other examination recognised as equivalent thereto

CHAPTER II
OFFICERS AND OTHER FUNCTIONARIES OF THE UNIVERSITY

The Chancellor

Sections 10(4) and 49(c).

2. 01. (1) The Chancellor may, while considering any matter referred to him under section 68, call for such documents or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary and may, in any other case, call for any documents or information from the University.

(2) Where the Chancellor calls for any documents or information from the University under clause (1), it shall be the duty of the Registrar to ensure that such documents or information are promptly supplied tohim.

(3) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(4) The Chancellor shall have power to suspend the Vice-Chancellor during the pendency or in contemplation of any enquiry referred to in clause (3).

2. 01 (A) "The member of the executive council shall be the officers of the University."[1]

The Vice-Chancellor

Sections 13(9) and 49(c).

2. 02. The Vice-Chancellor shall have power to call for such documents and information from an affiliated college, in respect of any matter connected with teaching, examination, research, finance or any matter

---

1. Added by U. P. Notification No 929/15-10-85 (75)-83 dated March 20th 1985 with effect from December 26, 1978.

affecting the discipline or efficiency of teaching in the college, as he thinks fit.

Finance Officer

Section 49 (c).

2.03. When the office of the Finance officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by one of the Deans of the Faculties nominated by the Vice-Chancellor and if for any reason the the same is not feasible, then by the Registrar or by such officer as may be nominated by the Vice-Chancellor.

Sections 15 (7) and 49 (c).

2.04. The Finance Officer—

(a) shall exercise general supervision over the funds of the University,

(b) may advise it in any financial matter either suo motu or on his advice being sought,

(c) shall keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments,

(d) shall collect the incomes, disburse the payments and maitain the accounts of the University,

(e) shall ensure that the registers of building, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock checking of equipment and other consumable materials is conducted regularly in the University,

(f) shall probe into any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against persons at fault,

(g) may call for any information or return from any department or unit of the University that he may consider necessary for the performance of his duties,

(h) shall arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf,

(i) shall perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor,

(j) shall, subject to the provisions of the Act and Statutes, exercise disciplinary control in terms of clauses (2) and (3) of Statute 2.06 over all the employees in the Audit and Accounts Section of the University below the rank of the Assistant Registrar (Accounts) and shall supervise the work of the Deputy/Assistant Registrar (Accounts) and the Accounts Officer.

2. 05. If any difference of opinion arises between the Vice-Chancellor and the Finance Officer on any matter concerning the performance of the functions of the Finance Officer, the question shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on both the officers.

Sections 13(9); 15(7) and 49(c).

The Registrar

2. 06. (1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Registrar shall have disciplinary control over all employees of the University, other than the following, namely—

Sections 13(9), 16(4), 21(i) (vii), 21(8) and 49(c) and (e).

(a) Officers of the University,

(b) Deputy Registrars and Assitant Registrars,

(c) teachers of the University, whether in relation to their work as teacher or while holding any remunerative office or in any other capacity, such as examiner or invigilator,

(d) the Librarian,

(e) employees of the University in the Accounts and Audit Section.

(2) The power to take disciplinary action under clause (1) shall include the power to order dismissal, removal, reduction in rank, reversion, termination or compulsory retirement of an employee referred to in the said clause and shall also include the power to suspend such employee during the pendency, or in contemplation of an inquiry.

(3) No order shall be made under clause (2) except after an inquiry in which the employee has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided that where it is proposed after such inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed :

Provided further that this clause shall not apply in the following cases, notwithstanding that the order is based on any charge (including a charge of misconduct or inefficiency), if such order does not disclose on its face that it was passed on such basis :—

(a) An order of reversion of an officiating promotee to his substantive rank.

(b) An order of termination of service of a temporary employee.

(c) An order of compulsory retirement of an employee after be attains the age of fifty years,

(d) An order of suspenssion.

Section 21 and 49.

2.07. An employee of the University aggrieved by an order referred to in Statute 2. 06 may prefer an appeal (through the Registrar) to the Disciplinary Committee constituted under Statute 8. 01 within fifteen days from the date of service of such order on him. The decision of the Committee on such appeal shall be final.

2. 08. Subject to the provisions of the Act, it shall be the duty of the Registrar— Section. 16.

(a) to be the custodian of all the properties of University unless otherwise provided for by the Executive Couucil;

(b) to issue all notices convening meetings of the various authorities referred to in section 16 (4) with the approval of the competent authority concerned and to keep the minutes of all such meetings;

(c) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic Council;

(d) to exercies all such powers as may be necessary of expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the University of which he acts as secretary;

(e) to represent the University in suits or proceeding by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings.

Director of Research Institute

2.09. The Director of Research Institute shall be a whole time salaried officer who shall be appointed by the Executive Ccuncil on the recommendation of Selection Committee consisting of the following :— Section 49 c).

(a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman.

(b) Two persons who may be eminent scholars of Sanskrit or Pali or Prakrit and possessing experience in research, nominated by the Vice-Chancellor.

2. 10. (1) The Director shall supervise all research publications of the University including catalogue of Sanskrit Manuscripts in the University. Section 49(c).

(2) He shall edit the research journal of the University under the guidance of an editorial board constituted by the Executive Council.

(3) He shall make a quarterly report to the Vice-Chancellor and the Academic Council on all research activities (other than those relating to research carried on by persons for research degrees) of the University.

Deans of Faculties

Sections 27(b) and 49(b).

2. 11. If a casual vacancy occurs in the office of the Dean of a Faculty the senior-most Professor, and where no Professor is available in that Faculty, the senior-most teacher in the Faculty shall preform the duties of the Dean.

Section 49 (c).

2. 12. No person shall continue to be a Dean after he has ceased to hold the post by virtue of which he came to hold the office of Dean.

Sections 18 and 49(c).

2. 13 The Dean of the Faculty shall have the following duties and powers :–

(i) He shall preside at all meetings of the Board of Eaculty and shall see that the various decisions of the Board are implamented.

(ii) He shall be responsible for bringing the financial and other needs of the faculty to the notice of the Vice-Chancellor.

(iii) He shall take necessary measures for the proper custody and maintenance cf libraries, laboratories and other assets of the departments comprised in the faculty.

(iv) He shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Studies pertaining to his faculty but shall have no right to vote thereat unless he in a member thereof.

The Dean of Students Welfare

2.14. The Dean of Students Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, who possess teaching experience of not less than 10 years and who are not below the rank of a Reader, by the Executive Council (on the recommendation of Vice-chancellor).

Sections 18, 21(1) (xvii) and 49 (c).

2.15. The teacher who is appointed as Dean of Students Welfare shall perform his duties as Dean in addition to his own duties as teacher.

Sections 11 and 49.

2.16. The term of office of the Dean of Students Welfare shall be three years unless determined earlier by the Executive Council.

Section 49.

2.17. The Executive Council may appoint one or more Assistant Deans of Students Welfare to assist the Dean of Students' Welfare. Such Assistant Deans shall perfrom their duties in addition to their duties of teachers.

Sections 18 and 49(c).

2 18. (1) It shall be the duty of the Dean of Students Welfare and the Assistant Deans of Students Welfare to assist generally the students in matters requiring help and guidance, and in particular, to help and advise students and prospective students in—

Sections 18, 49(c) and (d).

(i) obtaining admission to the University and its courses;

(ii) the choice of suitable courses and hobbies:

(iii) finding living accommodation;

(iv) making messing arrangements;

(v) obtaining medical advice and assistance;

---

1. Substituted by U.P.Notification No 3454/15-10-88(6)/87 dated June 18, 1988, originally provision read as follows—

'on the recommendation of a committee consisting of the Vice-chancellor and two senior-most Dean of faculties'.

(vi) securing scholarships, stipends, part-time employment and other pecuniary assistance;

(vii) obtaining travel facilities for holidays and educational excursions;

(viii) securing facilities for further studies abroad, and

(ix) so conducting themselves in proper pursuit of academic studies as to maintain the traditions of the University.

(2) The Dean of Students Welfare may communicate with the guardian of a student in respect of any matter requiring his assistance when necessary.

Section 49(c).

2. 19. The dean of Students Welfare shall exercise general control over the Superintendent or Assistant Superintendent of Physical Education if any and the University Medical Officer. He shall perfrom such other duties as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

Sections 13 (9).

2. 20. The Vice-Chancellor may consult the Dean of Students Welfare before taking action against a student on disciplinary grounds.

Section 49 (d).

2. 21. The dean of Students Welfare may be paid such honorarium out of the funds of the University as the Vice-Chancellor may fix with prior approval of the State Government.

Heads of the Department

Section. 49.

2. 22. The senior-most teacher in each department of teaching in the University shall be the Head of that Department.

The Librarian

Section 49.

2. 23. (1) The University may, with the prior approval of the State Government, appint a whole-time librarian. The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee, consisting of the following, namely,—

(a) the Vice-Chancellor;

(d) two experts in Library Science, to be nominated by the Chancellor.

(2) Until the Libarian appointed under clause (1) assumes charge cf his office the Executive Council may appoint an Honorary Librarian from amongst the Professors of the University for such terms as it thinks fit.

2. 24. The qualifications of the Librarian shall be such as may be provided of in the Ordinances. Section 49 (c).

2. 25 The emoluments of the Libraian shall be such as may be approved by the State Government. Section 49 (c)

2. 26. It shall be the duty of the Librarian to maintain the Library of the University and to organise its service in the manner most conducive to the interest of teaching and research. Section 49 (c).

2. 27. The Librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor : Section 49 (c).

Provided that he shall have a right of appeal to the Executive Council against any order of the Vice-Chancellor passed in the disciplinary proceedings against him.

the Proctor

2· 28. The Proctor shall be appointed from amongst the teachers of the University by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. The Proctor shall assist the Vice-Chancellor in the exercise of his disciplinary authority in respect of students of the University and shall also exercise such power and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to him by the Vice-Chancellor in this behalf. Secions 18 and 49 (c).

2 29. The proctor shall be assisted by Assistant Proctors whose number shall be fixed by the Executive Council from time to time. Section 49 (c).

Section 49 (c.)

2. 30. The Assistant Proctors shall be appointed by the Vice-Chancellor in consultation with the Proctor

Section 49 (c) and 49 (e).

2. 31. The Proctor and the Assistant proctors shall hold officc for one year and shall be eligible for reappointment :

Provided that for so long as his successor is not appointed every proctor or Assistant Proctor shall continue in office :

Provided further that the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, remove the proctor before the expiry of the said period :

Provided also that the Vice-Chancellor may remove an Assistant Proctor before the expiry of the said period.

Section 49 (c) and 49(e).

2. 32 The Proctor and the Assistant Proctors may be paid such honorarium out of the funds of the University as may be fixed by the Vice-Chancellor with prior approval of the State Government.

CHAPTER III

THE EXECUTIVE COUNCIL

Section 20 (1) (c).

3. 01. The Deans of Faculties, who shall be members of the Executive Council under section 20 (1) (c) shall be chosen in the order in which the names of various Faculties enumerated in Statute 7. 10.

Section 20 (1)(d).

3. 02. One Profassor, one Reader and one Lecturer, of the University who shall be members of the Executive Council under section 2((1) (c) shall be selected by rotation in order of seniority in their respective cadre.

Section 20 (1)(d).

3. 03. One Principal and one teacher of affiliated colleges (other than the Ayurvedic College), who shall be members of the Fxecutive Council under section 20 (1) (d) shall be selected by rotation in order of seniority as such principal or such teacher, as the case may be

3. 04. Persons elected under clause (f) of section 20 (1) shall cease to be members of the Executive Council on their subsequently becoming students of or accepting service in the University, an Institute, an affiliated college, or a hostel of the University. — Section 20 (1) (f).

3. 05. No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and, whenever a person becomes a mamber of the Executive Council in more than one capacity, he shall within two weeks thereof choose the capacity in which he desires to be member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks. — Section 49 (a) and (b).

3. 06. The Executive Council may, by resolution passed by a majority of its total membership, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or authority of the University subject to such conditions as may be specified in the resolution. — Section 21 (8).

3. 07. The meetings of the Executive Council shall be called under the directions of the Vice-Chancellor. — Sections 20 and 49 (b).

3. 08. The Executive Council shall obtain the opinion of the Finance Officer before considering any proposal involving financial implications. — Sections 20 and 49 (b).

CHAPTER IV

THE COURT

Representation of teachers, etc.

4. 01. (1) Fifteen teachers who shall be members of the Court under clause (ix) of section 22 (1). shall be selected in the following manner :— — Section 22 (1)(ix)

(a) two Professors of the University.

(b) three Readers of the University:

(o) three Lecturers of the University;

(d) the Dean of Students Werlfare;

(e) two principals and one teacher of affiliated Post-graduate colleges;

(f) two pincipals and one teacher of affiliated Degree Colleges.

(2) The above Professors Readers, Lectures, Principals and other tcachers shall be selected in order of seniority as Professors. Readers, Lecturers, princtpals or other teachers as the case may be.

Registration of Graduates and their representati on in Court

Section 16 (4). 4. 02. The Registrar shall maintain in his office a Register of Registered Graduates, hereinafter in this Chapter called the Register.

Section 49 (q) 4. 03. The Register shall contaion the following Particulars :

(a) The names and addresses of the registered graduates.

(b) The year of their graduation.

(c) The name of the University or the college from which they graduated.

(d) The date on which the name of the graduate was entered in the Register.

(e) Such other details as the Executive Council may from time to time direct.

Note—The names of the Registered Graduates who are dead shall be struck off.

4. 04 Every graduate of the University from the date of the convocation at which the degrsec by virtue of which he is to be registered was conferred or would have been conferred on him if he were present thereat shall, on an application in the form approved by the Executive Council and on payment of fee of rupee fiftyone be entitled to have his name registered in the Register. The application shall be mabe by the graduate himself, and may either be delivered to the Registrar personally or sent by registered post. If two or more application are received in the same cover, they shall be rejected.

Section 49(q).

4. 05. On receipt of the application, the Registrar shall, if he finds that the graduate is duly qualified and the prescribed feee has been paid, enter the name of the applicant in the Register.

Section 49(q).

4. 06 A registered graduate whose name has been borne on the Register for one year or more on June 30, preceding the date of notification for the election shall be entitled vote at the election of the representatives of registered gradutes.

4. 07. A registered graduate shall be eligible to seek election under clause (xi) of sectien 22 (1), if his name has been borne on the Register for at least three years on June 3, preceding the date of election.

Sections 22(1) (xi) and 49(q).

4. 08. A representative of registered graduates elected under clause (xi) of section 22 (1) shall cease to be a member on entering the service of the University or, of an Institute or an affiliated college, a hostel, or being connected with the Management of an affiliated college, or hostel or on becoming a student, and the seat so vacated shall be filled up by the person available who secured the next highest votes at the time of the previous election for the residue of his term.

Sections 22(1) and 49(8).

Sections 2(1), (xi), (xii).

4. 09. A registered graduate, who is already a member of the Court in an other capacity, may seek election as a representative of registered graduates and on his being so elected, the provisions of Statute 3.05 shall mutatis mutandis apply.

Sections 22(1). (xi).

4. 10. The election of the regrstered graduates under this Chapter shall be held in accordance with the system of proportional-representation by means of single transferable vote as laid down in Appendix A.

Sections 22(2) and 49(b).

4. 11. The term of the members of the Court shall commence from the date of the first meeting of the Court.

CHAPTER V

ACADEMIC COUNCIL

Sections 25(2) (vii) 25(3) and 49 (b).

5. (1. Three Principals of affiliated colleges of the University, who shall be members of Academic Council under clause (vii) of section 25 (2), shall be selected in order of seniority as Principal of such colleges.

Sections 25(2) (viii) and 49.

5. 02 Fifteen teachers who shall be members of the Academic Council under clause (viii) of section 25 (2) shall be selected in the following manner : —

(a) four Readers of the University by rotation in order of seniority,

(b) Four Lecturers of the University by rotation in order of seniority,

(c) four teachers of the affiliated Post-graduate colleges (not being Principals) by rotation in order of seniority,

(d) three teachers of affiliated Degree colleges (not being Principals) by rotation in order of seniority,

Notes—(1) Not more than two teachers from the same affiliated college shall be members under this Statute.

(2) In the event of more than two teachers of the same college being entitled to be membere of the Academic Council under this Statute, the two seniormost teachers, shall be, members of the Academic Council. teachers so passed over shall have their turn in rotation next time.

5. 03. Five persons of academic eminence who shall be members of the Academic Council under clause (xi) of section 25 (2) shall be co-opted by the members mentioned in clauses (i; to (x) of that section, who shall be called to a meeting by the Registrar, from amongst persons who are not employees of the University, an Institute, an affiliated college, or a hostel.

Sections 25(2) (xi) and 49(b).

5. 04. Members under clauses (vii) (viii) and (xi) of section 26 (2), shall hold office for a period of three years.

Sections 25(3) and 49(b).

5. 05. Subject to the provisions of the Act, these Statute and the Oordinances, the Academic Council shall have the following powers, namely—

Section 49(b)

(i) to scrutinize and make its recommendations on proposals submitted by the Boards of Studies through the Faculties in regard to the courses of study and to recommend principles and criteria on which examiners and the inspectors may be appointed, for the consideration of the Executive Council,

(ii) to report on any matter referrd or entrusted to it by the Court or the Executive Council,

(iii) to advise the Executive Council in regard to the recognition of the diplomas, degrees or certificates of other Universities and institutions for the purposes of admission to a course of study in the University,

(iv) to advise the Executive Council in rgard to the qualifications required to be possessed by persons imparting instruction in particular subject for the various degrees and diplomas of the University and

(v) to perform in relation to academic matters all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances.

Sections 25 and 49(b).

5. 06. The meetings of the Academic Council shall be called under the directions of Vice Chancellor,

CHAPTER VI
THE FINANCE COMMITTEE

Section 49(b).

6. 01. The term of membership of the person referred in clause (d) of section 26. (1), shall be one year, provided that he shall continue in office till the election of his successor. No such member shall hold office successively for more than three terms.

Section 26(3) and 49 (a).

6.02. Items of new expenditure not already included in the financial estimates, shall be referred to the Finance Committee in the cases of—

(i) non-recurring expenditure, if it involves an expenditure of ten thousand rupees or above; and

(ii) recurring expenditure, if it involves an expenditure of three thousand rupees or above:

Provided that it shall not be permissible for any officer or authority of the University to treat an item which has been split into several parts falling under a budget head as several items of smaller amount and withhold it from the Finance Committee.

Sections 26(3) and 49(a).

6.03 The Finance Committee shall, on or before such date as may be provided for in this behalf by the Ordinances, consider all items of expenditure referred to it under Statute 6.02 or Statute 6.04 and shall make and communicate to the Executive Council as soon as may be, its recommendations thereon.

6. 04. If the Executive Council, at any time after the consideration of the annual financial estimates (i. e. the budget) proposes any revision thereof involving recurring or non-recurring expenditure of the amounts referred to in Statute 6, 02 the Executive Council shall refer the proposal to the Finance Committee.

Section 26(3).

6. 05. The annual accounts and the finacial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

Sections 26(1) and 49(a).

6. 06. A member of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent, if he does not agree with any decision of the Finance Committee.

Section 26(3) and 49(a).

6. 07. The Finance Committee shall meet atleast twice every year to examine the accounts to scrutinise proposals for expenditure.

Sections 26(3) and 49(a),

6. 08. The meetings of the Finance Committee shall be convened under the directions of the Vice-Chancellor and all notices for convening such meetings shall be issued by the Finance Officer, who shall keep the minutes of all such meetings.

Sections 15(7) and 49(c).

CHAPTER VII
THE FACULTIES

7- 01. The University shall have the following Faculties, namely :

Section 27(1).

(a) Faeulty of Veda-Vedanga.

(b) Faculty of Sahitya-Sanskriti.
(c) Faculty of Darshana.
(d) Faculty of Shramana Vidya.
(e) Eaculty of Adhunika Jnana-Vijnana.
(f) Faculty of Ayurveda.

NOTE—The Ayurveda Mahavidyalaya, Varanasi shall constitute the Faculty of Ayurveda.

Sections 27(4).

7. 02. The following shall be the departments comprised in the Faculty of Veda-Vedanga :

(1) Veda,
(2) Dharmashastra.
(3) Jyotisha.
(4) Vyakarana.

Sections 27(2).

7- 03 The following shall be the departments comprised in the Faculty of Sahitya-Sanskriti :

(1) Sahitya.
(2) Puranetihasa.
(3) Prachina Rajashastra-Arthashastra.

Sections 27(2).

7. 04 The following shall be the departments comprised in the Faculty of Darshana :

(1) Nyaya Vaisheshika.
(2) Sankhy-Yoga-Tantra-Agama.
(3) Purvamimansa.
(4) Vedanta.
(5) Tulanatmaka Dharma-Darshana.

Sections 27(2)

7. 05. The following shall be the departments comprised in the Faculty of Shramana Vidya :

(1) Bauddha Darshana.
(2) Jaina Darshana.
(3) Pali Evam Theravada.
(4 Prakrita Evam Jainagama.
[1](5) Bhartiya vidya Sanskriti-evam Sanskrit Pramanpatriya Vibhag.

7. 06. The following shall be the departments comprised in the Faculty of Adhunika Jnana-Vijnana : Section 27(2).

(1) Adhunika Bhasha Evam Bhasha-Vijnana.
(2) Samajika Vijnana.
(3) Shiksha Shastra,
(4) Vijnana.
(5) Granthalaya Vijnana.

7. 07 The following shall be the departments comprised in the Facaulty of Ayurveda : Sections 27(2)

(1) Sharira.
(2) Dravyaguna.
(3) Rasashastra-Bhaishajva Kalpana.
(4) Kaya Chikitsa.
(5) Shalya-Shalakya.
(6) Prasuti, Stri. Balaroga and Agadatantra.
(7) Ayurveda Samhita and Adharabhuta Siddhanta.

7. 08. The Board of each Faculty other than the Faculty of Ayurveda shall be canstituted as follows :— Section 27(3).

---

1. Added by U. P, Notification No. 739/15-10-86-13 (10)-85 dated November 12, 1987.

(i) The Dean of the Faculty, who shall be the Chairman.

(ii) All Heads of Departments in the Faculty.

(iii) All Professors and Readers (not being Heads of Departments) of subjects taught in the Faculty.

(iv) One Principal of the affiliated Post-graduate Colleges and one Principal of the affiliated Degree Colleges, who are teachers of subjects assigned to the Faculty, by rotation in order of seniorty for a period of one year.

(v) One teacher (other than Principal) of the affiliated Post-graduate Colleges and one teacher (other than Principal) of the affiliated Degree Colleges, who are teachers of subjects assigned to the Faculty, by rotation in order of seniority for a period of one year.

(vi) Such number of persons not exceeding three as are not in the service of the University or an affiliated college who may be nominated by the Academic Council on account of their possessing expert knowledge in subjects assigned to the Faculty.

Section 27(3).

7. 09. The Board of the Faculty of Ayurved shall be constituted as follows :—

(i) The Dean of the Faculty, who shall be the Chairman.

(ii) All Heads of the Departments in the Faculty.

(iii) All Professors and Readers (not being Heads of Departments) of subjects taught in the Faculty.

(iv) One Lecturer of each Department in the Faculty by rotation in order of seniority for a period of one year.

(v) Such number of persons not exceeding three as are not amployed in the service of the University or an affiliated College; who may be nominated by the Academic Council on account of their possessing expert knowledge in the snbjects assigned to the Faculty.

7. 10. (1) Save as otherwise provided in this Chapter, members of the Board of Faculty other than exofficio members, shall hold office for a period of three years.

Sections 27(3) anp 49(b).

(2) The meetings of the Board of Faculty shall be convened under the directions of its Chairman.

7. 11. Subject to the provisions of the Act, the Board of each Faculty shall have the following powers, namely—

Section 27(3).

(i) To make recommendations to the Academic Council regarding the courses of study, after consulting the Boards of Studies concerned.

(ii) to make recommendations to the Academic Council regarding the teaching and research work of the University in the subjects assigned to the Faculty;

(iii) to consider and make recommendations to the Academic Council on any question pertaining to its sphere of work which may appear to it necessary and on any matter referred to it by the Academic Council.

Section 27(3).

7.12 Nothing contained in this Chapter shall be construed to authorise the opening of any Department of Teaching in the University not in existence at the commencement of these Statutes unless prior approval of the Chancellor has been obtained and necessary grant for it has been secured.

CHAPTER VIII

OTHER AUTHORITIES AND BODIES OF THE UNIVERSITY

DISCIPLINARY COMMITTEE

Section 49.

8.01. (1) The Executive Council shall constitute, for such term as it thinks fit a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and two other persons nominated by it;

Provided that if the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such Committees to consider different cases or classes of cases.

(2) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as a member of the Disciplinary Committee dealing with the case.

(3) The Executive Council may at any stage

transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.

8.02. (1) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows; Section 49.

(a) To decide any appeal preferred by an employee of the University under Statute 2. 07;

(b) To hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University :

(c) To recommend suspension of any employee referred to in subclause (b) pending or in contemplation of inquiry against such employee;

(d) To exercise such other powers and perform such other functions as may from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.

(2) In case of difference of opinion among members of the Committee, the decision of the Majority shall prevail.

[1](3)"The decision or the report of the Disciplinary Committee shall be laid befor the Executive council as early as possible, to enable the Executive council to take its decision in the matter."

---

1. Substituted by U. P. Notification No. 5675/15-10-80-13 (10)-79 dated 2nd December 1980. originally provision read as follows—

(3) The decision or the report of the Committee shall be final, and the Executive Council shall be bound to give effect there to, as early as possible,

DEPARTMENTAL COMMITTEE

Section 49.

8. 03. There shall be a Departmental Committee in each Department of teaching in the University to assist the Head of the Department appointed under Statute 2. 22.

Section 49.

8. 04. The Departmental Committee shall consist of :

(i) The Head of the Department, who shall be the Chairman.

(ii) All Professors in the Department and if there is no Professor, then all Readers in the Department.

(iii) In a Department which has Professors as well as Readers then two Readers by rotation according to seniority for a period of three years.

(iv) In a Department which has Readers as well as Lecturers, then one Lecturer and in a Department which has no Readers then two Lecturers, by rotation according to seniority for a period of three years :

Provided that for any matter specifically concerning any subject or speciality the senior-most teacher of that subject of speciality, if not already included in the foregoing heads, shall be specially invited for that matter.

Section. 49.

8, 05. The following shall be the functions of the Departmental Committee :—

(i) to make recommendations regarding distribution of teaching work among the teachers of the Department;

(ii) to make suggestions regarding co-ordination of the research and other activities in the Department;

(iii) to make recommendations regarding appointment of staff in the Department for which the Head of Department is the appointing authority;

(iv) to consider matters of general and academic interest to the Department.

8.06. The Committee shall meet at least once in a quarter. The minutes of its meeting shall be submitted to the Vice-Chancellor.

Section 49.

Examinations Committee

8.07. The Examination Committee may, on the recommendation of the person or persons or the sub-committee referred to in sub-section (3) of section 29, debar an examinee from appearing in any future examination or examinations if in the opinion of the Committee, such examinee was guilty of misbehaviour or of using unfair means at any examination conducted by the University,

Sections 29 and 49.

CHAPTER IX
BOARDS

9.01. The University may in addition to the Boards of Faculties and the Boards of Studies have the following Boards. namely—

Section 49.

(a) The Board of Students Welfare.

(b) The Board of Co-ordination.

(c) The Board of Institute of Research and Publication.

(d) The Board of Library.

(e) The Board of Prathama and Madhyama Studies and Examinations.

Section 49 and 51.

9.02. The powers, functions and the constitution of the Boards mentioned in Statutes 9.01, shall be such as may be laid down in the Ordinances.

Provided that the Ordinances relating to the Boards of students Welfare referred to in clause (a) of the said Statute shall provide for the representation of the students also, and the term of such student representatives shall be one year.

Sections 49 and 51.

9.03. For so long as the new Boards are not constituted in accordance with Sta'ute 9.02, the Boards mentioned in Statute 9.01 and existing on the date immediately before the commencement of these Statutes shall continue to function.

CHAPTER X

Part I

CLASSIFICATION OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY

Sections 31 and 49(d).

10.01. There shall be following classes of teachers of the University—

(1) Professors
(2) Readers, and
(3) Lecturers.

Section 31 and 49 (d).

10 02 Teachers of the University shall be appointed in the sujects on whole-time basis in the scales of pay approved by the State Government :

Provided that part-time lecturers may be

appointed in subjects in which in the opinion of the Academic Council such lecturers are required in the interest of teaching or for other reasons. Such part-time lecturers may receive salary ordinarily not exceeding one half of the initial salary of the scale for the post to which they are appointed. Persons working as Research Fellows or as Research Assistants may be called up to act as part-time lecturers.

10.03. The Executive Council may, on the recommendations of the Academic Council, appoint—

Sections 31 and 49 (d).

(1) Professors of academic eminence and outstanding merit on special contract in accordance with the Ordinance in that behalf;

(2) Honorary Emeritus Professors who shall—

(a) deliver lectures on special subjects;

(b) guide research;

(c) be entitled to be present in meetings of the Board of Faculty concerned and to take part in its discussions but will not have the right of vote ;

(d) be provided with facilities for study and research in the library and laboratories of University as for as possible; and

(e) be entitled to attend all Convocations ;

Provided that a person shall not, merely by virtue of holding the post of a Professor in the Department as an Honorary Emeritus

Professor, be eligible to hold any office in the University or in any Authority or Body thereof.

Sections 21(1), (xvii), 31 and 49 (o).

10.04. Instructors or Teaching Research Assistants may be appinted by the Executive Council on such terms and conditions as may be provided for in the Ordinances.

Part II

CLASSIFICATION OF TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES

Sections 31 and (49).

10.05. There shall be following classes of the teachers other than principals, of the affiliated colleges in Uttar Pradesh :

[(a) Post Graduate Colleges :—

(1) Pradhanacharya
(2) Sahayak Acharya
(3) Acharya
(4) Shikshak.

(b) Degree Colleges :

(1) Pradhanacharya
(2) Adhyapak
(3) Sahayak Adhyapak

(c) Uttar Madhyamika Vidyalayas :

(1) Pradhanacharya
(2) Adhyapak
(3) Sahayak Adhyapak (Jyestha)
(4) Sahayak Adhyapak (Kanishth)

(d) Purva Madhyamika Vidyalayas

(1) Pradhan Adhyapak

(2) Adhyapak
(3) Sahayak Adhyapak][1]

10. 06. The teachers of the affiliated colleges outside the State of Uttar Pradesh may be classified by the University with the approval of the Government concerned, and may be placed in such classes as are deemed fit by the Executive Council.

Sections 31 and 49.

10.07. The Principals and other teachers of the affiliated colleges shall be employed on whole-time basis in the scales of pay approved by the Government of the State or Union Territory or Local Body or Authority concerned :

Sections 31 and 49.

---

1. Substituted by U. P. Notification No 5385/15-10-85-13 (5)-82 dated Lucknow october 31, 1985. originally provision read as follows :—
   (a) In the Post-Graduate Colleges :
      (1) Pradhanacharya,
      (2) Professor/Vibhagadhyksha,
      (3) Sahayak Professor/Sahayak Vibhagadhyaksha.
      (4) Shikshaka.
   (b) In the Degree Colleges.
      (1) Pradhanacharya,
      (2) Adhyapaka,
      (3) Sahayaka Adhyapaka,
   (c) In the Uttara Madhyamik Vidyalayas :
      (1) Pradhanacharya,
      (2) Sahayaka Adhyapak,
      (3) Sahayaka Adhyapaka (kanistha),
      (4) Adhyapaka.
   (d) In the Purva Madhyamika Vidyalayas :
      (1) Pradhana Adhyapaka,
      (2) Sahayaka Adhyapak (Jyestha),
      (3) Sahayaka Adhyapaka (Kanistha),
      (4) Adhyapaka.

"[1]10.08. × × ×"

Sections 31 and 49.

10.09 The provisions of Statutes 10.05 to 10.07. shall apply to the Principals and teachers of the affiliated colleges exclusively maintained by the Government of a State or a Union Territory or a Local Body or Authority with such modifications as may be deemed fit by the Executive Council.

CHAPTER XI

Part I

QUALIFICATIONS AND APPOINTMENT OF TEACHERS IN THE UNIVERSITY

Section 49

"11.01. (1) In the case of Faculties of Ved-Vedanga, Sahitya-Sanskriti, Darshan, Sharman Vidya and Adhunik Jyana-Vijnana (except the department of Shiksha Shastra) the minimum qualifications for the post of a lecturer in the University shall be Master's degree or an equivalent degree of foreign University in the relevant subject with at least 55 percent marks or

---

(1) Omitted by U.P. notification No-5385/XV-10-85-13(5)-82 Dated October 31, 1985. originally provision read as follows--

provided that the management of an affiliated college may appoint honorary or part-time teachers on such terms as are deemed fit.

10.08. Nc Part-time or honorary teacher in an affiliated college shall hold any office in that college or in the University or be a member of any authority, body or committee of the University.

its equivalent grade and consistently good academic record.

(2) In the case of Department of Shiksha Shastra in the Faculty of Adhunic Jnana-Vijnana, the minimum qualification for the post of a lecturer in the University shall be Master's degree or an equivalent degree of a foreign University in Education (that is an M.Ed. degree) with atleast 55 percent marks or its equivalent grade and consistently good academic record

(3) For the purposes of this Statutes :-

(a) A candidate (other than a candidate for Lecturership in the Department of Shiksha Shastra) having obtained either 55 per cent marks in Bachelor's degree examination and second class in Intermediate examination separetely is said to have consistently good academic record;

(b) A candidate for Lecturership in the Department of Shiksha Shatra having obtained either 55 per cent marks in B.Ed. Degree examination and second class in any other Bachelor's degree examination or 50 per cent marks in each of the two examinations separately, is said to have consistently good academic record;

(4) For appointment to the post of lecturer only those candidates shall be eligible who, besides fulfilling the minimum academic qualifications prescribed for the post of lecturer, have qualified in a comprehensive test, if any, to be

conducted as per scheme of University Grants Commission.'[1]

1. Substituted by U. P. Notification No. 977/XV-10-89-15(9)-88 dated 25 March 1989 and came in force from that date Originally provision 11.01 read as follows.

(a) a doctorate in the subject of study concerned or a published work of a high standard in that subject; and

(b) consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic career of a candidate), with first class or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree in the subject concerned or equivalent degree of a foreign University in such subject.

(2) Where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced either by his thesis or by his published work, is of a very high standard, it may relax any of the requirements specified in sub-clause (b) of clause (1).

(3) If a candidate possessing a qualification prescribed in sub-clause (a) of clause (1) is not available or is not considered suitable, a person possessing a consistenity good academic record (due weightage being given to M. Phil. or equivalent degree or research work of quality) may be appointed on the condition that he will attain the prescribed qualification (namely doctorate or published work as aforesaid) within five years from the date of his appointment :

Provided that where the teacher so appointed fails to attain the prescribed qualification within the said period of five years, he shall not be entitled to yearly increments after such period, until he attains such qualifications.

"11.02. In the case of Faculties of Veda-Vedang, Sahity-Sanskriti, Darshan, Sharman Vidya and Adhunik Jnana-Vijnana, the following shall be the minimum qualifications for the post of–

(a) a Reader in the university, namely :–

(i) good academic record with a doctorate Degree or equivalent published work, and active engagement in research or innovation in teaching methods or production of teaching materials, and

(ii) five years experience of teaching or research including atleast three years as lecturer or in an equivalent position :

Provided that the requirement contained in Sub–Clause :(ii) may be relcxed in the case of a Candidate who, in the opinion of the Selection Committee has outstanding research work to his credit;

(b) a Professor in the university, namely :–

Either–eminent Scholarship with published work of high quality and active engagement in research and ten years experiance of teaching or research and experience of guiding research at Doctorate level;

Or–outstanding Scholarship with established

reputation for Significant Contribution to knowledge."[1]

Section 49.

11.03. No selection of a teacher made between August 1, 1975 and October 20. 1975 on the basis of the U. P. State University First Statutes (Age of Superannuation, Scales of Pay and Qualifications of Teachers) 1975, referred to in clause (2) of Statute 1. 02 as they stood before their amendment by notification no. 7251/XV-10—75-6 (115)-73, dated October 20, 1975 shall be affected by these Statutes.

Sections 31 and 49(d).

11. 04. The advertisement of vacancy referred to in section 31 (10) shall ordinarily allow at least three weeks time, from the date of the issue of newspapers in which the advertisement is published, to the candidates to apply for the vacancy.

---

1. Substituted by U. P. notification No, 5675/15-10-80-13 (10)-79 Dated 2 December 1980 and came in force from that date. Originally provision read as follows -

11.02. (1) No teacher appointed before the commencement of these Statutes shall be deemed to be qualified for appointment to the post of Reader or Professor if he does not possess the qualification prescribed in Statute 11.01. provided that where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced by his thesis or by his published work is of a very high standard, it may relax any of the requirements specified in sub-clause (b) of clause (1) of Statute 11.01.

(2) In addition, a candidate for appointment to the post of Reader or Professor shall fulfil any other qualification laid down in the Ordinances of the University.

11.05. (1) Meetings of the Selection Committee for appointment of teachers in the University shall be convened under the orders of the Vice-Chancellor.

Sections 31 and 49(d).

(2) The Selection Committee shall not consider the name of a person for appointment as teacher of the University unless he applies for it:

Provided that in the case of appointment of a Professor, the Committee may, with the approval of the Vice-Chancellor, consider the names of persons who have not applied.

(3) A member of the Selection Committee shall withdraw from a meeting of the Committee or of the Executive Council, as the case may be, if [illegible] question of appointment of any of the [illegible] (as defined in the Explanation to section 20) of such member is being or is likely to be considered at such meeting.

11.06. (1) If the Selection Committee recommeds more than one candidate for appointment, it may in its discretion arrange their names in order of preference. Where the Committee decides to arrange the names in order of preference, it shall be deemed to have signified that in the event of the first being not available, the second may be appointed and in the event of the second also being not available, the third may be appointed, and so on.

Sections 30 and 31.

(2) The Selection Committee may recommend that no suitable candidate for appointment is available. In such a case, the post shall be re-advertised.

Section 49 (b)

11. 07. The recommendations of the Selection Committee and proceedings of the Executive Council pertaining there to shall be treated as strictly confidential.

Sections (21) (1) (xvii) 31and 49 (d).

11. 08. If the work and conduct of a teacher appointed under section 31 (2)—

(i) is considered satisfactory, the Executive Council may at the end of period of probation (including the extended period, if any) confirm the teacher :

(ii) is not considered satisfactory, the Executive Council may terminate the services of the teacher in accordance with the provisions of section 31 during or on the expiry of the period of probation (including the extended period, if any).

Sections 31 and 49 (d).

11. 9. The Selection Committee shall meet at the Headquarters of the University.

Sections 31 and 49(a),

11. 10. Members of the Selection Committee shall be given not less than fifteen days notice of the meeting reckoned from the date of despatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

Section 31 and 49(d).

11. 11. At least fifteen days notice reckoned from the date of despatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The notice shall be served either personally or by registered post.

Section 27.

11. 12. The travelling and daily allowances of the members of the Selection Committee shall be paid by the University at the rates perscribed by Ordinances.

"11. 12 A—In every special cricumstances and on the recomendation of the Selection Committee, the Executive Council may allow, upto five advance increments, at the time of initial appointment, to Such teachers as possess exceptionally high academic attainment and experience. If in any case it is necessary to give more than five advance increments, prior approval of the state Govt. shall be obtained before making the appointment."[1]

"11.12-B.(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Statute 11.02 or in any other Statutes, the following categories of teachers of the University shall be eligible for personal promotion to the post of Readers or Professors, as the case may be.

Reader's post—

(i) Lecturers who are Ph.D. and have put in at least 13 years full time continuous service, as such.

(ii) Lectures, who are not Ph.D. but have put in atleast 16 years full-time continuous service, as such.

Professor's post—

Readers who have put in at least 10 years full-time coutinuous service as such.

Explanation—Reader shall mean a teacher who has worked as Reader in University.

---

1. Inserted by U. P. notification No. 5675/15 10.80-13 (10).79 dated 2 December 1980.

(2) The service, referred to in clause (1), must have been rendered on an approved post—

(i) in permanent, temporary or adhoc capacity;

(ii) in this University or in any other University.

Post-graduate or Under-graduate College or Institute, so however that at least five years permanent servive must have been rendered in this Uuivetsity after regular selection through the selection committee constituted under clause (a) of sub-section (4) of section 31 of the Act.

(3) The teacher of the University who is eligible for personal promotion shall submit a Self-Assessment Report in the proforma given in Appendix-E, containing information relating to his satisfactory work, to the Registrar.

Explanation—Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under University Regulation, Statutes or Ordinances.

(4) The Selection Committee, constituted under clause (a) of sub-section (4) of section 31 of the Act, shall consider the Self-Assessment Report, Service Record (including Character Roll) and such other relevant records as may be placed before, or as considered necessary by it. The meeting of the Selection Committee for considering cases of personal promotion shall be held at least once every year.

(5) The selection Committee shall submit its recommendation to the Executive Council shall

subject to the provisions of clause (6), grant personal promotion on the basis of such recommendation.

(6) The benefit of personal promotion shall be admissible to Lectures for promotion to the post of Reader only and Reader so appointed by promotion shall not be entitled to personal promotion on the post of the professor.

(7) Personal promotion on the post of Reader or Professor, as the case may be, shall take effect from the date of taking over charge of the said post.

(8) As a result of personal promotion, there shall be no reduction in the workload of the teacher of the University.

(9) In case a teacher of the University is not found suitable for personal promotion he may offer himself again for such promotion after two years and he shall be considered by the Selection Committee along with the teachers of the Uuiversity who have since become eligible.

(10) In case the Selection Committee does not find a teacher of the University suitable for personal promotion, it shall state the reasons.

(11) (i) The post of Reader or Professor, to which personal promotion is made, shall be deemed to be temporary addition to the cadre of Professor or Reader as the case may be, and the post shall stand abolished on the incumbent ceasing to occupy it.

(ii) On the Reader ceasing to occupy the post of Professor to which he was given personal

promotion, new appointment, if any; shall be made on the post of Reader and similarly on the Lecturer ceasing to occupy to post of Reader, new appointment, if any, shall be made on the post of Lecturer."

Part II

QUALIFICATIONS AND APPOINTMENT OF TEACHERS IN THE AFFILIATED COLLEGES

Sections 31 and 49.

11.13 The Statutes from 11.14 to 11.32 shall not apply to the teachers in an affiliated college exclusively maintained and managed by the Government of a State or a Union Territory or a Local Body or Authority.

Sections 31 and 49.

11.14. The qualifications for appointment of teachers (including Principals) of affiliated colleges shall be such as may be laid down in the Ordinances.

"11.15. The Principal and teachers of the affiliated Colleges shall be appointed by the management on whole time basis on posts approved by the Government and in the scales of pay approved by the Government of the state or union Territory or the lacal body or Authority concerned on the recommendation of a selection committee in the manner hereinafter provided"[1]

---

1. Substituted by U. P. notification No. 5385/15-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985 originally provision read as follows.

11.15 The Principals and teachers of the affiliated colleges shall be appointed by the

11.16. (i) The Selection Committee for appointment of Principal of an affiliated college shall consist of—

"(a) The head of the management or a member of the management (not being the principal or a teacher of the college) nominated by him, who shall be the Chairman.

(b) Regional Deputy Director of Education of the region concerned,

(c) One Principal of a Degree or a postgraduate college having teaching experience of at least 10 years to be nominated by the vice-Chancellor,"[2]

"(d) Two experts having at least 15 years experience, one of whom shall be a teacher of the university or a Head of the Department of

---

Management on wholetime basis on the posts and in the scales of pay approved by the Government of the State or Union Territory of the Local Body or Authority concerned on the recommendation of a selection committee in the manner hereinafter provided.

1. Ibid. originally the provision read as follows.

(a) The Head of the management or a member of the management (not being the Principal or a teacher of the college) nominated by him, who shall be Chairman;

(b) one member of the management (not being the Principal or a teacher of the college) nominated by the management ;

(c) one Principal of another college nominated by the Vice-Chancellor; and

Sanskrit in an affiliated college, situate near to the college for which the selection in being made and the other a Principal or a teacher of an affiliated college of an equal or higher category or a retired teacher or other learned person in the subject Concerned residing in the region of the Deputy Direetor of Education to be nominated by the Vice-Chancellor out of a panel prepared by the Deputy Director of Education of the region Concerned.

Provided that in the modern subjects experts may also be included in the panel so prepared from the nearest callege affiliated to any other university adjacent to the region of the Deputy Director Concerned by the vice-chancellor.

Provided further that in respect of College out side Uttar Prade h the vice-chancellor may nominate experts out of the panel prepared by him from amongst the teachers of Colleges situate near to the College for which Selection is made as well as learned persons residing near to to the College for which the Selection is to be made."[1]

(2) The selection committee for appointment of a teacher (other than a Principal) of an affiliated college shall consist of—

---

1. Substituted by U. P. notification No. 2106|15-10-87-13 (5)-82 dated May 30, 1887 originally provision read as follous :—

(d) two experts including one from amongst the teachers of the University. nominated by the Vice-Chancellor.

(a) the Head of the management or a member of the management (not being the Principal or a teacher of the college) nominated by him, who shall be the Chairman ;

(b) the Principal of the College ;

"(c) District Inspector of schools of the concerned distric" [1]

"(d) two experts having teaching experience of atleast 10years who shall be a teacher or Principal of an affiliated college of an equal or higher category in a district other than that wherein the college situate, or retired teacher or a learned person in the subject concerned residing in the region of the Deputy Director of Education to be nominated by the Vice-Chancellor out of the panel prepared by the Deputy Director of Education of the region concerned ;

Provided that in the modern subject experts may also be included in the panel so prepared from the nearest college affiliated to any other University adjacent to the region of the Deputy Director concerned by the Vice-Chancellor :

Provided further that in respect of colleges outside Uttar Pradesh the Vice-Chancellor may nominate experts out of the panel prepared by

---

1. Substituted by U. P. Notification No. 5385/15-10-85-13 (5)-82 dated October 31, 1985. originally provision (c) read as follows :—

(c) one Principal of another college, (not being a college of a lower category) nominated by the management; and

him from of colleges situate near to the college for which selection is made, as well as teachers on learned persons residing nearer to the said college."[1]

Sections 31 and 49.

11. 17. A member of the selection committee or of the management shall withdraw from the meeting of the selection committee or of the management, as the case may be, if the question of appointment of any of the relatives(as defined in the Explanation to section 20) of such member is being, or is likely to be, considered at such meeting.

Sections 31 and 49.

11. 18 No recommendation made by a selection committee shall be considered to be valid unless one of the experts had agreed to such selection.

Sections 31 and 49.

11. 19. Subject to the provisions of Statute 11. 18. the majority of the total membership of any selection committee shall from the quorum of such committee.

Sections 31 and 49.

11. 20. The recommendations of the selection committee and proceedings of the management pertaining thereto shall be confidential.

Sections 31 and 49.

11. 21. No selection for any appointment to a vacancy likely to last for more than six months (not being a vacancy by grant of leave to a teacher for a period not exceeding ten months)

---

1. Substituteted by U. P. notification No. 2106/15-10-87-13 (5)-82 dated may 30 1987. originally provision read as follows :—

(d) two experts (including one teacher of the University) nominated by the Vice-Chancellor,

shall be made except after [advertisement in at least two newspapers][1] having adequate circulation in the State or the Union Territory concerned and the advertisement shall ordinarily allow to the condidates at least three weeks time from the date of the issue of the newspapers in which the advertisement is published.

11. 22. (1) If the selection committee recommends more than one condidate for appointment, it may in its discretion arrange their names in order of preference. Where the committee decides to arrange the names in order of preference it shall be deemed to have signified that in the event of the first being not available, the second may be appointed and in the event of the second also being not available, the third may be appointed and so on.

Sections 31 and 49.

(2) The selection committee may recommend that no suitable candidate for appointment is available. In such a case the post shall be readvertised.

11.23. In the case of appointment of a Principal or a teacher of an affiliated college if the management does not agree with the recommendations made by the selection committee shall refer the matter to the Vice-Chancellor along with the reasons of such disagreement and his decision shall be final.

Sections 31 and 49.

11.24. "All appointments of Principals or of teachers of an affiliated college shall be made by the

Sections 31 and 49.

1. Substituted by U. P. notification No. 5385/15-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985. originally provision 11. 24 was 'at least one newspaper'.

managements only after the approval in writing by the Vice-Chancellor."[1] The Vice-Chancellor may call for the applications and other papers concerning the appointment and if in his opinion the candidate so appointed is not fit for appointment, he shall refer the matter back to the management for reconsideration and report. In the case of difference between the Vice-Chancellor and the management the matter shall be referred to the Executive Council and its decision shall be final.

Sections 31 and 49.

11.25. The appointment of every Principal and teacher against permanent vacancies shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year.

Section 31 and 49.

11.26. When an affiliated college of a lower category is upgraded and is placed in a higher category, such college shall, within one month, submit to the Vice-Chancellor full particulars of the existing Principal and of all the teachers and it shall be lawful for the Vice-Chancellor to approved the existing Principal and the teachers as Principal and teachers of the college of the higher category in which the college is placed :

Provided that if the Principal or a teacher does not fulfil the qualifications or other requirements prescribed in the Statutes or the Ordinances for the Principals or teachers of the college

1. Ibid. Originally provision read as follows—
'All appointments of principals or of teachers of an affiliated College made by the management shall be Subject to the approval of the Vice-Chancellor."

of such higher category, the Vice-Chancellor shall require the management to advertise the post and make fresh selection and appointment.

11.27. Meeting of the selection committee for appointment of teachers or Principals of the affiliated colleges shall be convened unders the orders of the Head of the Management.

Sections 31 and 49.

11.28. Members of the selection committee shall be given not less than fifteen days notice of the meetings reckoned from the date of despatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

Sections 31 and 49.

11.29. At least fifteen days notice reckoned from the date of despatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the selection committee. The notice shall be served either personally or by registered post.

Sections 31 and 49.

11.30. The travelling and daily allowances of the members of the selection committee for the appointment of principals and teachers of affiliated college shall be borne by the college concerned.

Sections 31 and 49.

11.31. A Principal or a teacher of an affiliated college appointed in a substantive capacity or on probation shall not be removed from service on grounds other than superannuation, except with the prior approval of the Vice-Chancellor.

Sections 31 and 49.

11.32 The Vice-Chancellor's approval shall not be necessary for an officiating or temporary appointment of a Principal or a teacher—

Sections 31 and 49.

(a) in a vacancy likely to last for not more than six months;

(b) in a vacancy caused by grant of leave to a Principal or teacher for a period not exceeding ten months ; and

(c) in a temporary vacancy against a temporary post.

Sections 31 and 49.

11.33. (1) The management of a college may, in consultation with the Head of the Department concerned of the University nominated by the Vice-Chancellor in that behalf, make an officiating appointment of a teacher in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the selection committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

(2) Where any teacher is appointed to a temporary post (after reference to a selection committee) likely to last for more than six months and such post is subsequently converted into a permanent post, the management may, without fresh reference to the selection committee appoint such teacher in a substantive capacity to that post.

CHAPTER XII

Part 1

CLASSIFICATION OF AFFILIATED COLLEGES

Section 37 (2).

12.01. The affiliated college of the University shall be of the following four categories :

(1) Post-Graduate Colleges—The affiliated colleges which are recognised for impar-

ting instruction for Acharya course and fulfil the following conditions shall be the Post-Graduate Colleges of the University :

(a) At least (60)[1] students are enrolled for regular study in the College.

(b) At least 15 students appear at Shastri and Acharya examinations of the University and not less than 35 per cent of them are successful at the said examinations.

(2) Degree Colleges—The affiliated colleges which are recognised for imparting instruction for Shastri course and fulfil the following conditions shall be the Degree Colleges of the University :

(a) At least (50)[2] students are enrolled for regular study in the college.

(b) At least 30 students appear at Prathama to Shastri examinations of the University and at least 10 students appear at Shastri examination of the University and not less than 35 per cent of them are successful at the said examinations.

---

1. Substituted by U. P. notification No. 5385[XV-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985. Before Substitution the figure was 'fourty'.
2. Ibid. before Substitution the figure was fourty.

(3) Uttara Madhyamika Vidyalayas— The affiliated colleges which are recognised for imparting instruction for Uttara Madhyama course and fulfil the following conditions shall be the Uttara Madhyamika Vidyalaya of the University :

(a) At least (40)[1] students are enrolled for regular study in the college.

(b) At least 25 students appear at Prathama to Uttara Madhyama examinations and among them at least 10 students appear at Uttara Madhyama examination of the University and not less than 35 per cent are successful at the said examinations.

(4) Purva Madhyamike Vidyalayas— The affiliated colleges which are recognised for imparting instruction for Purva Madhyama course and fulfil the following conditions shall be the Purva Madhyamika Vidyalayas of the University :

(a) At least (35)[2] students are enrolled for regular study in the college.

(b) At least 15 students appear at

1. Substituted by U. P. notification No. 5385/XV-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985. Before Substitution the figure was thirty five.
2. Ibid. Before Substitution the figure was twenty five.

Prathama to Purve Madhyama examinations and among them at least 5 students appear at Purva Madhyama examination of the University and not less than 35 per cent of them are successful at the said examinations.

12.02. The existing affiliated colleges shall be classified or reclassified, as the case may be, according to Statute 12.01 on the basis of the number of students enrolled, students appeared at different examinations of the University and their results during the past two years.

Section 37 (2).

12.03. If an affiliated college does not fulfil or ceases to fulfil the conditions prescribed for the category to which it belongs, the affiliation given to such college may be suspended :

Sections (37) (2) and 38 (8).

Provided that the affiliation may be revised when the college concerned fulfils the conditions prescribed from the date of suspension of affiliation :

Provided further that if a college fails to fulfil the prescribed conditions within a period of three years from the date of suspension of affiliation, the affiliation given to such college shall be withdrawn.

Part II

AFFILIATION OF NEW COLLEGES

12.04. "Every application for affiliation of a college shall be made so as to reach the Registrar by the 31st December (with late fees of Rs. 100

Sections 37 (2), and 49(m).

by 31st January) preceding the year from which the affiliation is Sought."[1]

Sections 37(2) and 49(m).

12.05. "An application for affilication of a college shall be accompanied by :

(i) a Sum of Rs. 500 in case of colleges up to Uttar Madhyama and a sum of Rs. 1000 other cases through a bank draft payable to the University ;

(ii) Recommendations of the Deputy Director of Education (Sanskrit), to be given after abtaining a detailed report from the District Inspector of schools, where the college is situate within the state of Uttar Pradesh :

(iii) Recommendation of the concerned Government alongwith detailed report of the Government officer, where the college is situate outside Uttar Pradesh ;"[2]

---

1. Substituted by U. P. notification No 5385/XV-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985. originally provision 12·04 read as follows—

12.04 Every application for affiliation of a college shall be made so as to reach the Registrar not less than 6 months before the comm encement of the session in respect of which the affiliation is sought :

Provided that the Vice-Chancellor may, in special circumstances reduce the said period in the interest of Sanskrit education, to such extent as he may deem necessary.

2. Ibid. originally provision 12-05 read as follows :—

12.05. (1) Every application for affiliation of a college shall be accompanied by a Bank draft payabel

"12.06. Every college seeking affiliation shall satisfy the university with regards to the following particulars :

Sections 37 (2) and 49 (m).

(a) the provisions of Statutes 12 07 and 12.08 have been complied with;

(b) there is no other affiliated institution recognised in the subject applied for within a radius of five kilometers (in Rural areas) and one Kilometer (in urban areas) ;

(c) the management concerned has provided or has adequate financial resources to provide for suitable and sufficient building of its own, having :

(i) adequate library, furniture, stationery, equipment and laboratory facilities.

(ii) sufficient land in the name of the institution.

---

to the University, for a sum of Rs. 500 which will be non-refundable.

(2) Every application of a college within the State of Uttar Pradesh shall be accompanied by—

(a) a detailed report of the Inspector of Sanskrit Pathshalas or of the Assistant Inspector of Sanskrit Pathshalas of the region concerned on all relevant matters, and

(b) recommendations of the Deputy Director of Education (Sanskrit), Uttar Pradesh.

(3) Every application for affiliation of a college outside Uttar Pradesh shall be accompanied by—

(a) a detailed report of the government officer concerned on all relevant matters, and

(b) recommendatios of the Government concerned.

(iii) facilities for health and recreation of the students.

(d) there is a reserve fund and an indowment fund in accordance with the following rate which shall be pledged to the District Inspector of Schools concenred :

Category of Institution	Endowment	Reserve Fund
1. Post Graduate	Rs. 25,000 (Cash or property).	Rs. 3,000 in cash.
2. Graduate	Rs. 20,000 (Cash or property).	Rs. 2,000 in cash.
3. Uttar Madhyama	Rs. 15,000 (Cash or property)	Rs. 1,000 in cash.
4. Purv Madhyama	Rs. 10,000 (Cash or property).	Rs. 8000 in cash.

Note : Condition (d) shall not apply in case of a College exclusively maintained by the State Government.[1]

1. Substituted by U.P. notification No 5385/XV-10-85 —13(5)-82 dated October 31, 1985. originally provision read as follows :

12.06. Every college seeking affiliation shall satisfy the University with regard to the following particulars namely—

(a) that the provision of Statutes 12.07 and 12.08 have been complied with ;

(b, that the institution statisfies the demand for Sanskrit education in the locality ;

(c) that the management concerned has provided or has adequate financial resources to provide for—

12.07 The constitution of the management of every college other than a college exclusively managed by a Government or a Local Body or Authority, shall provide that—

Sections 37 (2) and 49 (m).

(a) the principal of the college shall be ex-officio member of the management :

(b) twenty-five per cent of the members of the management are teachers (including the principal)

"(c) One member of the management shall be from the non-teaching class III employees of the college selected for a period of one year by rotation in order of Seniority"[1]

(d) subject to the provisions of clause (c) no two members of the management shall be related to each other within the meaning of the Explanation to section 20 ;

(e) no change in the said constitution shall

(i) suitable and sufficient building ;

(ii) adequate library, furniture, stationary, equipment and laboratory facilities ;

(iii) sufficient land ;

(iv) facilities for health and recreation of the students ;

(v) Payment of salary and other allowances to the employees of the college for at least three years.

1. Substituted by U.P. notification No.5675/15-10-80 13 (10)-79 dated December 2,1980. originally provision 12.07 (c) read as follow -

(c) The teachers (excluding the principal reffered to in clause (b) are such members for a period of one year by rotation in order of seniority.

be made except with the prior permission of the Vice-Chancellor ;

(f) if any question arises whether any person has been duly chosen as, or is entitled to be a member or office-bearer of the management or whether the management is legally constituted, the decision of the Vice-Chancellor shall be final ;

(g) the college is prepared to place before any person or persons authorised by the Vice-Chancellor or before the panel of Inspectors appointed by the University, all original documents pertaining to income and expenditure of the college including the accounts of the Society|Trust|Board|Parent Body under which it may be operating.

Sections 37 (2) and 49(m).

12.08. A college seeking affiliation in any course requiring laboratory work or vocational training shall further satisfy the University that—

(a) separate laboratories are provided for each branch and that each of them is suitably equipped and

(b) suitable apparatus and equipment are provided for the carrying of experimental work.

Sections 37 (2) and 49 (m).

12.09. (1) In the case of a college seeking affiliation in a course requiring laboratory work or vocational training if the Vice-Chancellor is satisfied with regard to matters in the preceding Statutes, the application shall be placed before the Executive Council which shall appoint a Panel of Inspectors to inspect the college and make a detailed report on all relevant matters.

The expenses of the panel of inspection shall be borne by the institution seeking affiliation.

(2) In the case of a college seeking affiliation in a course other than a course mentioned in clause (1) the Vice-Chancellor may either appoint a Panel of Inspectors to inspect the college and make a detailed report on all relevant matter or, if he is satisfied with regard to matter in the Preceding Statutes, accept the report accompanying the application as required under Statue 12.05, and place the application before the Executive Council:

Provided that it shall be open for the University to cause inspection or reinspection of a college before its application is placed before the executive council.

Sections 37(2) and 49(m).

12.10 Ordinarily all inspections shall be completed within four months of the receipt of an application for affiliation. No application for affiliation shall be granted by the Executive Council unless it is satisfied about the financial soundness and of the available resources of the college seeking the affiliation.

Sections 37(2) and 49(m).

"12.11 (1) Before an application for affiliation is placed before the Executive Council; it shall be examined by the affiliation Committee consisting of the following :

(a) Vice-Chancellor — *Chairman*

(b) One nominee of the Executive Councils — *Member*

(c) Director of Education Uttar Pradesh or his nominee

not below the rank of joint Director of Education, nominated by him *Member*

(d) Director (Higher Education) Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of the principal of a Government Degree college *Member*

(e) Registrar *Member-Secretary*

(2) Decision on the application for affiliation shall ordinarily be taken before 15th May of the year in which it is proposed to start classes."[1]

Sections 37 (2) and 49(m).

12.12. Where affiliation is granted to a college subject to certain conditions, the college shall not admit or register students unless the Vice-Chancellor after due inspection has issued a certificate that the conditions imposed by the University have been duly fulfilled. If there are practical difficulties before the Vice-Chancellor in inspecting the college personally, he

1. Substituted by U P. notification No. 5385/XV-10 85-13(5)-82 dated October 31,1985 originally provision read as follows–

12.11 Before an application for affiliation is placed before the Executive Council it shall be examined by an affiliation committee of seven members of which the Inspector of Sanskrit Pathshalas, Uttar Pradesh, shall be an ex-officio member and the Registrar shall be an ex-officio member and Secretary, appointed by the Executive Council. The process of grant or refusal of an application should ordinarily be completed by 15th May of the year in which it is proposed to start the classes.

may nominate a qualified person or persons to inspect the college.

Part III

AFFILIATION OF COLLEGES FOR NEW DEGREES OR ADDITIONAL SUBJECT

12.13. Every application from an affiliated college for starting courses of instructions for a new degree or in new subjects shall be made so as to reach the Registrar before the 31st day of July of the session in which it is proposed to start such courses :

Sections 37 (2) and 49(m).

Provided that every application for affiliation in a course requiring laboratory work or in Shiksha-shastra shall be made in accordance which Statute 12.04 and the provision of Statute 12.9 shall also apply.

12.14. Each college applying for affiliation for a new degree or for a new subject shall remit with its application a sum of Rs. 50 for each subject with a maximum of Rs. 250 (Two hundred and fifty) which will be non-refundable. The provisions of Statutes 12.05(3) shall also apply.

Sections 37 (2) and 49(m).

12.15. No application in a new subject shall be considered unless the Registrar gives a certificate in writting that the conditions of affiliation and/or previous affiliation have been fulfilled in toto.

Sections 37(2) and 49(m).

12.16, If the Vice-Chancellor is satisfied in regard to the need for such affiliation and if the college has fulfilled and continues to fulfil all conditions of previous affiliation, the application

Sections 37 (2) and 49(m).

with the recommendation of the committee shall be placed before the Executive Council. The Provisions of statute 12.09 shall also apply.

Sections 37 (2) and 49(m).

12.17. Ordinarily all inspections shall be ocmpleted by 15th September, to enable the Executive Council of the University to scrutinise the reports of inspection well in time.

Sections 37 (2) and 49(m).

12.18. Restrictions imposed by Statute 12.12 shall apply to an affiliated college applying for affiliation for new degrees or additional subjects.

Part IV

CONTINUANCE OF AFFILIATION

Sections 37 (2) and 49 (m).

12 19. Every affiliated college shall strictly observe the rules laid down by the University regarding admission to colleges, residence and discipline of students.

Sections 27 (3) and 49 (m).

12.20. Every affiliated college shall make available to the University its buildings, libraries and laboratories with their equipmant and appurtenances and also the services as such of its teaching and other staff as may be necessary for the purpose of conducting the University examinations.

Sections 37 (2) and 49 (m).

12.21. Every affiliated college shall have on its staff teachers having such qualifications who shall be given such grades of pay and governed by such other conditions of services as may be laid down from time to time in the Ordinances or in orders of the Government concerned in that behalf.

"12 22. In case of office of the Principal of an affiliated college falls vacant the senior most teacher of the college shall act as principal until a duly selected principal assumes office provided that such teacher shall draw the pay he is entitled to get on the post of the teacher and will not get the pay of the post of principal during such period."[1]

Sections 37 (2) and 49(m).

12.23. Every affiliated college shall observe the conditions set out in the Statute or the ordinance :

Sections 37 (2) and 49(m).

Provided that in the case of a college affiliated before the commencement of these Statutes the Vice-Chancellor may require the management of such college fulfil and observe such of the conditions set out in Statutes 12.05 and 12.06 which the Vice-Chancellor consider reasonable:

Provided further that if the management of such college fails to comply with the requirements issued under the preceding proviso within the time specified by the Vice-Chancellor, the Vice-Chancellor may take steps for the withdrawal of the affiliation in accordance with the Statutes 12.31 to 12.35.

---

1. Substituted by U. P. Notification No. 5385/15-10-85-13(5)-82 dated october 31, 1985. Originally provision read as follows—

12.22. In case the office of the principal of an affiliated college falls vacant the senior-most teacher of the college shall act as Principal until a duly selected Principal assumes office.

Sections 37 (5) and 49(m).

12.24. Every affiliated college shall by 15th day of August every year submit to the Registrar a certificate from the Principal that the conditions laid down for affiliation have continued to be fulfilled.

Sections 37 (5) and 49(m).

12.25. Every affiliated college shall maintain the registers required for the affiliated colleges and from time to time furnish to the Registrar returns in such forms as may be required by the University.

Sections 37 (5) and 49(m).

12.26. "Information regarding all posts in the teaching staff of the college that fall vacant shall be communicated to the Registrar, Assistant Inspector, Sanskrit Pathshalas, District Inspector of schools and Regional Deputy Director of Education concerned within 15 days from the date of their falling vacant"[1]

Sections 37(5) and 49(m).

12.27. The number of students in a class or section in an affiliated college shall not exeed 60, for purpose of lectures in the class rooms, and no new sections shall be started except with the prior approval of the Vice-Chancellor.

Sections 49 (o).

12.28. "Where there is a dispute regarding the management of an affiliated college, persons found by the "Regional Deputy Director of Education" to be in actual possession and controle of the

---

1. Substituted by U. P. notification No. 5385/15-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985 originally provision read as follows.

12.26. Information regarding all posts in the teaching staff of the college that fall vacant shall be communicated to the Registrar within fifteen days of their falling vacant.

college properties, may for the purposes of the Act and these Statutes be recognised to constitute the management of such college until a court of compement jurisdiction orders otherwise :

Provided that the "Regional Deputy Director of Education" shall before making an order under this Statute, afford an opportunity to the rival claimants to make written representations

Explanation—In determining the question as to who is in actual possession and control of the college properties, the "Regional Deputy Director of Education" shall have regard to the control over the funds of the institution and over the actual administration, the receipt of income from the property of the institution and to other relevant circumstances which might have bearing on the question to be determined"[1]

12.29. Continuance of affiliation shall depend on continued fulfilment of conditions laid down by Act, the Statutes the ordinances and orders and directions issued by the University.

Sections 37 (2) and 49 (m).

Part V

INSPECTION OF AFFILIATED COLLEGES

12.30. (1) Where the Executive Council or the Vice-Chancellor causes an affiliated college

Sections 37 (6) and 49 (m).

1. Substituted by U. P. notification No. 5385lXV-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985. In provision 12-28 the word Vice-Chancellor Substituted by Regional Deputy Director of Education.

to be inspected, it or he may communicate to the college the result of such inspection together with its or his views thereon and direct the management regarding the action to be taken.

(2) Where the management of an affiliated college does not take action to the satisfaction of the Executive Council, the Council may, after considering any explanation furnished or representation made by the management, issue such directions as it may think fit, and the management shall comply with such directions, failing which the Executive Council may proceed to take action under or in accordance with Statute 12.33.

(3) If for any reason it is not possible for the University to cause inspection of an affiliated college to be made within five years of the previous inspection, the report of the inspection by the inspector of Sanskrit Pathshalas or by a Government Officer, may be taken as a report of inspection caused by the University.

Part VI

WITHDRAWAL OF AFFILIATION

Sections 37 (8) and 49 (m).

12.31. An affiliated college shall be deemed to have been disaffiliated if it fails to send up any candidate for an examination conducted by the University for "Three"[1] successive years.

---

1. The figure 'five' substituted the figure 'three' by U.P. notification No. 5385IXV-10-85-13 (5)-82 dated october 31, 1985.

12.32. The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the class have in the opinion of the Executive Council, been disregarded by the college cocerned. The classes may, however, be re-started with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to the satisfaction of the Executive Council.

Sections 37 (8) and 49 (m).

12.33. If a college disregards the requirement of the University regarding fulfilment of the conditions of affiliation and fails to fulfil the conditions inspite of notice issued by the University, the Executive Council may with the previous sanction of the Chancellor suspend the affiliation till the conditions are fulfilled to the satisfaction of the Executive Council.

Sections 37 (8). and 49 (m).

12.34. (1) The Executive Council may, with the prior sanction of the Chancellor, deprive an affiliated college of the privileges of affiliation either wholly or for any degree or subject, if it fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation or for gross mismanagement or if for any other reason the Executive Council is of opinion that the college should be deprived of such affiliation.

Sections 37 (8) and 49 (m).

(2) If the salaries of the staff are not paid regularly or if the teachers are not paid their salaries to which they are entitled under the Statutes or the Ordinances, or the orders of the

Government concerned, the college concerned would be liable to withdrawl of affiliation within the meaning of this Statute.

Sections 37 (2) 37 (8) and 49 (m).

12. 35. The Executive Council shall before taking any action under the preceding Statutes call upon a college to take within a specified period, such action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in the conditions of affiliation.

FINANCE, AUDIT AND ACCOUNTS

Section 49

12. 36. (1) The Management of each affiliated college shall be assisted by a Finance Committee which shall consist of—

(i) the President or the Secretary of the Management, who shall be the Chairman;

(ii) two other members elected by the Management, from amongst themselves ;

(iii) the Principal (Ex-Officio) ;

(iv) the senior-most teacher-member of the management (Ex-Officio) ;

(2) The Principal of the College shall be the Secretary of the Finance Committee and be entitled to convene its meeting.

Section 49.

12. 37. The Finance Committee shall prepare the annual budget of the College (except of the Students Funds) which shall be placed before the Management for their consideration and approval.

12.38. New expenditure, not already included in the budget of the college shall not be incurred without reference to the Finance Committee. — Section 49.

12.39. The recurring expenditure provided for in the budget shall be controlled by the Principal subject to any specific directions that may be given by the Finance Committee. — Section 49.

12.40. All Student's Funds shall be administered by the Principal assisted by different committees such as Games and Sport Committee, Magazine Committee, Reading Room Committee, and the like, which shall include representative of students of the college concerned. — Section 49.

12.41. Accounts of the Students Funds shall be audited by a qualified auditor appointed by Management not from amongst its members. The audit fees will be a legitimate charge on the Student's Funds of the College. The audit reports shall be placed before the Management. — Section 49.

12.42. The Students' Funds and the fee income from the Hostels shall not be transferred to other fund and no loan shall be taken from these funds for any purpose whatsoever. — Section 49.

CHAPTER XIII

FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MEDALS AND PRIZES

13.01. The University may institute and award Fellowships (including travelling fellowships), Scholarships, Bursaries, Medals and Prizes in — Sections 7 (12) and 49 (p).

accordance with the provisions laid down in the Ordinances.

Section 49.

13. 02 All endowments and bequests shall be of the following form—

(a) Any amount in cash or trust securities with an annual income of not less than Rs. 500.

(b) Any immovale property with a net annual profit of not lers than Rs. 500.

Section 49.

13. 03. All endowments whether in the form of a bequest, donation or transfer of property, shall be made in writing and by a registered deed in all cases in which registration is necessary under the provisions of any law for the time being in force.

Section 49.

13. 04. The Executive Council shall determine the condition of institution and award of fellowships, bursaries, medals and prizes in accordance with the ordinances framed in this behalf.

CHAPTER XIV

CONFERMENT AND WITHDRAWAL OF DEGREES AND DIPLOMAS

Sections 7 (6) 10 (2) and 49 (h).

14.01 The Degree of Doctor of Letters (D. Litt.) or Mahamahopadhyaya, Honoris Causa, may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of Literature, Philosophy, Art, Music, Painting or any other subject assigned to the faculties of Veda-Vedanga, Sahitya-Sanskriti, Darshana

Shramana Vidya and Adhunika Jnana-Vijnana or for conspicious services rendered by them to the cause of education.

14. 02. The Executive Council may, *suo moto*, or on the recommendation of the Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two-thirds of the members present and voting, submit a proposal for conferment of honorary degree, to the Chancellor for confirmation under section 10 (2) :

Sections 7 (6) 10 (2) and 49 (h).

Provided that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority or body of the University.

14. 03. Before taking any action under section 67 for the withdrawal of any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by registered post and the person concerned shall be required to submit his explanation within a period of not less than fifteen days of the receipt of the charges.

Section) and 67.

14. 04. Every proposal for the withdrawal of an honorary degree shall require previous sanction of the Chancellor.

Section 49(1) and 67.

CHAPTER XV

CONVOCATION

15. 01 (1) A Convocation for conferring its degrees, diplomas, and other academic distinc-

Section 49 (r).

tions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may appoint.

(2) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

(3) The convocation shall consist of the persons specified in sub-section (1) of section 3 as constituting the body corporate of the University.

Section 49 (r).

15. 02. A local convocation may be held at an affiliated college on such date and at such time as the Principal may, with the prior approval of the Vice-Chancellor in writing, appoint :

Provided that the date of the local convocation, if any, shall not be prior to the date of convocation of the University in the year concerned.

Section 49 (r).

15. 03. Combined convocations may be held by two or more colleges in the manner prescribed in Statute 15.02.

Section 49 (r).

15. 04. The procedure to be observed at the convocation referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Ordinances.

Section 40 (r).

15. 05. Where the University, or any affiliated college does not find it convenient to hold the convocation in accordance with Statute 15.01 to Statute 15.04 the degrees, diplomas and other academic distinctions may be despatched to the candidates concerned by registered post.

CHAPTER XVI

Part I

CONDITIONS OF SERVICES OF TEACHERS OF UNIVERSITY

16.01. Except in the case of an appointment referred to in Statute 10 03 (1) or appointment under section 31 (3) in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher for a period not exceeding 10 months or of an appointment under section 13 (6), teachers of the University shall be appointed on a written contract in the form set out in Appendix 'B' — Section 49 (d).

16.02. A teacher of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the Code of Conduct as set out in Appendix 'C' which shall from part of the agreement to be signed by the teacher at the time of appointment. — Section 49(d).

16.03. A breach of any of the provisions of the Code of Conduct as set out in Appendix 'C' shall be deemed to be a miscounduct within the meaning of Statute 16'04 (1). — Section 49 (d).

16.04. (1) A teacher of the University may be dismissed or remove or his services terminated on one or more of the following ground— — Section 49 (d).

(a) wilful neglect of duty;

(b) misconduct;

(c) breach of any of the terms of contract of service;

(d) dishonesty connected with the University Examinations;

(e) scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude;

(f) Psysical or mental unfitness;

(g) incompetence;

(h) abolition of the post.

(2) Except as provided by section 31 (2), not less than the three months' notice (or where notice is given after the month of October then three months notice or notice ending with the close of the session, whichever is longer) shall be given on either side for terminating the contract or in lieu of such notice, salary for three months (or such longer period as aforesaid) shall be paid or refunded as the case may be :

Provided that where the University dismisses or removes or terminates the services of a teacher of the University under clause (1), or when the teacher terminates the contract for breach of any of its terms by the University, no such notice shall be necessary :

Provided further that the parties will be free to waive the condition of notice in whole or in part by mutual agreement.

Sections 32 (2) and 49 (d).

16.05. The original contract of appointment referred to in section 32 shall be lodged with the Registrar to registration within three months of the date of appointment.

Sections 21 (1) xvii and 49 (d).

16.06. (1) No order dismissing, removing or terminating, the services of a teacher of the University on any ground mentioned in clause (1) of Statute 16.04. (except in the case of a conviction for an offence involving moral

trupitude or of abolition of post), shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity—

(i) of submitting a written statement in his defence;

(ii) of being heard in person, if he so desires; and

(iii) of calling and examining such witnesses in his defence as he may desire :

Provided that the Executive Council or an officer authorised by it to conduct the enquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing refuse to call any witness.

(2) The Executive Council may, at any time ordinarily within two months from the date of Enquiry Officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services mentioning the grounds of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forth with be communicated to the teacher concerned.

(4) The Executive Council may, instead of dismissing, removing or terminating the services of the teacher, pass a resolution inflicting one or more of the lesser punishments, namely, reducing the pay of the teacher for a specified period not exceeding three years, stopping increments of his salary for a specified period and

depriving the teacher of his pay (but not the subsistence allowance) during the period of his suspension, if any.

Sections 21 (1) (xvii) and 49.

16.07. (1) The Disciplinary Committee referred to in Statute 8.01 may recommend the suspension of a teacher during the pendency or in contemplation of an enquiry into charges against him, on the grounds mentioned in sub clauses (a) to (e) of clause (1) of Statute 16.04. The order of suspension if passed in contemplation of an inquiry shall cease at the end of four weeks of its operation unless the teacher has in the meantime been communicated the charge or charges on which the euquiry was contemplated.

(2) A teacher of the University shall be deemed to have been placed under suspension-

(a) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence he is sentences to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction.

(b) in any other case, for the duration of his detention, if he is detained in custody, whether the detension is for any criminal charge or otherwise.

Explanation—The period of 48 hours referred to in sub-clause (a) of this clause, shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where the order of dismissal or removal from service of a teacher of the University is set aside or declared or rendared void in consequence of any proceedings under the Act or thease Statutes or otherwise, and the appropriate officer, authority or body of the University decides to hold a further enquiry against him, then if the teacher was under suspension immediately before such dismissal or removal, the suspension order shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) During the period of his suspension, the teacher of the University shall be entitled to get subsistence allowance in accordance with the provisions of Chapter VIII of Part II of the U.P. Government's Financial Handbook Volume II (as amended from time to time) which shall mutatis mutandis apply.

16.08. In computing the maximum period for purposes of clause (2) of Statute 16.07 the period during which a stay order from any court of law is in operation, shall be excluded.

Section 34 (1).

16.09 'No teacher of the University shall draw for any duties performed in connection with any examination referred to in section 34 (1) in any calender year, any remuneration in excess of one-Sixth of the aggregate of his salary in that Calander year or three thousand rupees, whichever is less".[1]

Section 34 (1).

---

1. Substituted by U. P. notification No 5675/15—10-80-13 (10) 79 dated 2 December 1980 Originally

(2) Subject to the provisions of clause (1), no teacher of the University shall draw in any calendar year a total remuneration exceeding the average of his two months' salary in the particular calender year or rupees three thousand, whichever is less for any duties performed in connection with any examination referred to in section 34 (1).

Section 49 (d).

16. 10. Notwithstanding anything contained in these Statutes—

(i) a teacher of the University who is a member of Parliament or State Legislature shall not, throughout the term of his membership, hold any administrative or remunerative office in the University;

(ii) if a teacher of the University is holding any administrative or remunerative office in the University from before the date of his election or nomination as a Member of Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination or with effect from the commencement of these Statutes; whichever is later ;

(iii) a teacher of the University who is elected, or nominated to Parliament or the State Legislature shall not be required to resign or to take leave from the University for the duration of his membership or except as provided

---

Provision read as follows– "16. 09. (1) No teacher of the university shall be paid any remuneration for any duty Connected with the examination Conducted by that university."

by Statute 16. 11 for attending the meeting of any House or Committee thereof.

Explanation—The membership of any authority or body of the University or the Deanship of a faculty or the principalship of any college shall not be deemed to be an administrative or remunerative office for the purposes of this Statute.

16. 11. The Executive Council shall fix a minimum number of days during which such teacher shall be available in the University for his academic duties : — Section 49 (d).

Provided that where a teacher of the University is not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave, as may be due to him, and if no leave is due, then on leave without pay.

Part II

LEAVE RULES FOR TEACHERS OF THE UNIVERSITY

16. 12. Leave shall be of the following categories : — Section 49 (d).

(a) casual leave;
(b) privilege leave;
(c) sick leave;
(d) duty leave;
(e) long term leave;
(f) extraordinary leave;
(g) maternity leave.

16. 13. Casual leave shall be on full pay for not more than seven days in a month or 14 days — Section 49 (d).

in a session and shall not accumulate. It will not ordinarily be combined with holidays, but in special circumstances the Vice-Chancellor may waive this condition for reasons to be recorded in writing.

Section 49 (d).

16. 14. Privilege leave shall be on full pay for ten working days in a session and may accumulate up to 60 working days.

Section 49 (d).

16. 15. Sick leave shall be on the difference between the current rate of pay and the total cost of the leave arrangements if any, with a minimum of half pay, for one month in a session and shall not accumulate.

Sections 49 (d).

16.16. Duty leave up to 15 working days shall be on full pay for attending meeting of any of the University bodies, ad hoc Committees and Conferences of which a teacher may be ex-officio member or to which he may have been nominated by the University and for conducting examinatian of the University.

Sections 49 (d)

16.17. Long-term leave, which shall be on half pay for one month in a session, and may accumulate up to twelve months, may be granted for reasons such as prolonged illness, urgent affairs, approved studies or preparatory to retirement :

Provided that such leave can be granted only after five years of continuous service except in the case of prolonged illness :

Provided further that in case of prolonged illness, the leave may, at the discretion of the Executive Council, be on full pay for a period not exceeding six months ;

"Provided also that such teachers as are selected for 'Teachers Fellowship" by the University Grants commission or for training to study in a foreign country under any other scheme-sponsored by the commission, may be granted leave on full pay for the duration of such fellowship, training or study on such terms and conditions as may be specified by the state Governments'[1]

Section 49 (d).

16.18. "Extraordinary leave shall be without pay. It may be granted for such reasons as the Executive Council may deem fit, but it shall never be granted for a period not exceeding three years initially but may be extended for a period not exceeding two years under special circumstances mentioned in statute 16.10.

Explanation 1—A teacher who holds a permanent post or who being permanent on a lower post has been officiating on a higher post for more than three years, shall subject to the concurrence of the state Government, be entitled to count the period of extraordinary leave sanctioned for undertaking higher scintific and technical studies towards his increments in the time scale.

---

1. Substituted by U. P. notification No 5675/15-10-80-13 (10)-79 dated 2 December 1980. originally provision read as follows—

Provided also that such teachers as are selected by the University Grants Commission for 'teachers fellowship" may be granted leave on full pay for the duration of the fellowship on such other terms and conditions as may be specified by the State Government.

Explanation 2—subject to the concurrence of state Government a teacher who holds a temporary post and has been sanctioned such leave shall, on return from such leave be entitled to get his pay fixed in accordance with Fundamental Rule 27 of the Financial Hand book Vol. II part II to IV at such stage in the time scale as he would have got had he not proceeded on such leave provided the study for which leave was sanctioned was in the public interest"[1]

Section 49 (d).

16.19. Maternity leave on full pay to female teachers for a period which may extent up to three months from the date of its commencement or to six weeks from the date of confinement whichever, is earlier.

Provided that such leave shall not be granted for more than three times in the entire service of the teacher.

Section 49 (d).

16,20. Leave cannot be claimed as a matter of right. If the exigencies of the occasion demand, the sanctioning authority may refuse leave of any kind and may even cancel the leave already granted.

16.21. Sick leave or long term leave on acco-

---

1. Substituted by U. P. notification No 5675/15-10-80-13 (10) 79 dated 2 December 1980. originally provision read as follows--

"Extraordinary leave shall be without pay. It may be granted for such reasons as the Executive Council may deem fit but it shall never be granted for a period exceeding three years except in the circumstances mentioned in Statute 16.10.

unt of prolonged illness can be granted on the production of a medical certificate from a registered medical practioner. In case of such leave exceeding 14 days the Vice-Chancellor shall be competent to call for a second certificate of a Registered Medical Practitioner approved by him.

16.22. The authority competent to grant leave will be the Vice-Chancellor exept in the case of long term leave and extraordinary leave, which will be granted by the Executive Council. Section 49 (d).

Part III

AGE OF SUPERANNUATION

16.23. In this Part, the expression new scale of pay' means the scale of pay admissible to a teacher in accordance with the G. O. no. Shiksha-XI-9045|XV-14-(7)-73, dated December 28, 1974, as amended from time to time. Section 49(d).

16.24. (1) The age of superannuation of a teacher of the University governed by the new scale of pay shall be sixty years. Section 94.

(2) The age of the superannuation of a teacher of the University not governed by the new scale of pay shall be sixty years.

(3) No extension in service beyand the age of superannuation shall be granted to any teacher after the date of commencement of thease Statutes :

"Provided that a teacher whose date of superannuation does not fall on June 30 shall continue in service till the end of academic

session, that is, June 30, following, and will be treated as on re-employment from the date immediately following his superannuation till June 30, following.

Provided further that such physically and mentally fit teachers shall be re-appointed for a further period of one year, after June 30, following the date of their superannuation, as were imprisoned for taking part in freedom struggle of 1942 and are getting freedom fighters pension and a period of one year has not elapsed after the expiry of the period of their re-employment may be considered for re-appointment for a further period of one year"[1]

Section 49.

16.25. Every teacher of the University who on August 1, 1975, was serving on extension beyond the age of superannuation specified in Statute 16. 24 and such extension was granted before the said date, shall retire on the expiry of the period of extension in accordance with the provision of the Statutes and Ordinances in

---

1. Substituted by U. P. notifications No. 4361/15-10-80-15 (69)80 dated 8 October 1980, 2008/15-10-82-15 (96) 80 dated 30 June 1982, 3599/15-10-85-10(6) 85 dated 29 June 1985, 3657/15-10-85-15(15)-84 dated 3 September 1986, 5644/15-10-87-10(6) 85 dated 18 December 1987 and 4405/15-10-88-15(185/84 dated 30 June 1988. Originally provision read as follows -

"Provided that if the date of superannuation of a teacher does not fall on 30 June, the teacher shall continue in service till the end of the academic session i.e. June 30 following and he will be treated as on re-employment from the date of immediately following the date of his superannuation till June 30 following.

force on the said date, but such teacher shall not be entitled to avail the new scales of pay.

16. 26. The date of superannuation of a teacher of the University shall, subject to the provisions of Statute 16. 24, be the date immediately preceding the 60th birthday of such teacher.

Section 49.

Part IV
OTHER PROVISIONS

16. 27. Any contract of appointment between a teacher and University entered into before the commencement of these Statutes shall be subject to the provisions of the Statutes contained in this Chapter, and shall be deemd to be modified in accordance with the provisions of this Chapter and in accordance with the terms contained in the form set out in 'Appendix B' read with Appendix 'C'

Section 49.

16. 28. A teacher of the University dismissed on any of the grounds mentioned in clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of Statute 16. 04 (1) shall not be re-employed in any University or in any college affiliated or associated with any such University in any capacity.

Section 49.

16. 29. (1) Every teacher of the University shall prepare in duplicate his Annual Academic Progress Report in Form 3 of Appendix D The original report shall be lodged with the Vice-Chancellor and the copy thereof shall be retained by the teacher himself.

Section 49.

(2) The original Report shall before being lodged with the Vice-Chancellor be countersig-

ned in the case of teachers other than the Head of a Department by the Head of the Department concerned.

(3) The report in respect of an academic session shall be lodged by the end of July following the said session, or within one month from the close of the session whichever is later.

Section 49. 16. 30. Every teacher of the University shall be bound to comply with the directions of the officers and authorities of the University in connection with the examinations conducted by the University.

Section 49. 16. 31. Where under the provisions of the Act or these Statutes or the Ordinances, a teacher is required to be served with any notice and such teacher is not in station, the notice may be sent to him by registered post at his last known address.

CHAPTER XVII

Part I

CONDITIONS OF SERVICES OF TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES

Section 49 (e). 17. 01. The provisions of this Chapter shall not apply to the teachers of any college exclusively maintained by the Government of a State, or Union Territory or a Local Authority or Body.

Section 49 (e). 17. 02. Except in the case of an appointment in a vacancy caused by the grant of leave to a teacher for a period not exceeding 10 months, teachers of an affiliated college shall be appointed on a written contract in the Form (1) or

Form (2) set out in Appendix 'D' as the case may be.

17. 03. (1) A teacher of an affiliated college shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the Code of Conduct as set out in Appendix C' which shall form part of the agreement to be signed by the teacher at the time of appointment.

Section 49(o).

(2) A breach of any of the provisions of the Code of Conduct as set out in Appendix 'C, shall be deemed to be a misconduct within the meaning of Statute 17. 04 (1).

17. 04. (1) A teacher of an affiliated college (other than a Principal) may be dismissed or his services terminated on one or more of the following grounds :—

Section 49(o).

(a) wilful neglect of duty.

(b) misconduct, including disobedience to the orders of the Principal,

(c) breach of any of the terms of contract of service.

(d) dishonesty connected with the University or college examinations,

(e) scandalous conduct or conviction for an affence involving moral turpitude,

(f) physical or mental unfitness

(g) incompetence,

(h) abolition of the post with the prior approval of the 'Government'[1].

---

1. Substituted by u, p. notification No-5385/xv 10/83, 13 (5) 82 dated october 31, 1985, originally the word was 'vice-chancellor'.

(2) A principal of an affiliated college may be dismissed or removed or his services terminated on one or more of the grounds mentioned in clause (1) or on the ground of continued mismanagement of the college.

(3) Except as provided in clause (4), not less than three months notice (or where notice is given after the month of October, then three months' notice or notice ending with the close of the session, whichever is longer) shall be given on either side for terminating the contract of service or in lieu of such notice, salary for three months (or longer period as aforesaid) shall be paid or refunded, as the case may be :

Provided that where the management dismisses or removes or terminates the services of a teacher unders clause (1) or clause (2) or when the teacher terminates the contract for breach of any of its terms by the management, no such notice shall be necessary :

Provided further that the parties will be free to waive the condition of notice in whole or in part by mutual agreement.

(4) In the case of a teacher appointed in a temporary or officiating capacity his services shall be terminable by one month notice or on payment of salary in lieu thereof, on either side.

Section 49 (o).

17. 05. The original contract of appointment of a Principal or other teacher shall be lodged with the University for registration within three months of the date of appointment.

Section 49 (o

17. 06. (1) No order dismissing removing or terminating the services of a teacher on any ground mentioned in clause (1) of Statute 17. 04 (except in the case of a conviction for an offence involving moral turpitude or of abolition of post) shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity--

(i) of submitting a written statement of his defence,

(ii) of being heard in person, if he so desires, and

(iii) of calling and examining such witnesses in his defence as he may desire :

Provided that the management or the officer authorised by it to conduct the enquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing refuse to call any witness.

(2) The management may at any time, ordinarily within two months from the date of the enquiry officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services mentioning the grounds of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forthwith be communicated to the teacher concerned and also be reported to the Vice-Chancellor for approval and shall not be operative unless so approved by the Vice-Chancellor.

(4) The Management may instead of dismissing, removing or terminating the services of the teacher pass a resolution inflicting one or more of the following lesser punishments namely—

(i) reduction of pay for a specified period;

(ii) stoppage of annual increments for a specified period not exceeding three years;

(iii) deprivation of his pay not including subsistence allowance during the period of his suspension, if any.

The resolution by the Management inflicting such punishment shall be reported to the Vice-Chancellor and shall be operative only when and to the extent, approved by the Vice-Chancellor.

Section 49 (o).

17. 07. The management shall have the power to suspend a teacher during the pendency or in contemplation of an enquiry into charge against him, on the grounds mentioned in sub-clause (a) to (e) of clause (1) of Statute 17. 04. In an emergency, (in the case of a teacher other than Principal) this power may be exercised by the Principal in anticipation of the approval of the management. The Principal shall immediately report such case to the management. The order of suspension if passed in contemplation of an enquiry shall cease at the end of four weeks of its operation unless the teacher has in the meantime been communicated the charge or charges on which the enquiry was contemplated.

Section 49 (d).

17. 08. In computing the maximum period

for purposes of clause (2) of Statute 17. 06 and Statute 17. 07 any period during which a stay order from any court of law is in operation shall be excluded.

"17. 09. No teacher of an affiliated college shall draw for any duties performed in connection with any examination referred to in section 34 (I), in any calander year any remuneration in excess of one sixth of the aggrigate of his salary in that calander year or three thousand Rupees whichever is less"[1]

Section 49.

17. 10. Notwithstanding anything contained in these Statutes —

Section 49

(i) a teacher of an affiliated college who is a member of Parliament or State Legislature shall not, throughout the term of his membership hold any administrative or remunerative office in the college or in the University ;

---

1. Substituted by U. P. notification No. 5675/15—10-80-13 (10) 79 dated 2 December 1980 Originally provision read as follows...

17. 09. (1) No teacher of an affiliated college drawing pay in the scales of pay applicable to University teachers shall be paid any remuneration for any duty connected with the examinations conducted by the University.

(2) No teacher of an affiliated college shall draw in any calendar year a total remuneration exceeding rupees three thousand or, in the case of teachers drawing pay in the scales of pay applicable to the University teachers, the average of his two months salary in the particular calendar year, whichever is less, for any duties performed in connection with any examination referred to in section 34 (1).

(ii) if a teacher of an affiliated college is holding and administrative or remunerative office in the college or in the University, from before the date of his election or nomination as a member of Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination or with effect from the commencement of these Statutes whichever is later;

(iii) a teacher of an affiliated college who is elected or nominated to the Parliament or the State Legislature shall not be required to resign or to take leave from such college for the duration of his membership or, except as provided by Statue 17. 11. for attending the meeting of any House or Committee thereof.

Explanation—The membership of any authority or body of the University or the Deanship of a Faculty or the Principalship of any college shall not be deemed to be an administrative or remunerative office for the purposes of this Statute.

Sections 49.

17. 11. The management of an affiliated college shall with prior approval of the Vice-Chancellor, fix a minimum number of days during which such teacher shall be available in the college for his academic duties :

Provided that where a teacher of the college is not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave as may be due to him, and if no leave is due, then on leave without pay.

Part II

LEAVE RULES FOR TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES

17. 12. The provisions of Statutes 16. 12 to 16. 22 relating to the leave rules of teachers of the University shall be applicable to the teachers of an affiliated college with the substitution of the words 'Management, and 'Principal or Director' for the words 'Executive Council' and 'Vice-Cnancellor' respectively. Section 49.

Part III

AGE OF SUPERANNUATION

17. 13. The provisions of the statutes 16. 24 to 16. 26 relating to the superannuation of the teachers of the University shall *mutatis mutandis* apply to the teachers of an affiliated college. Section 49.

Part IV

OTHER PROVISIONS

17. 14. Any contract of appointment between a Principal or other teacher of an affiliated college and the management, entered into before the commencement of these Statutes shall be subject to the provisions of the Statutes contained in this Chapter, and shall be deemed to be modified in accordance with the provisions of this Chapter and in accordance with terms contained in the form set out in Appendix 'D' read with Appendix 'C'. Section 49 (o).

17. 15. A teacher of an affiliated college dismissed on any of the grounds mentioned in Sections 35 and 49 (o).

clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of Statute 17. 04 (1) shall not be re-employed in any University or in any college affiliated to or associated with such University in any capacity.

Section 49 (d)

17. 16. The provisions of clauses (2) to (4) of Statutes 16. 07 Statutes 16. 29. 16. 30 and 16. 31 shall *mutatis mntandis* apply to every teacher of an affiliated college with the following modifications, namely—

(a) in clause (2) to (4) of Statute 16. 07 *for* the words 'Vice-Chancellor' and 'Executive Council' the words 'Management' and 'Vice-Chancellor' shall be *substituted* ;

(b) in Statute 16. 29 *for* the words 'Vice-Chancellor' and 'Head of Department' the word 'Principal' shall be *substituted*

CHAPTER XVIII

Part I

SENIORITY OF THE TEACHERS OF UNIVERSITY

Sections 16 (4) and 49 (d).

18. 01. The Statutes contained in this Chapter shall not affect the *inter se* seniority of teachers employed in the University from before the commencement of these Statutes.

Sections 16(4) and 49 (d).

18. 02. It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each category of teachers of the University, a complete and uptodate seniority list in accordance with the provisions hereinafter appearing.

Section 49. (d).

18. 03. The seniority among Deans of the Faculties shall be determined by the length of

total period of service they have put in as Deans of the Faculties :

Provided that when two or more Deans have held the said office for equal lengh of time, the Dean who is senior in age shall be considered to be senior for the purposes of this Chapter.

18. 04. The seniority among Heads of Departments shall be determined by the length of the total period of service they have put in as Head of Department : Section 49 (d).

Provided that when two or more Heads of Department have held the said office for equal length of time, the Head of Department who is senior in age shall be considered to be senior for the purposes of this Chapter.

18. 05. The following rules shall be followed in determining the seniority of teachers of the University :— Section 49(d).

(a) A Professor shall be deemed senior to every Reader and Reader, shall be deemed senior to every Lecturer.

(b) In the same cadre, seniority of a teacher shall be determined according to the length of his continuous service in a substantive capacity in such cadre ;

Provided that where more than one appointments to post in a cadre have been made at the same time, and an order of perference or merit was indicated by the Selection Committee or by the Executive Council as the case may be, the seniority of the persons so appointed shall be governed by the order so indicated.

(c) When any teacher holding substantive post in any University (other than the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya- Varanasi), or in any constituent college or in any Institute "whether in the state of Uttar Pradesh or outside Uttar Pradesh"[1] "Whether before or after August 1 1981"[2] is appointed to a post of corresponding rank or grade in the University, the period of service rendered by such teacher in that grade or rank in such University shall be added to his length of service.

(d) When any teacher holding substantive post in any college affiliated to or associated with any University is appointed 'Whether before or after the commencement of these statutes"[3] as a Lecturer in the University, then one-half of the period of substantive service rendered by such teacher in such college shall be added to his length of service.

(e) Service against an administrative appointment in any University or institution shall not count for the purposes of seniority.

Explanation—In this Chapter, the expression "administrative appointment" means an appointment made under sub-section (6) of section 13.

(f) Continuous service in a temporary post to which a teacher is appointed after reference

1 and 2 added by U. P. notification No. 151/15-10-82-11 (12)181 dated 5 April 1982.

3. Added by U. P. notification No5675/XV-10-80-13(10) 79 dated 2 December 1980.

to a Selection Committee, if followed by his appointment in a substantive capacity to that post under section 31 (3)(b) shall count towards seniority.

18.06 Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service in the cadre to which they belong, the relative seniority of such teachers shall be determined as belew :

Section 49 (d).

(i) in the case of professors, the length of substantive service as Reader shall be taken into consideration ;

(ii) In the case of Readers, the length of substantive service as Lecturer shall be taken into consideration ;

(iii) In the case of Professors, whose length of service as Readers is also identical, the length of service as lecturer shall be taken into consideration.

[1]8.07. Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service and their relative seniority cannot be determined in accordance with any of the foregoing provisions, then the seniority of such teachers shall be determined on the basis of seniority in age.

Section 49 (d).

18.08. (1) Notwithstanding anything contained in any other Statute, if the Executive Council—

Section 49 (d).

(a) agrees with the recommendation of the Selection Committee, and approves two or more persons for appointment as teachers in

the same Department, it shall, while according such approval, determine the order of merit of such teachers.

(b) does not agree with the recommendations of the Selection Committee and refers the matter to the Chancellor under section 31 (8) (a), the Chancellor shall, in case where appointment of two or more teachers in the same Departments is involved, determine the order of merit of such teachers at the time of deciding such reference.

(2) The order of merit in which two or more teachers are placed under clause (1) Shall be communicated to the teachers concerned before their appointment.

Section 49 (d).

18.09. (1) The Vice-Chancellor shall from time to time consitute one or more seniority committees consisting of himself as Chairman and two Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor:

Provided that the Dean of the Faculty to which the teachers (whose seniority is in dispute) belong shall not be a member of the relative Seniority Committee.

(2) Every dispute about the seniority of a teacher of the University shall be referred to the seniority committee which shall decide the same giving reasons for the decision.

(3) Any teacher aggrieved by the decision of the seniority Committee may prefer an appeal to the Executive Council within sixty days from the date of communication of such deci-

sion to the teacher concerned. If the Executive Council disagress with the Committee, it shall give reasons for such disagreement.

Part II

SENIORITY OF PRINCIPALS AND TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES

18. 10. The following rules shall be followed in determining the seniority of Principals and other teachers of affiliated colleges :— Section 49 (d).

(a) the Principal shall be deemed senior than other teacher in the College;

(b) the Principal of an affiliated college of a higher category shall be deemed senior to the Principal of an affiliated college of a lower category;

(c) a teacher of a particular cadre of a college of a higher category shall be deemed senior to a teacher of such cadre of a college of a lower category;

(d) the seniority of Principals and teachers shall be determined as amongst the Principals and teachers of the affiliated college of the same category;

(e) the seniority of Principals and teachers of the affiliated colleges shall be determined by the length of continuous service from the date of appointment in substantive capacity;

(f) service in each capacity (for example, as Principal or as a teacher) shall be counted from the date of taking charge pursuant to substantive appointment;

(g) service in a substantive capacity in another college of the same category affiliated to the University shall be added in his length of service provided that the service in such other college is in the same cadre and in the same grade;

(h) among the teachers of the colleges of the same category a teacher in the higher cadre or grade shall be deemed senior to a teacher in a lower cadre or grade;

(i) the period of leave for service elsewhere shall not count for seniority.

Section 4. (o)

18. 11. Where more than one teachers are entitled to count the same length of continuous service, the relative seniority of such teachers shall be determined as below ;

(i) in the case of Principals the length of substantive service as a Principal of a College lower category shall be taken into consideration ;

(ii) in the case of teachers, the length of substantive service in the same cadre in a College of a lower category shall be taken into consideration ;

(iii) if two or more Principals or teachers are entitled to count the same lenght of substantive service and their relative seniority cannot be determined under any of the foregoing provisions, such seniority shall be determined according to seniority in age.

Section 49 (o).

18. 12. Where the seniority of a person as Principal or teacher to be determined for the

purpose of repersentation or appointment as such on a University authority, the length of service only as Principal or such teacher shall be taken into account and where two or more Principals or teachers are entitled to count the same length of substantive service for the purpose, their relative seniority shall be determined according to seniority in age.

18. 13. (1) When two or more persons are appointed as teachers in the same department or in the same subject, their relative seniority shall be determined in order of preference or merit in which their names were recommended by the Selection Committee.

Section 49 (o).

(2) If the seniority of two or more teachers has been determined under clause (1), the same shall be commuuicated to the teachers concerned by the management before their appointment.

18.14. All disputes regarding seniority of teachers (other than the Principal) of the same college, shall be decided by the Principal of the college who shall give reasons for the decision. Any teacher aggrieved by the decision of the Principal may prefer an appeal to the Vice-Chancellor within 60 days from the date of communication of such decision to the teacher concerned. If the Vice-Chancellor disagrees from the Principal, he shall give reasons for such disagreement.

Section 49(o).

18.15. All disputes regarding seniority of Principals of affiliated colleges shall be decided by the Vice-Chanceller who shall give reasons for the decision. Any Principal aggrieved by the

Section 49 (o).

decision of the Vice-Chancellor may prefer an appeal to the Executive Council within sixty days from the date of communication of such decision to the Principal concerned. If the Executive Council disagrees with the Vice-Chancellor, it shall give reasons for such disagreement.

Section 49(o). 18.16. (1) The provisions of Statute 18.08 shall *mutatis mutandis* apply to the teachers of affiliated colleges except that the words 'management' and Vice-Chancellor' shall respectively be substituted for the words 'Executive Council' and 'Chancellor'.

(2) The relative seniority list of the teachers of the same college shall be prepared and maintained by the Principal of the College in accordance with the provisions of the statutes in this Chapter.

(3) As among the teachers of the same college a teacher of a higher cadre or grade shall be deemed senior to a teacher of lower cadre or grade.

(4) The statutes contained in this Chapter shall not affect the inter seniority of the teachers of the same college employed in the college before the commencement of these statutes.

CHAPTER XIX

HOSTELS

Section 49. 19.01. The University may maintain a hostel or hostels for the residence of its students.

19.02 The Executive Council shall control and manage the hostel or hostels, referred to in the preceding statute. The internal administration and discipline of the hostel shall be vested in a warden, who shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period not exceeding three years. The person appointed as a warden shall be eligible for re-appointment. The casual vacancies in the office of a warden shall be filled by the Vice-Chancellor for the residuary period.

Section 49.

19.03 The conditions of residence in a hostel maintained by the University shall be prescribed by the ordinance and every hostel shall be subject to inspection by the Dean of Student's Welfare and by an officer of the University authorised in this behalf by the Vice-Chancellor or the Executive Council.

Section 49.

19.04 The Dean of Student's Welfare may recommend to the Executive Council for recognition of other places for residence of such students as may not be able to secure accommodation in the hostels.

Section 49.

19.05 Every student not residing in a hostel or a recognised place of residence shall be attached to a hostel for tutorial help and disciplinary supervision or such other purposes as may be prescribed in the ordinances.

Section 49.

CHAPTER XX
RECOGNITION OF TEACHERS AND ACADEMIC INSTITUTIONS

Section 49.

20.01. The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council recognise teachers who are scholars of eminence—

(a) to teach and prepare students for the examinations of the University;

(b) to guide research and prepare condidates for research degrees of the University.

Section 49.

20.02. The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council recognise an academic institution to prepare condidates who shall pursue their research under guidance of a teacher recognised by the University under Statute 20.01 for research degrees of the Univereity.

Section 49.

20.03. The manner of recognition of teachers or a University or an academic institution under Statutes 20.01 and 20.02 shall be prescribed by the Ordinances.

CHAPTER XXI
MISCELLANEOUS

Sections 49 and 64.

21.01 All elections to an authority or body of the University according to the system of of proportional representation by means of single transferable vote shall be held in the manner laid down in Appendix A

Section 7.

21.02 Subject to the provisions of section 7, the University may allow any person to appear as a private candidate at examination conducted by the University provided that—

(a) such person fulfils the requirement laid down in Ordinances: and

(b) such examination does not relate to a subject or course of study in which practical examination is a part of the curriculum.

21. 03. The provision of Statute 21. 02 shall *mutatis mutandis* apply to correspondence course. **Section 7.**

"21 04. Notwithstanding anything contained in these statutes or ordinances of the university. **Sections 7.**

(i) no admission shall be made after August 31 in an academic year.

(ii) all examinations Conducted by the university shall be Completed by April 30; and.

(iii) Result shall be declared by June 15:

Provided that for the academic session of 1986-87 all examinations of the university may be completed by June 15, 1987 and all results may be declared by July 31, 1987 and that admission for the session 1987-88 may be completed by september 1987."[1]

"21. 05 with a view to improving his result a candidate may be allowed to appear in one subject in any part of the undergraduate examination and in one paper in B. ed or any one year of the LL. B. of any part of the post graduate examination in the next regular examination of the university."[2] **Section 7.**

---

1. Added by U. P. notification No. 3274/XV-X-87-15 (382)-86 dated 8 July, 1987.
2. Substituted by U. P. notification No. 4172/XV-X-88-15 (382)—86 dated June 25, 1988. Before Substitution statute 21.05 which added by U.P. notification

"CHAPTER XXII

SURCHARGE

Definitions.

22.01. In these Statutes unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(1) 'Examiner' means the Examiner, Local Fund Accounts, U. P.

(2) 'Government' means the Government of Uttar Pradesh.

(3) 'Officer of the University' means an officer mentioned in any of the clauses (b), (c) and (e) to (h) of section 9 of the Act and the officers declared as such under statute 2.01-A.

22.02. (1) In any case where the Examiner is of the opinion that there has been a loss, waste or misapplication, which includes misappropriation or unjustifiable expenditure, of any money or property of the University as a direct consequence of neglect or misconduct of an officer he may call upon the officer to explain in writing why such officer should not be surchar-

---

No. 3274/XV-X-87-15 (382) 86 dated July 8, 1987 read as follows—

"The answer books shall not be re-evaluated and supplementary examination shall not be conducted by the Uuiversity.

Provided that with a view to improving his result a candidate may be allowed to appear in one subject in any part of the under graduate examination and in one paper in B. Ed., or any one year of the LL. B. or any part of the post graduate examination in the next regular examination of the University."

ged with the amount of such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents the loss, waste or misapplication of property and such explanation will be furnished within a period not exceeding two months from the date such requisition is communicated to the person concerned :

Provided that explanation from any of the officers other than the Vice-Chancellor shall be called for through the Vice Chancellor.

NOTES – (1) Any information required by the Examiner, or by a person appointed by him for the purpose, for preliminary inquiry shall be furnished and all connected papers and records shown to him by the officer, (or if such information, papers or records are in possession of a person other than the said officer, by such person) within a reasonable time not exceeding two weeks in any case :—

(2) Without prejudice to the generality of the porvisions contained in clause (1) the Examiner may call for the explanation in the following cases :—

(a) Where expenditure has been incurred in contravention of the provisions of these statutes or of the Act or of the ordinances or regulations made there under;

(b) Where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient recorded reasons;

(c) Where any sum due to the University has been remitted in contravention of the

provisions of these statutes or of the Act or the ordinances or regulations made thereunder;

(d) Where loss has been caused to the University by neglect in realising its dues;

(e) Where loss has been caused to the funds or proprty of the University on account of want of reasonable care for the custody of such money or proparty.

(3) On the written requisition of the officer from whom an explanation has been called the University shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The Examiner may, on an application from the officer concerned; allow a reasonable extension of time for submission of his explanation if he is satisfied that the officer charged has been unable for reasons beyond his control to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

Explanation—Making of an appointment in contravention of the Act or the statutes or ordinances made thereunder shall amount to misconduct and payments to the person conceened of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of university money.

22.03. After the expiry of the period prescribed and after considering the explanation, if received within time, the Examiner may surcharge the officer with the whole or a part of the sum for which such officer may in his opinion be liable ;

Provided that in the case of loss, waste or misapplication accruing as a result of neglect or misconduct of two or more officers each such officer shall be jointly and severally liable :

Provided also that no officer shall be liable for any loss, waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurrenee of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be such officer whichever is later.

22.04. An offiicer aggrieved by an order of surcharge passed by the Examiner may prefer an appeal to the Commissioner of the division in which the university is situate within thirty days from the date on which such order is communicated to him. The Commissioner may confirm, rescind or vary the order passed by the Fxaminer or may pass such order as he think fit against it.

22.05 (1) The officer who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which such order is communicated to him or within such further time, not exceeding one year, from the said date as may be permitted by the Examiner :

Provided that where an appeal has been preferred under Statute 22.04 against the order of surcharge passed by the Examiner all proceedings for recovery of amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Commissioner until the appeal has been finally decided.

(2) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in clause (1) it shall be recoverable as arrears of land revenue.

22.06. Where a suit is instituted in a court to question an order of surcharge and the Examiner or the State Government is a defendant in such a suit, all costs incurred in defending the suit shall be paid by the University and it shall be the duty of the University to make such payment without any delay."[1]

1. Added by U. P. notification No. 929/XV-10-85-15 (75)-83 dated March 20, 1985.

APPENDIX 'A'

(See STATUTES 4. 10 AND 21. 01)

ELECTION BY PROPORTIONAL REPRESENTATION BY MEANS OF SINGLE TRANSFERABLE VOTE

Part I—General

1. Unless there is anything repugnant to the subject or context with reference to any election by proportional representation by single transferable vote.

(i) "Candidate" means a person duly qualified to seek election who has been duly nominated.

(ii) "Continuing candidate" means a candidate not elected and not excluded from the poll at any given time.

(iii) "Elector" means, person who is duly qualified to give his vote in the election.

(iv) "Exhausted Paper" means a ballot paper on which no further preference is recorded for a continuing candidate provided that paper shall also be deemed to be exhausted if—

(a) the names of two or more candidates, whether continuing or not, are marked with the same figure and are next in order of preference, or

(b) the name of candidate next in order of preference, whether continuing or not, is marked—

(1) by a figure following consecutively after some other figure on the ballot paper, or,

(2) by two or more figures.

(v) "First preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 1 appears on a ballot paper, 'Second preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 2 appears, "Third preference vote" means the vote for a candidate against whose name the figure 3 appears and so on.

(vi) "Original vote" in regard to any condidate means a vote derived from a ballot paper on which a first preference is recorded for such candidate.

(vii) "Quota" means the lowest value of votes sufficient to secure the return of a candidate.

(viii) "Surplus" means the number by which the value of votes of any candidate, original and transferred, exceeds the quota.

(ix) "Transferred vote" in regard to any candidate means a vote which is derived from a ballot paper on which a second or subsequent preference is recorded for such candidate and the value or part of the value of which is credited to such candidate.

(x) 'Unexhausted paper" means a ballot paper on which a further preference is recorded for a continuing candidate.

2. The Registrar shall be the returning officer responsible for the conduct of all elections.

3. The Vice-Chancellor shall—

(i) appoint the dates for the various stages of each election in conformity with the provisions of Statutes and shall have power to alter these dates in case of any emergency except where such alteration contravenes the provisions of the statutes;

(ii) decide in case of doubt the validity or otherwise of a vote recorded.

4. The election of members of the Court representing Registered Graduates (and such other elections as the Vice-Chancellor may for reasons of convenience or economy direct) shall be conducted by postal ballot. Other elections shall be conducted at meetings of the Authorities or bodies concerned.

5. A voting paper shall be in the following form :

NAME OF UNIVERSITY

Election by..............Constituency

Name of candidate and order of preference (to be indicated in the space) by the numericals 1. 2. 3, etc.

....

....

....

6. An elector in recording his vote—

(i) must place on his voting paper the figure I opposite the name of the candidate for whom he votes, and

(ii) may, in addition, indicate the order of his choice or prefrence for as many other candidates as he pleases, by placing against their respective names the figures 2, 3, 4 and so on, consecutive numericals.

7. A voting paper shall be invalid on which—

(i) the figure I is not marked, or

(ii) the figure I is placed opposite the name of more than one candidate, or

(iii) figure I and any other figure are marked opposite the name of the same candidate, or

(iv) the figure I is so marked as to render it doubtful to which Candidate it is intended to apply, or

(v) in an election by ballot any mark is made by which the voter may afterwards be indentified; or

(vi) there is any erasure, or alteration in the figure indicating the voter's preferences, or

(vii) it is not on the form provided for the purpose.

Part II—Election conducted by Postal Ballot

8. At least three months before the vacancies to be filled by election by postal ballot are due to occur, the Registrar shall cause a notice to be issued under a registered cover to each qualified voter at his registered address calling on him to submit nomination within fifteen days of the posting of the notice. The notice shall be accompanied by a list of voters.

9. The Registrar shall have power to correct any error and supply any omission brought to his notice in the list of voters. If the name of a person is removed from the list, his vote shall not be counted even if he has received the voting paper and recorded his vote, and a certificate, that this has been so done, shall be recorded by the Registrar and the persons, if any, associated with him in preparing the result to the election.

10. Every elector shall have the option of nominating any number of candidates not exceeding the number of places to be filled.

11. Every nomination paper shall be signed by a proposer who shall himself be an elector and shall be accompanied by the assent of the candidate nominated for election either in writing or by signing the nomination paper. It may bear the signature of other electors as supporters of the nomination. But no candidate shall sign as proposer or seconder, a nomination paper on which his own name appears as a candidate.

12 The nomination paper shall be delivered to the Registrar in a closed cover either in person by the proposer or an elector who supports the nomination or through registered post, within the time mentioned in the notice.

13. It shall be open to a candidate to withdraw from an election by sending to the Registrar, so as to reach him before the day and hour fixed as the last day for the receipt of nomination, an intimation of withdrawal in writing

signed by himself and attested by a Stipendiary Magistrate, a Gazetted Officer, or a Principal of a college associated with or affiliated to a University. The attestation should be under the seal of Officer concerned.

14. The Registrar shall notify the place, date and time for the opening of the covers containing the nomination papers. Such candidates or electors as may desire to be present may do so on the occasion.

15. The Registrar shall prepare list of valid nominations. If the nomination paper is rejected by the Registrar; he shall inform the candidates within two days stating the reasons for such rejection It shall be open to the candidate to send within three days of the receipt of such communication a request that the matter be referred to the Vice-Chancellor The matter shall then-be referred to the Vice Chancellor whose decision shall be final.

16. If the number of candidates duly nominated does not exceed the number of places to be filled, the Registrar shall declare them elected. In case any place remains unfilled a fresh election shall be held in like manner to fill it and such election shall be deemed to be a part of general election.

17. If the number of candidates duly nominated exceed the number of places to be filled an election shall be conducted

18 The Registrar shall within 15 days of the completion of scrutiny send by registered post to each elector at his registered address a

voting paper together with a cover bearing the name of the constituency only and a larger cover on the left side of which are written or printed the number of elector on the electoral roll, the name of the constituency, and on the right side the address of the Registrar of the University. The Registrar shall also enclose a certificate of identity.

19. (i) The elector shall sign the certificate of identity and have it duly attested by any of the following persons :

(a) The Registrar of any University established by law in India for the time being.

(b) The Principal of a College associated with or affiliated to any such University or Head of a Department of teaching of such University.

(c) Any Gazetted Officer of the Government.

(ii) The attesting Officer shall attest with his full signature and under his seal,

(ii) The elector shall enclose the voting paper duly filled in but without his name or signature in a smaller cover, and then enclose it in the larger cover along with the certificate of identity duly signed and attested and send the same duly sealed with either by registered post or deliver it personally to the Registrar.

20. The voting paper must reach the Registrar by the time and date fixed. If received after appointed time and date, it shall be rejected by him.

21. If two or more voting papers are sent in the same cover they shall not be counted.

22. A voter who has not received his voting paper and other connected paper, or who has lost them or whose papers before their return to the Registrar have been inadvertently spoiled, may send a declaration to that effect signed by himself and request the Registrar to send him duplicate papers in place of those not received, lost or spoiled. The Registrar in place of those not received, lost or spoiled, may, if he is satisfied, issue another copy marked "Duplicate".

23. The Registrar shall keep the voting papers sealed and unopened in safe custody until the date and time fixed for their scrutiny.

24. Due notice of such date, time and place of scrutiny shall be given by the Registrar to all the candidates who shall have the right to be present during the scrutiny:

Provided that no candidate shall be entitled to ask for the inspection of such voting paper.

25. The Registrar, where necessary, shall be helped by such other persons as may be appointed by the Vice-Chancellor for assisting him in the scrutiny work.

26. At the appointed date, the time and place the Registrar shall open the covers containing the voting papers and scrutinize them and separate those that are not valid.

27. The valid paper shall then be sorted into parcels, each parcel containing all the papers on which the first preference is recorded for a particular candidate.

28. For the purpose of facilitating the process prescribed by this Statute each ballot paper shall be deemed to be of the value of one hundred.

29. The Registrar shall in carrying out the provisions of the Statute—

(i) disregard all fractions;

(ii) ignore all preferences recorded for candidate already elected or excluded from the poll.

30. The Registrar shall then add together the values of the papers in all the parcel divide total by a number exceeding by one the number of vacancies to be filled, and add one to the quotient. The number thus obtained shall be the 'quota".

31. If at any time candidates equal in number to the number of persons to be elected have obtained the quota such candidates shall be treated as elected and no further proceeding shall be taken.

32. (i) Every candidate the value of whose parcel on the first preference being counted is equal to or greater than the quota, shall be declared elected.

(ii) If the value of papers in any such parcel is equal to the quota the papers shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the papers in any such parcel is greater than the quota, the surplus shall be transferred to the continuing candidates indicated on the ballot paper as next in the

order of the voter's preference, in the manner prescribed in the Statute herinafter appearing.

33. (i) If and whenever as the result of any operation prescribed by the Statute above, a candidate has any surplus, that surplus shall be transferred in accordauce with the provision of the Statute.

(ii) If more than one candidate has a surplus the largest surplus shall be dealt with first and the others in a decreasing order of magnitude provided that every surplus arising on the first count of votes shall be dealt with before those arising on the second count; and so on.

(iii) Where to or more surplus are equal the Registrar shall decide according to the terms prescribed in sub-clause (ii) above which shall bc first dealt with.

(iv) (a) If the surlups of any candidate to be transferred arises from original votes only, the Registrar shall examine all papers in the parcel belonging to the candidate whose surplus is to be transferred and devide the unehxausted paper into sub-parcels according to the next preference recorded thereon. He shall also make a separate sub-parcel of the exhausted papers.

(b) He shall ascertain the value of the papers in each sub-parcel and of the unexhausted papers.

(c) If the value of unexhausted papers is equal to or less than the surplus, he shall transfer all unexhausted papers at the value at which they were received by the candidates whose Surplus is being transferred.

(d) If the value of the unexhausted papers is greater than the surplus; he shall transfer the sub-parcels of unexhausted papers and the value at which each paper shall be transferred shall be ascertained by dividing the surplus by the total number of unexhausted papers.

(v) If the surplus of any candidate to be transferred arises from transferred as well as original votes the Registrar shall re-examine all the papers in the sub-parcel last transferred to the candidate and divide the unexhausted papers into sub-parcels according to the next preference accorded thereon. He shall thereupon deal with the sub-parcels in the same manner as is provided in the case of sub-parcels referred to in the last preceeding clause.

(vi) The papers tranferred to each candidate shall be added in the form of a sub-parcel to the papers already belonging to such candidate.

(vii) All papers in the parcel or sub-parcels of an elected candidate not transferred under this clause shall be set aside as finally dealt with.

34. (i) If after all surpluses have been transferred as hereinbefore directed less than the number of candidates required has been elected the Registrar shall exclude from the poll the candidate lowest on the poll and shall distribute his unexhausted papers among the continuning candidates according to the next preference recorded thereon. Any exhausted paper shall be set aside as finally dealt with.

(ii) The papers containing original votes of an excluded candidate shall first be transferred, transfer value of each paper being one hundred.

(iii) The papers containing transferred votes of an excluded candidate shall then be transferred in the orders of

the transfers in which and at the value a which he obtained them.

(iv) Each of such transfers shall be deemed to be a separate transfer.

(v) The process directed by this clause shall be repeated on the successive exclusions one after another of candidates lowest on the poll until the last vacancy is filled either by the election of a candidate with the quota or as hereinafter provided.

35 If as the result of a transfer of papers the value of the votes obtained by a candidate is equal to or greater than the quota the transfer proceedings shall be completed and no further papers shall be transferred to him.

36. (i) If after the completion of any transfer under the said clause the value of the votes of any candidate is equal to or greater than the quota he shall be declared elected.

(ii) If the value of the votes of any such candidates is equal to the quota, the whole of the papers on which such votes are recorded shall be set aside as finally dealt with.

(iii) If the value of the votes of any such candidate is greater than the quota, his surplus shall thereupon be distributed in the manner hereinbefore provided before exclusion of any other candidate.

37. (i) When the number of continuing candidates is reduced to the number of vacancies remaining unfilled the continuding candidates shall be declared elected.

(ii) When only one vacancy remains unfilled and the value of the votes of any continuing candidate exceed the total value of all the votes of other continuing candidates, together with any surplus not transferred, that candidate shall be declared elected.

(iii) When only one vacancy remains unfilled and there are only two continuing candidates and those two candidates have each the same value of votes and no surplus remains capable of transfer one candidate shall be declared excluded under the next succeeding clause and the other declared elected.

38. If and when there is more than one surplus to distribute, two or more surpluses are equal or if at any time it becomes necessary to exclude a candidate and two or more candidates have the same value of votes and are lowest on the poll regard shall be had to the original votes of each candidate as the candidate for whom fewest votes are recorded shall have his surplus first distributed or shall be first excluded, as the case may be. If the value of their original votes are equal the Registrar shall decide by lot which candidate shall have his surplus distributed or excluded.

39 Recounting—The Registrar may, either on his own initiative or at the instance of any candidate, recount votes, whether once or more than once, when the Registrar is not satisfied as to the accuracy of a previous counting :

Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Registrar to recount the same more than once.

40. After the scrutiny is completed, the Registrar shall forthwith report the result to the Vice-Chancellor.

41. The Registrar shall place the nomination papers and the ballot papers in a sealed packed which shall be preserved for a period of one year.

Part III—Elections held at meetings

42. In case of an election conducted at a meeting of a University Authority or body it shall not be necessary to pub-

lish the electoral roll for the purpose of eliciting claims and objections or to invite nominations in advance. The members of the Authority or body concerned present at the meeting duly convened shall take part in the election, Names, may be proposed for election and candidate withdrawn in advance or at the meeting. The voting paper supplied to the voters shall show the names of which notice was received in time for printing and shall contain blank space, with addition of names including those proposed at the meeting. A notice of the meeting at which the election is to be held mentioning the time, date and place of such meeting together with lists of members shall be sent by the Registrar to each members. The period of notice shall be fixed by the Vice-Chancellor.

APPENDIX 'B'

(See STATUTE 16. 01)

FORM OF AGREEMENT WITH MEMBERS OF TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY

AGREEMENT made this............day of........ .... 19, between Sri/Srimati/Kumari ... ., of the first part and the University of....... ....(hereinafter called the University) of other part :—

IT IS HEREBY AGREED as follows :—

1. That the University hereby appoints Shri/Srimati/Kumari . ... the party of the first part to be a teacher of the University with effect from the date the party of the first part (hereinafter called the teacher) takes charge of the duties of his/her office, and the teacher hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part, and perform such duties in the University as may be required of him/her,

including the management and protection of the University property or funds, the organization of instruction, the teaching formal or informal and the examination of students, the maintenance of discipline and the promotion of students welfare in connection with any curricular or residential activities and perform such extra curricular duties of the University as may by entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the University and shall abide by and conform to the Code of Conduct for teachers laid down by the University as amended from time to time :

PROVIDED that the teacher shall be on probation for a period of one year in the first instance and the Executive Council may in its discretion extend the period of probation by one year.

2. That the teacher shall retire in accordance with the provisions of the Statutes of the University.

3. That the scale of pay attached to the post of teacher to which the teacher is appointed shall be..........The teacher shall from the date he/she takes charge of his/her said duties be granted pay at the rate of Rs...............per mensem in the aforesaid scale and shall receive pay in the succeeding stages in the scale unless the annual increment is withheld in pursuance of the provisions of the Statutes ;

Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale, the increment next above the bar shall not be given to the teacher without the specific sanction of the authority empowered to withhold increment.

4. That the teacher shall obey, and to the best of his/her ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the University, to whose authority he/she may,

while this agreement is in force, is subject under the provisions of the said Act, or under any Statutes, Ordinances or regulations made thereunder.

5. That the teacher hereby undertakes to abide by and conform to the Gode of Conduct laid down for the teachers, by the University, as amended from time to time.

6. That on the termination of this agreement from whatever cause, the teacher shall deliver up to the University all books, apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in his possession.

7. That in all matters, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes and Ordinances of the University, for the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced herein, and by the provisions of Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto affix their hands and seal on the day and year first above written.

....

Signature of the Teacher   Signature of the Finance Officer
representing the University.

Witnesses :

1.........................

2.........................

APPENDIX 'C'

(See STATUTES 16. 02. 16. 27 AND 17. 14)

CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS

WHEREAS a teacher, conscious of his responsibilities and the trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realise that he can fulfil the role of moral leadership more by example than by precept through a sprit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed ;

Now THEREFORE, in keeping with the dignity of his calling, this Code of Conduct is hereby laid down to be truly and faithfully observed :

1. Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.

2. No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the students nor shall he practice victimisation against them.

3. No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the Alma Mater.

4. No teacher shall discriminate against any pupil on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies amongst his colleagues, subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.

5. No teacher shall refuse to carry out the decisions of the appropriate bodies and functioaries of the University or the college, as the case may be.

6. No teacher shall divulge any confidential imformation relating to the affair of the University or college, as the case may be, to any person not authorised in respect therof.

———

APPENDIX 'D'

(See STATUTES 14. 02 AND 17. 14)

(1) FORM OF AGREEMENT WITH A TEACHER (OTHER THAN A PRINCIPAL) IN AFFILIATED COLLEGES

AGREEMENT made this ......day of ... 19 BETWEEN...... of the first part hereinafter referred to as the teacher and Management of the ....College ....through the Principal/Secretary of the second part hereinafter referred to as the college.

WHEREAS, the college has engaged the teacher to serve the College as.......subject to the conditions and upon the terms hereinafter contained, now this Agreement witnesseth that the teacher and the college hereby contract and agree as follows :

1. That the engagement shall be from the..........day of 19 and shall be teterminable as hereinafter provided.

2. That the teacher is employed, in the first intance on probation for a period of one year and shall be paid a monthly salary of Rs......The period of probation may be extended by such further period as the college may deem fit but the total period of probation shall in no case exceed two years.

3. That on confirmation after the period of probation the college shall pay the teacher for the services at the rate of Rs.......(Rupees..........only) per month rising by annual increment of Rs .... to Rs.......per month. The scale of salary shall be subject to such revision as may be made by University with the approval of the State Government from time to time.

4. That the said monthly salary shall become due on the first day of the month following that for which it is earned and the college shall pay it to the teacher not later than the fifteenth of each month.

5. That the teacher shall not make any representation to the University or to any member of the Management, except through the Principal who shall forward it to higher authorities.

6. That the teacher shall, in addition to the ordinary duties, perform such duties as may be entrusted to him by the Principal in connection with internal administration or activities of the College.

7. In all other respects the mutual rights and obligati ns of the parties hereto shall be governed by the Statutes of the University as amended from time to time and by the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act 1973.

Signed this..............day of..........19......on behalf of the Management by................

By the teacher in the presence of :

Witnesses

1................

2................

(2) FORM OF AGREEMENT WITH A PRINCIPAL OF AN AFFILIATED COLLEGE

AGREEMENT made this...................day of..............
19................BETWEEN...........of the first part (hereinafter called the Principal) and the..............(hereinafter called the Management) of..................College through the President of the second part.

WHERAS, the Management has engaged the party of the first part to serve the college as Principal subject to the condition hereinafter contained, now this AGREEMENT witnesseth that the Principal and the Management hereby contract and agree as follows :

1. That the contract of service shall commence on the..................19 ....and shall be determinable as hereinafter provided.

2 That the principal is employed, in the first instance, on probation for a period of one year and shall be paid a monthly salary of Rs...............The period of probation may be extended by another year at the discretion of the Management.

3. That on confirmation after the period of probation the Management shall pay the Principal at the rate of Rs...... (Rupees.............only) per month in the scale of Rs............ That scale of salary shall be subject to such revison as may be made by the University with the approval of the State Government from time to time.

4. That the said monthly salary shall become due on the first day of the month following that for which it is earned and the Management shall pay it to the Principal not later than the fifteenth of each month.

5. That the Principal shall perform all such duties as appertain to the Principal of an affiliated college and shall be responsible for due discharge of such duties. The Principal shall be solely responsible for the internal management and discipline of the said college including such matters as the selection of Text-Books in consultation with the senior-most teacher of the Department concerned, the management of the college, timetable, the allocation of duties to all the members of college staff, the appointment of Wardens, Proctors, Games Superintendents, etc, the grant of leave to the staff, the appointment, promotion, control and removal of the inferior staff such as peons, daftaries, gardener, technicians, etc, the granting of freeship and half freeship to students within the number sanctioned by the Management. the control of the college or hostel or hostess through the Warden, the

admission, discipline and punishment of students and the organisations of games and other activities. He shall adminisiter all student's funds, such as Games Fund, Magazine Fund, Union Fund, Reading Room Fund, Examination Funds, etc., with the help of Committees appointed by him and in accordance with the directions received by him from time to time from the University, and subject to audit and scrutiny of accounts by qualified accountant appointed by the Management not from amongst its members. The accountant's fee will be the legitimate charge on the students funds of the college.

He shall have all powers necessary for the purpose, including power in an emergency to suspend members of the staff, including teachers or staff pending report to any decision by the Management. In the spheres of his sole responsibility he shall follow the directions received from the University or Government in connection with the administration of the College, in financial and other matters, for which he is not solely responsible, the Principal shall follow the direction of the Management as issued to him in writing through the Secretary. All instructions by the Management or the Secretary to the members of the staff shall be issued through the Principal and no member of the staff shall have a direct approach to any member of the Management except through the Principal.

The Principal shall have all necessary powers of control and discipline in regard to the clerical and administrative staff including the power to withhold increments. All appointments in the principal's office shall be made with his concurrence.

6. That the Principal shall be an *ex-officio* member of the Management and any other committee appointed by the Management and have the power to vote :

Provided that he shall not be a member of the committee appointed to inquire into his own conduct,

7. That the date of birth of the principal is.... .... in proof of which he has produced the High School Certificate|Certificate of ....Examination which is recognised as equivalent to High School Examination and has annexed certified copy thereof.

8. In all other respects, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall he governed by the Statutes of the University as amended from time to time and by provisions of the Uttar Pradesh state Universities Act 1973.

Signed this ....day of .... 19.... ....
on behalf of the Management by... ... .
By the Principal in the presence of :

Witness (1)... .... Witness (2)... ... ...
Address... ... . Address.... ....

(See STATUTES 16.29 AND 17.16)

(3) FROM OF ANNUAL ACADEMIC PROGRESS REPORT FOR THE ACADEMIC SESSION.... ... ...

1. Name of the Teacher... ....

.... - ... .

2. Department to which attached

....

3. Whether Lecturer, Reader, Professor, Principal, etc.... ... ...

... ...

4. Academic qualification or distinctions achieved, if any, dur-

ing the session... ... ...

....

5. Detail of publications or research work done by the teacher and|or papers read in any national or international conference ....

....

6. Number of Research Students under his guidance during the session, and whether any of them has been conferred a research degree.... ... ...

7 Number of Lectures (excluding tutorial classes) delivered in the University or institute or College, during the sessions... ... ..

....

8. Remarks ... ...

....

I hereby dealare that the contents of this Academic Progress Report are true to my personal knowledge.

....

Dated ... .199 Signature of the Teacher

... .

... .

Counter signed, ...

Designation.

"APPENDIX 'E'

(See STATUTE 11.12-B)

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA

Proforma for Self Assessment

Date

SECTION 1

1. Name
2. Designation
3. Date of Birth
4. Academic Qualifications
5 Date of joining the University
6. Date of confirmation
7. Teaching experience :

Name of Institution	Position held	From	To	Total period

*Indicate also whether temporary|adhoc, permanent.

**Please fill in all columns. Write 'Not applicable, wherever necessary.

8. Courses taught at various levels (Name the courses, give details).
   (a) Under-graduate
   (b) Post-graduate
9. Courses taught during the last three years (give exact details) :
   (a) Under-graduate
   (b) Post-graduate
10. Details of source of materials consulted by you for the courses taught (books, journals, etc.)

11. Details of teaching methods/employed by you :
    (lectures, tutorials, seminars, practicals, etc.).
12. Details of Tutorials during the last academic year :

	Under-graduate Courses.	Post-graduate Courses.
Number held :		
Assignment Checked.		

13. Were you able to meet the classes allotted to you during the last academic year in any of the levels of regularity given below : (Circle what is applicable) :
    (a) 90% to 100%
    (b) 80% to 90%
    (c) 70% to 80%
    (d) below 70%

SECTION II

1. Give details of the following degrees—

	University	Year of the award	Topic of dissertation
M. Phil.			
Ph. D.			
D. Litt.			
D. Sc.			

2. Details of thesis, if published (A copy may be enclosed).
3. Details of published research papers, books, monographs, reviews, chapter in books, translations and creative writing etc., if any.
4. Participation in conferences, seminars, workshops. Give details of the papers presented and/or official position held,

5. Summer Institutes, refresher or a orientation course attended. Give details.
6. Details of Research guidance/Professional consultancy, if any.
7. Membership or Fellowship of Professional/Academic Bodies, Societies etc., Give details.
8. Any other information regarding academic activities not covered under this section.

SECTION III

Details of your contribution to the corporate life of your Institution :

1. (a) Curriculum development.
   (b) Cultural/extra curricular activity.
   (c) Sports/Community and extension services.
   (d) Administrative assignment.
   (e) Any other.
2. Any other information not covered in the above questionnair.

I certify that the information given above is correct and factual to the best of my knowledge.

Signature.........................

Department...................."[1]

———

1. Added by U. P. notification No. 2180 / XV-X-85-(6)—80 Dated Lucknow, September 28, 1985.